निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION

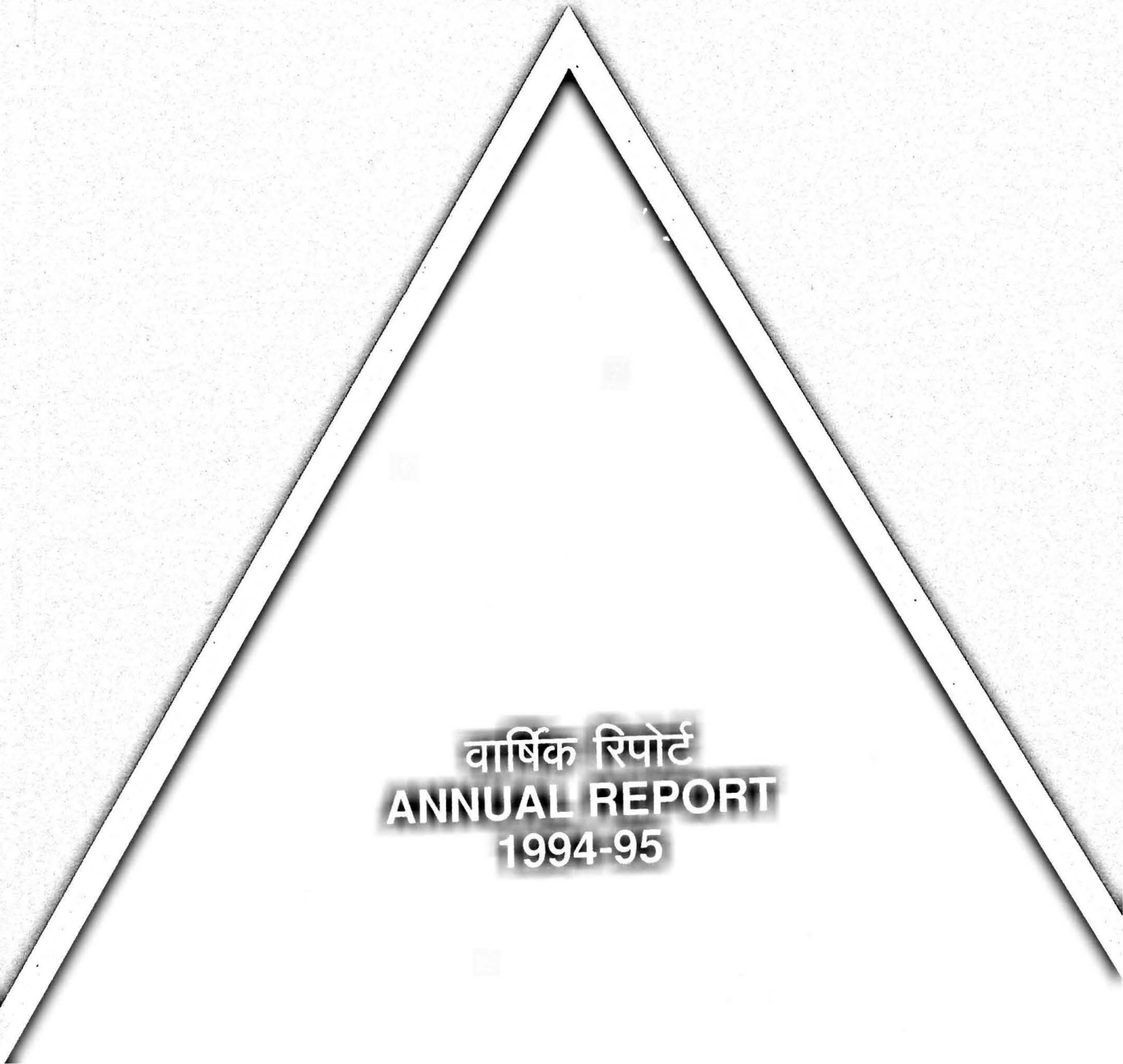

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1994-95

With Best Compliments from :

R. N. Verma
Chief General Manager

DEPOSIT INSURANCE & CREDIT GUARANTEE CORPORATION
New India Centre, 17, Cooperage Road, Bombay - 400 039.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

प्रधान कार्यालय : छठी मंजिल, न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड, बंबई-400039

निदेशक बोर्ड की 33 वीं वार्षिक रिपोर्ट,
31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र और लेखे

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रेषण पत्र	iii और iv
2.	निदेशक बोर्ड	v
3.	संगठन तालिका	vi
4.	निगम के कार्यालय	vii
5.	निगम के प्रमुख अधिकारी	viii
6.	निगम का स्वरूप	ix
7.	विशिष्टता–प्रगति एक दृष्टि में	x
8.	निदेशकों की रिपोर्ट	1
9.	निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में अनुबंध	10
10.	तुलन–पत्र और लेखे	33
11.	कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा तालिका I से X (Charts I to X)	43

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई - 400039.

डीआइसीजीसी/132/06.02/015/95-96

29 जून 1995
8 आषाढ़ 1917 (शक)

सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
बंबई - 400023.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1994-95 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक प्रति, और

(ii) 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

भवदीय,

ह./-

(आर. एन. वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई - 400039.

डीआइसीजीसी/133/06.02/016/95-96

29 जून 1995
8 आषाढ़ 1917 (शक)

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग),
"जीवनदीप", संसद मार्ग,
नयी दिल्ली - 110001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1994-95 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :

(i) 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और

(ii) 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।

2. तुलन पत्रों की प्रतियाँ और निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है। उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं।

3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय,

ह./-

(आर. एन. वर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

डी. आर. मेहता (7 मार्च 1995 तक)
एस. पी. तलवार (8 मार्च 1995 से 23 मई 1995 तक)
आर. वी. गुप्ता (24 मई 1995 से)
उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

एस. एन. राजदान
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नामित

सुश्री मोना शर्मा
संयुक्त निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(घ) के अंतर्गत नामित

एस. एच. खान
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बंबई

यू. महेश राव
प्रबंध निदेशक, जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, बंबई

एन. पी. सारडा
सनदी लेखाकार, बंबई

पी. डब्ल्यू. रेगे
भूतपूर्व अध्यक्ष, सारस्वत सहकारी बैंक लि., बंबई

इ. चंद्रशेखरन नायर (12 सितंबर 1994 से)
को-ऑपरेटर तिरुवनन्तपुरम

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1)(ङ) के अंतर्गत नामित

गंगाधर गाडगिल
अर्थशास्त्री, बंबई

पी. एन. जोशी
अध्यक्ष, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सातारा, महाराष्ट्र

रशीद जिलानी (7 फरवरी 1995 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

के. आर. राममूर्ति (7 फरवरी 1995 से)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कॉर्पोरेशन बैंक, मैंगलूर

संगठन तालिका

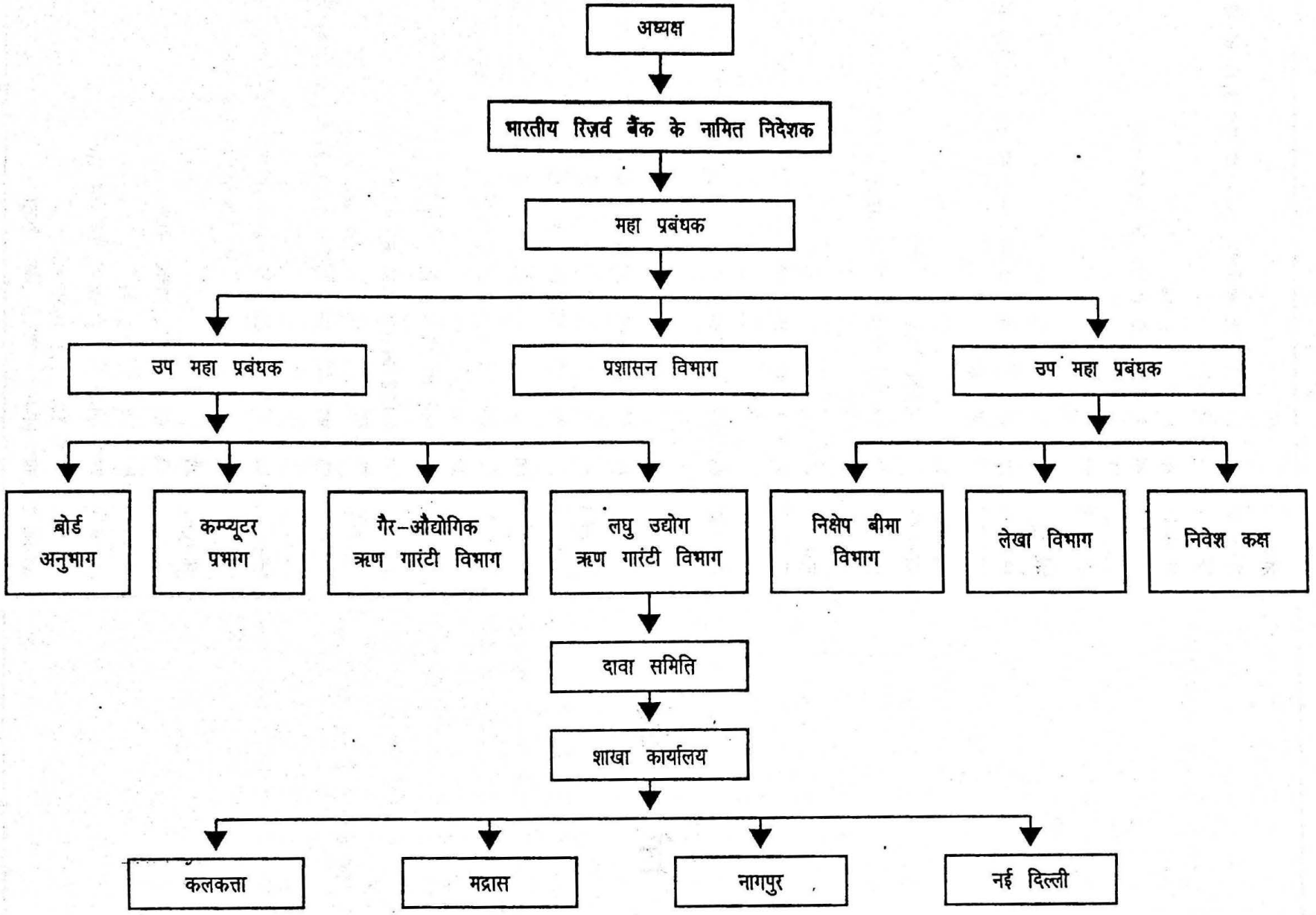

निम्नलिखित पदों का पद नाम दिनांक 4 मई से बदल दिया गया है

महा प्रबंधक – मुख्य महा प्रबंधक उप महा प्रबंधक – महा प्रबंधक

निगम के कार्यालय

		टेलीफोन संख्या	तार
प्रधान कार्यालय :	न्यू इंडिया सेंटर, 4, 5, 6, 7 और 8 वीं मंजिल, 17, कूपरेज रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बंबई - 400039.		"क्रेडिटगार्ड"
	मुख्य महा प्रबंधक	2027323 (सी.ला.) 2020299	
	(i) महा प्रबंधक	2044876 (सी.ला.) 2020299	
	(ii) महा प्रबंधक	2022408 (सी.ला.) 2020299	
	(i) उप महा प्रबंधक	2874281 (सी.ला.) 2020299	
	(ii) उप महा प्रबंधक	2874291 (सी.ला.) 2020299	
	(iii) उप महा प्रबंधक	2020299 (702)	
शाखाएँ :			
1) नागपुर	भारतीय रिज़र्व बैंक भवन, हाइकोर्ट के समीप, नागपुर - 440001.	521406 (सी.ला.) 532321 532357	"क्रेडिटगार्ड"
2) कलकत्ता	8, कौउन्सिल हाऊस स्ट्रीट (पहली मंजिल), पोस्ट बॉक्स सं. 17, कलकत्ता - 700001.	2481154 (सी.ला.) 2486019	"डिसिन्गर"
3) मद्रास	कुरालगम बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड, पोस्ट बॉक्स सं. 5021, मद्रास - 600108.	5341524 (सी.ला.) 5340239	"क्रेडिटगार्ड"
4) नयी दिल्ली	भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 123, नयी दिल्ली - 110001.	3716487 (सी.ला.) 3710538 से 42	"डिपॉज़िटिस

निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक

एस. के. कपूर (31 जुलाई 1994 तक)
आर. एन. वर्मा (1 अगस्त 1994 से)

उप महा प्रबंधक
डी. एन. प्रसाद
श्रीमती एस. एन. जोशी

मुख्य लेखाकार
ओ. पी. अरोड़ा (8 अक्तूबर 1994 तक)
के. प्रसाद (17 अक्तूबर 1994 से)

अन्य अधिकारी - प्रधान कार्यालय

प्रबंधक
जे. पी. शर्मा
सुश्री यू. एस. बनर्जी

सचिव
आर. जी. तावडे (12 नवंबर 1994 तक)
ए.जी. कुलकर्णी (14 नवंबर 1994 से)

शाखा प्रबंधक

नागपुर
व्ही. सी. कोटीयन, प्रबंधक

कलकत्ता
एस. एस. गंगोपाध्याय, प्रबंधक (21 अक्तूबर 1994 तक)
बी. के. रे, उप महा प्रबंधक (22 अक्तूबर 1994 से)

मद्रास
टी. एम. नारायणन प्रबंधक

नई दिल्ली
एस. एस. सेठी, प्रबंधक (5 सितंबर 1994 तक)
एम. एस. जोगलेकर, प्रबंधक (6 सितंबर 1994 से)

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखा परीक्षक

मैसर्स व्यास एण्ड व्यास
सनदी लेखाकार
जयपुर.

ऊपर लिखे पदनामों में दिनांक 4 मई 1995 से निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

पदनाम		संशोधित पदनाम
महा प्रबंधक	—	मुख्य महा प्रबंधक
उप महा प्रबंधक	—	महा प्रबंधक
प्रबंधक/मुख्य लेखाकार	—	उप महा प्रबंधक
सचिव	—	प्रबंधक और सचिव

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरु की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे एकही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने और समाज के खासकर कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद निगम ने पहली अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरु किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं बैंकों में जमाकर्ताओं के लाभ के लिए बैंक की सभी शाखाओं में उनकी सभी जमा राशियों अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपये तक की हानि के लिए बीमा प्रदान करना और सहभागी संस्थाओं अर्थात् वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगमों और अन्य सावधि ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी समर्थन प्रदान करना। 31 मार्च 1989 तक गारंटी समर्थन लघु ऋणकर्ताओं और लघु उद्योगों की कुछ श्रेणियों के लिए ही उपलब्ध था। परंतु 1 अप्रैल 1989 से गारंटी सुरक्षा संपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों (रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार) के लिए लागू है। तथापि अग्रिमों की कुछ ऐसी श्रेणियाँ जो केन्द्र/राज्य सरकारों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा गारंटीकृत हैं, को गारंटी सुरक्षा से बाहर रखा गया है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनाई हुई हैं, जो किस्तों तथा गारंटी शुल्कों द्वारा जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूँजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं। निगम को आयकर की अदायगी के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक छूट दी गयी थी।

निगम की प्राधिकृत पूँजी 50 करोड़ है जो पूर्णत: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निदेशक बोर्ड द्वारा निगम का प्रबंध देखा जाता है जिसके अध्यक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। दावा समिति और निवेश समिति जो भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है, बोर्ड की सहायता करती है। मुख्य महा प्रबंधक निगम के मुख्य कार्यपालक होते हैं।

निगम का प्रधान कार्यालय बंबई में है। इसकी चार शाखाएँ नागपुर, कलकत्ता, मद्रास, नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

विशिष्टता - प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष के अंत में	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94	1994-95
1. पूँजी	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50	50
2. निक्षेप बीमा											
i) निक्षेप बीमा निधि	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@	@
ii) बीमाकृत बैंक	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,922	1,931	1,990	2,025
iii) निर्धारणयोग्य जमा राशियाँ	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,56,892	2,44,375	2,49,034	3,64,058
iv) बीमाकृत जमा राशियाँ	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,09,316	1,64,527	1,68,405	2,66,747
v) खाते (लाखों में)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,089	3,543	3,529	4,994
vi) पूर्णत: संरक्षित खाते (लाखों में)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	2983	3,395	3,497	4,956
vii) अदाकृत दावे	-	1	2	3	3	44	69	131	178	179	181
3. ऋण गारंटी											
i) ऋण गारंटी निधि	-	-	27	89	118	@	@	@	@	@	@
ii) गारंटीकृत अग्रिम											
(क) छोटे उधारकर्ता	-	208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	27,692	24,444	26,348	25,484
(ख) लघु उद्योग	-	-	-	3,822	4,891	7,788	10,465	16,826	19,162	15,503	14,177
iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)											
(क) छोटे उधारकर्ता	-	-	9	25	62	255	364	505	883	1,168	1,348
(ख) लघु उद्योग	-	-	-	30	71	149	241	247	260	323	379
iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के दौरान)											
(क) छोटे उधारकर्ता	-	-	3	15	32	225	281	427	566	1,026	1,100
(ख) लघु उद्योग	-	-	-	27	47	122	177	260	243	288	409

@ निगम की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन के कारण तुलन-पत्र और आय व्यय लेखे के प्रारूप में संशोधन से 1987 से ऋण गारंटी निधि में वर्ष 1989-90 को छोड़कर हर वर्ष घाटा रहा है। निधि की कमी/अतिरिक्त को संबंधित वर्ष के निक्षेप बीमा निधि के अतिरिक्त के बदले समायोजित किया गया। वर्ष 1994-95 के दौरान ऋण गारंटी निधि में रु. 348.69 करोड़ का घाटा था। 31 मार्च 1994 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि के लिए रु.1,206.74 करोड़ की राशि देय थी।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 32(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड एतद्द्वारा 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष की निगम की 33वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

आर्थिक परिदृश्य

2. वर्ष 1994-95 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मुद्रा प्रसार रही। वर्ष के दौरान आरक्षित मुद्रा में रु. 30,320 करोड़ (21.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के दो कारण रहे, पहला और मुख्य कारण रिज़र्व बैंक की विदेशी आस्तियों में रु. 23,264 करोड़ (45.2 प्रतिशत) की निवल वृद्धि तथा दूसरा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक के ऋण में रु. 6780 करोड़ की तीव्र वृद्धि। जबकि पिछले वर्ष अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिज़र्व बैंक के ऋण में रु. 4260 करोड़ की गिरावट आयी थी। दो दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुद्रा प्रसार बजट घाटे के मुद्रीकरण के कारण नहीं हुआ है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल जमा राशियों में वर्ष के दौरान 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वित्त वर्ष में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1994-95 की पहली छमाही के दौरान विदेशी पूँजी की आमद में पर्याप्त वृद्धि हुई यद्यपि इस वृद्धि की गति दूसरी छमाही में कम हो गयी परन्तु गैर खाद्य ऋण प्रावधान में काफी बढ़ोत्तरी हुई, परिणामस्वरूप वर्ष 1994-95 की दूसरी छमाही में तरलता की उपलब्धि में सुलभता नहीं रही। 31 मार्च 1995 तक गैर खाद्य ऋण में 28.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य स्थिति स्थिर नहीं रही। मुद्रास्फीति की दर वर्ष के प्रारम्भ में दो अंकों में थी जो अक्तूबर के आरम्भ में गिरकर 8.4 प्रतिशत हो गयी तथा जनवरी 1995 के अंत में पुन: 12.2 प्रतिशत के उच्चस्तर पर पहुँच गयी तथा इसके पश्चात् मार्च 1995 के अंत में नीचे आकर 10.0 प्रतिशत हो गयी। मुद्रा बाजार वर्ष 1994-95 की पहली छमाही में नरम था परन्तु दूसरी छमाही के दौरान बाजार महँगा और अस्थिर रहा।

वर्ष 1994-95 के दौरान वास्तविक आर्थिक गतिविधियाँ समष्टि स्तर पर मजबूत रहीं। वर्ष 1994-95 के दौरान वास्तविक समग्र घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर 5.3 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है जबकि पिछले वर्ष इसमें 3.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के वर्ष 1993-94 की 182 मिलियन टन की सीमा तक होने का अनुमान है। औद्योगिक उत्पाद के मामले में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान मामूली वृद्धि हुई परन्तु अप्रैल-नवम्बर 1994 के दौरान इसमें 8.7 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि हुई है।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

3. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गये कुल ऋण दिसंबर 1994 के अंत में रु. 57,349 करोड़ थे जो निवल बैंक ऋण का 37.4 प्रतिशत थे जबकि दिसंबर 1993 में प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए ऋण रु. 49,821 करोड़ थे और निवल बैंक ऋण का 36.4 प्रतिशत थे। दिसंबर 1993 के अंत की स्थिति की तुलना में दिसंबर 1994 के अंत में प्राथमिकता क्षेत्र उधार में रु. 7,528 करोड़ की वृद्धि हुई। दिसंबर 1993 में कृषि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम रु. 20,513 करोड़ थे जो दिसंबर 1994 में बढ़कर रु. 22,199 करोड़ हो गए। तथापि इस प्रयोजन के लिए 18 प्रतिशत के लक्ष्य के बदले यह प्रतिशत क्रमश: दिसंबर 1993 के अंत में 15.0 तथा दिसंबर 1994 के अंत में 14.5 ही रहा। सरकारी क्षेत्र के भारतीय वाणिज्य बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत उधारकर्ताओं को रु. 2,886 करोड़ के ऋण दिये। ये ऋण मार्च 1994 के अंत में बैंकों की निवल जमा (नवीनतम उपलब्ध आँकड़े) का 30.2 प्रतिशत हैं। जबकि निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लघु उद्योगों के मामले में कुल बकाया अग्रिम दिसंबर 1994 के अंत में रु. 23,352 करोड़ थे जो निवल बैंक ऋण का 14.2 प्रतिशत हैं जबकि दिसंबर 1993 के अंत में यह क्रमश: रु. 19,950 करोड़ तथा 14.6 प्रतिशत था। रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार भी प्राथमिकता क्षेत्र के लघु उद्योग खंड के अग्रिमों का 40 प्रतिशत कुटीर उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योगों, दस्तकारों, अत्यन्त लघु उद्योगों या रु. 5 लाख तक ऋण सीमा प्राप्त करने वाली इकाइयों को स्वीकृत किया जाए।

वसूली कार्य

4. सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की कुल वसूली में सुधार का रुख रहा। वसूली के प्रतिशत से यह

स्पष्ट है। यह वसूली जून 1992 में 54.09% थी जो जून 1994 में 57.05% हो गयी। तथापि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋणों की वसूली के प्रतिशत में मामूली गिरावट का रुख रहा। माँग वसूली के प्रतिशत से यह स्पष्ट है। माँग वसूली जून 1992 में 31.76% थी जो जून 1994 में 30.09% हो गयी।

महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

निक्षेप बीमा योजना - बैंक आफ कराड़ लिमिटेड का न्यायालय में वाद

5.1 जैसाकि पहले की रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है, बैंक आफ कराड़ लिमिटेड के जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से निगम ने बैंक के परिसमापक को जमाकर्ताओं में शीघ्र वितरण के लिए कुल रु. 37.00 करोड़ का खातागत भुगतान किया था। माननीय बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के अनुसार बैंक आफ इंडिया से निर्दिष्ट राशि प्राप्त होने और वसूलियाँ करने के बाद परिसमापक वह राशि निगम को लौटा देगा जो निगम द्वारा उसे जारी की गयी थी।

वर्ष के दौरान परिसमापक ने रु. 14.69 करोड़ (रु. 1.05 करोड़ की असंवितरित राशि सहित) की राशि की चुकौती की। बाकी राशि की चुकौती के संबंध में परिसमापक ने प्राथमिकता प्राप्त लेनदारों मुख्यत: आयकर बकाया के भुगतान के लिए राशि निश्चित की है तथा इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय से अनुमति माँगी है। निगम ऐसी अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहा है।

निगम के कार्यकलाप - एक विहंगम दृष्टि

5.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा ऋण गारंटी योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की गयी। बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिए श्री बी. राय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इलाहाबाद बैंक (अब सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति को निम्नलिखित बातों पर विचार करना था :

क) निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावा देयता कम करने के लिए उपाय सुझाना,

ख) ऋण संस्थाओं द्वारा निगम को प्रस्तुत किए जाने वाले दावों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा समिति की सिफारिशों को निगम द्वारा जाँच की जा रही है।

5.3 जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया है निक्षेप बीमा योजना, 1961 के अंतर्गत बीमा सुरक्षा एक ही अधिकार और हैसियत से प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक 1 मई 1993 से रु. 30,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 कर दी गयी है। बीमा किस्त की दर 1 जुलाई 1993 से प्रति रु. 100 प्रति वर्ष 4 पैसे से आंशिकरूप से बढ़ाकर 5 पैसे कर दी गयी है। कुल बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 मार्च 1994 को 1990 थी जो 31 मार्च 1995 को बढ़कर 2025 हो गयी। एवं पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या 4956 लाख है जो कुल जमा खातों का 99.2 प्रतिशत है।

बीमाकृत जमा राशियाँ बैंकों की कुल निर्धारण योग्य जमा राशि रु. 364058 करोड़ का 73.3 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान बीमा किस्त के रूप में रु. 193.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान निगम ने एक सहकारी बैंक से प्राप्त कुल रु. 2.20 करोड़ के दावों का निपटान किया तथा 6 सहकारी बैंकों की दावा देयता के मामले में रु. 15.92 करोड़ का प्रावधान किया। 25 वाणिज्य बैंकों और 28 सहकारी बैंकों के मामले में अब तक कुल दावा अदाकृत राशि रु. 180.89 करोड़ रही। मार्च 1995 के अंत तक कुल रु. 36.76 करोड़ की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं।

5.4 निगम द्वारा परिचालित तीन गारंटी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष के दौरान कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि मार्च 1994 के अंत में रु. 39,660.82 करोड़ है तथा इस में पिछले वर्ष की तुलना में गैर औद्योगिक क्षेत्र के लिए योजनाओं के अंतर्गत छोटे उधारकर्ताओं को गारंटीकृत अग्रिमों में 3.28 प्रतिशत, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए गारंटीकृत अग्रिमों में 8.5 प्रतिशत की गिरावट आयी। तीन योजनाओं के अंतर्गत निगम के पास प्राप्त दावों में संख्यावार 3.4 प्रतिशत तथा राशिवार 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष के दौरान निगम द्वारा निपटाये गये दावों में संख्यावार 17.9 प्रतिशत तथा राशिवार 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मासिक दावा निपटान दर सर्वाधिक रही। पिछले वर्ष 2,90,144 दावे प्रतिमाह निपटाये गये जबकि इस वर्ष 3,42,055 दावे प्रति माह निपटाये गये। रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाये गये दावों की संख्या और राशिवार स्थिति तथा पिछले वर्ष से उसकी तुलनात्मक स्थिति अगले पृष्ठ पर दर्शायी गयी है।

(राशि करोड़ रुपये में)

	1993-94 के दौरान		1994-95 के दौरान		प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
I. प्राप्त दावे						
निम्नलिखित के मामले में निगम की योजना						
(i) छोटे उधारकर्ता	46,72,885	1,167.60	47,93,205	1,348.11	(+) 2.6	(+) 15.5
(ii) लघु उद्योग	1,44,165	323.16	1,89,593	378.71	(+) 31.5	(+) 17.1
जोड़	48,17,050	1,490.76	49,82,798	1,726.82	(+) 3.4	(+) 15.8
II. निपटाये गए दावे						
निम्नलिखित के मामले में निगम की योजना						
(i) छोटे उधारकर्ता	33,58,702	1,026.36	39,11,870	1,100.26	(+) 16.5	(+) 7.2
(ii) लघु उद्योग	1,23,031	287.72	1,92,791	409.31	(+) 56.7	(+) 42.3
जोड़	34,81,733	1,314.08	41,04,661	1,509.57	(+) 17.9	(+) 14.9

5.5 वर्ष 1982 से 1988-89 अवधि के दौरान वैकल्पिक वर्ष एवं उसके पश्चात् प्रतिवर्ष दावों की प्राप्ति राशि एवं गारंटी शुल्क की प्राप्ति राशि की स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ	गारंटी दावा प्राप्तियाँ	अन्तर
1982	57.67	34.11	+ 23.56
1984	87.91	115.69	- 27.78
1986	127.25	245.86	-118.61
1988-89 (15 माह)	191.89	580.97	-389.08
1989-90	593.83	548.33	+ 45.50
1990-91	524.72	748.76	-224.04
1991-92	565.88	627.23	- 61.35
1992-93	702.78*	1143.27	-440.49
1993-94	846.09	1490.76	-644.67
1994-95	829.13	1726.82	-897.69

* पिछले वर्षों के संबंध में पुनर्निवेश प्रावधान सहित ।

5.6 1 अप्रैल 1989 से गारंटी शुल्क की दर बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने के कारण केवल वर्ष 1989-90 में गारंटी शुल्क प्राप्ति गारंटी दावों की प्राप्ति की तुलना में अधिक रही । चूँकि गारंटी शुल्क प्राप्ति गारंटी दावों की प्राप्ति की तुलना में लगातार 3 वर्ष तक कम रही इसलिए सभी तीनों ऋण गारंटी योजनाओं की अर्थक्षमता की जाँच की गयी और 1 अप्रैल 1993 से केवल लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के मामले में गारंटी शुल्क की दर बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत की गयी । इस बढ़ोतरी के बावजूद गारंटी शुल्क प्राप्ति और गारंटी दावों की प्राप्ति में अन्तर वर्ष 1994-95 में बढ़कर रु. 897.69 करोड़ हो गया । योजनावार ब्योरा इस प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	गारंटी दावों की प्राप्ति	गारंटी शुल्क प्राप्ति	अन्तर
i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	1348.11	631.64	-716.47
ii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	-	0.14	+0.14
iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	378.71	197.35	-181.36
जोड़	1726.82	829.13	-897.69

वर्ष 1981 से गारंटी शुल्क की योजनावार प्राप्ति का ब्योरा अनुबंध XIII में दिया गया है।

निक्षेप बीमा कार्य

6.1 वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के प्रावधान 1 जनवरी 1995 से सिक्किम राज्य पर भी लागू हो गए। एवं 10 वाणिज्य बैंक और 26 सहकारी बैंक बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत किए गए और एक सहकारी बैंक को विपंजीकृत किया गया। इस संबंध में ब्योरा अनुबंध-IIए में दिया गया है। इस प्रकार निगम के पास निक्षेप बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 31 मार्च 1995 को 2025 हो गयी जबकि 31 मार्च 1994 को यह संख्या 1990 थी।

(निगम द्वारा 1962 से पंजीकृत किए गए बैंकों की संख्या का ब्योरा अनुबंध I में दिया गया है)।

6.2 वर्तमान में निक्षेप बीमा योजना सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और 20 राज्यों तथा 2 केन्द्रशासित प्रदेशों (अनुबंध-II) के सहकारी बैंकों पर लागू है। पंजाब राज्य को छोड़कर शेष बचे राज्यों और संघशासित प्रदेशों द्वारा उनके सहकारी समितियाँ अधिनियम में अपेक्षित संशोधन अभी किए जाने हैं। अधिनियम के प्रावधान पंजाब राज्य पर 1 अप्रैल 1995 से लागू हो गए हैं।

6.3 खातों की संख्या और निगम के पास बीमाकृत खातों और जमाकर्ताओं को दी गयी सुरक्षा की सीमा की जून 1993 तथा जून 1994 के अंत की स्थिति इस प्रकार थी :

(करोड़)

	जून 1993	जून 1994
1. खातों की कुल संख्या (लाखों में)	3,529	4,994
2. पूर्णत: संरक्षित खाते (लाखों में)	3,497	4,956
3. 2 के प्रति 1 का प्रतिशत	99.1	99.2
4. निर्धारण योग्य जमाराशियाँ	2,49,034	3,64,058
5. बीमाकृत जमाराशियाँ	1,68,405	2,66,747
6. 5 के प्रति 4 का प्रतिशत	67.6	73.3

(पूर्व के वर्षों के संबंध में विवरण अनुबंध III व IV में दिया गया है।)

जून 1994 के अंत में पूर्णत: संरक्षित खातों और आंशिकरूप से संरक्षित खातों की जमा राशियाँ कुल निर्धारण योग्य जमा राशियों का क्रमश: 70.14 प्रतिशत तथा 29.86 प्रतिशत है।

6.4 वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान बीमाकृत बैंकों से प्राप्त श्रेणीवार क़िस्त (अतिदेय किस्त पर ब्याज सहित) का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

बैंकों की श्रेणी	प्राप्त किस्तें	
	1993-94	1994-95
i) वाणिज्य बैंक	138.15	170.95
ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.09	4.74
iii) सहकारी बैंक	14.11	17.59
	156.35	193.28

6.5 वर्ष 1994-95 के दौरान निगम ने एक बैंक अर्थात् सिटीजन्स अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर के रु. 2.20 करोड़ के दावों का निपटान किया।

एवं निम्नलिखित बैंकों के जमाकर्ताओं को दावा देयताओं के संबंध में खातों में रु. 15.92 करोड़ का प्रावधान किया गया है :

(क) वसावी को आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुरजाला, गुजरात का रु. 0.01 करोड़ का पूरक दावा।

(ख) नवदीप को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के संभावित दावे के लिए रु. 5.52 करोड़।

(ग) मैट्रोपालिटन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई महाराष्ट्र की शेष राशि के रूप में रु. 0.34 करोड़।

(घ) 1 दिसंबर 1994 से परिसमापनाधीन चेतना को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई, महाराष्ट्र के संबंध में रु. 9.62 करोड़।

(ङ) 31 अगस्त 1994 से परिसमापनाधीन बीजापुर इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागलकोट, कर्नाटक के संबंध में रु. 0.28 करोड़।

(च) 31 अगस्त 1994 से परिसमापनाधीन धारवाड़ इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, हुबली, कर्नाटक के संबंध में रु. 0.15 करोड़।

6.6 31 मार्च 1995 को 25 वाणिज्य बैंकों के मामले में संपूर्ण दावा अदाकृत राशि (संचयी) रु. 172.92 करोड़ अपरिवर्तित रही। मार्च 1995 तक कुल रु. 35.84 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 17.02 करोड़ सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं। 28 सहकारी बैंकों के मामले में कुल दावा अदाकृत राशि प्रारम्भ से 31 मार्च 1995 तक रु. 7.97 करोड़ (वर्ष के दौरान अदाकृत रु. 2.20 करोड़ सहित) प्राप्त हुईं। 31 मार्च 1995 तक कुल रु. 0.92 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त रु. 0.02 करोड़ सहित) की चुकौतियाँ प्राप्त हुईं। 31 मार्च 1995 तक जिन 53 बैंकों के मामले में दावे अदा किए गए, बट्टे खाते डाले गए, प्रावधान किया गया और चुकौतियाँ प्राप्त हुई उनका ब्योरा अनुबंध V में दिया गया है।

ऋण गारंटी कार्य

क) छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

7. छोटे उधारकर्ताओं के लिए निगम की दो ऋण गारंटी योजनाएँ हैं अर्थात लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 और लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 इन में कृषि और सहायक गतिविधियों, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय आदि के लिए वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं।

8. छोटे उधारकर्ताओं के संबंध में गारंटी योजनाओं की समग्र स्थिति इस प्रकार है :

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

9.1 योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि और सहायक गतिविधियों, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय आदि के लिए स्वीकृत अग्रिमों को गारंटी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

9.2 वर्ष के दौरान निगम द्वारा 8 वाणिज्य बैंकों तथा 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजना से बाहर होने की अनुमति प्रदान की गयी। परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 1995 को घट कर 214 (39 वाणिज्य बैंक और 175 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) रह गयी जबकि 31 मार्च 1994 को इनकी संख्या 233 थी (अनुबंध VI और VII)।

9.3 योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिम 31 मार्च 1994 को रु. 25,474.28 करोड़ थे, इन अग्रिमों की राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 3.28 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसका मुख्य कारण 19 ऋण संस्थाओं का योजना से बाहर होना है। योजना में रु. 25,483.87 करोड़ के गैर लघु उद्योग खंड के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 99.96 प्रतिशत शामिल है। गारंटीकृत अग्रिमों का वर्षवार तथा क्षेत्रवार अलग-अलग ब्योरा अनुबंध VIII में दिया गया है। गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार अलग-अलग ब्योरा तथा उसकी तुलना में प्राप्त दावों

(राशि करोड़ रुपये में)

उधारकर्ताओं की श्रेणी	मार्च 1994 को गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावों की राशि			2 के प्रति 5 का प्रतिशत
		मार्च 1994 तक	1994-95 के दौरान	मार्च 1995 तक (3+4)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. कृषक और खेतिहर	17,075.41	1,850.63	646.42	2,497.05	14.62
2. अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	7,840.98	2,396.29	683.49	3,079.78	39.27
3. विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं की बाकी बची श्रेणियाँ और उपभोग तथा घर या आवास के क्रय या निर्माण के लिए ऋण सुविधा	557.89	122.11	18.20	140.31	25.15
जोड़	25,474.28	4,369.03	1,348.11	5,717.14	22.44

की राशि को प्रतिशत आधार पर नीचे दर्शाया गया है :

उधारकर्ताओं की श्रेणी	कुल का प्रतिशत	
	गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावे
i) कृषक और खेतिहर	67.03	47.95
ii) प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य उधारकर्ता	30.78	50.70
iii) विभेदक ब्याज दर अग्रिम आदि	2.19	1.35
जोड़	100.00	100.00

9.4 रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, निगम को रु. 1,348.11 करोड़ के 47,93,205 दावे प्राप्त हुए। पिछले वर्ष रु. 1,167.58 करोड़ के 46,72,831 दावे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार दावों की संख्या में 2.51 प्रतिशत तथा राशि में 13.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान रु. 1,348.11 करोड़ के दावे प्राप्त हुए यह राशि योजना के अंतर्गत गारंटीकृत रु. 25,474.28 करोड़ का 5.29 प्रतिशत है। (छोटे उधारकर्ताओं के मामले में सभी योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रवार प्राप्त दावों का अलग-अलग ब्योरा अनुबंध X में दिया गया है)। निगम ने वर्ष के दौरान रु. 1,100.22 करोड़ के 39,11,829 दावों का निपटान किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान रु. 1,026.26 करोड़ के 33,58,615 दावे निपटाये गये थे। इस वर्ष की दावों की औसत मासिक निपटान दर 3,25,986 दावे रही जबकि पिछले वर्ष यह दर 2,79,885 दावे प्रति माह थी।

9.5 निगम के प्रस्थापन अधिकार के कारण वर्ष के दौरान रु.109.84 करोड़ की वसूलियाँ प्राप्त हुई थीं। पिछले वर्ष के दौरान रु. 109.84 करोड़ की वसूलियाँ प्राप्त हुई थीं। वसूलियों में वृद्धि का मूल कारण भारत सरकार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मिली राहत राशि में से निगम के हिस्से का प्राप्त होना है। योजना के प्रारम्भ से अब तक वसूलियों की कुल राशि रु. 657.86 करोड़ रही जो दावा अदाकृत रु. 4,193.74 करोड़ (संचयी) का 15.68 प्रतिशत है।

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984

10.1 योजना 1984 में प्रारम्भ की गयी तथा इसके अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर कृषि प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों को सुरक्षा प्राप्त हैं।

10.2 वर्ष के दौरान योजना के सहभागी सहकारी बैंकों की संख्या 6 कम हुई और 31 मार्च 1995 को इनकी संख्या 22 से घटकर 16 हो गयी (अनुबंध VI और VII)। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1994 को गारंटीकृत कुल अग्रिम रु. 9.59 करोड़ थे जबकि 31 मार्च 1993 को ये अग्रिम रु. 8.08 करोड़ थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम को कोई नया दावा प्राप्त नहीं हुआ।

ख) लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

अ) लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब निरस्त)

11.1 सरकार की योजना बंद हो गयी है और निगम ने दावे/अभ्यावेदन स्वीकार करना अंतिम रूप से बंद कर दिया है। योजना के अंतर्गत विचाराधीन सभी दावों का निपटान मार्च 1992 तक कर दिया गया था। तथापि भारत सरकार के एजेंट के रूप में निगम दावा अदाकृत खातों से वसूलियों के लिए प्रयासरत है।

11.2 दावा अदाकृत खातों से हुई वसूलियों में से 10 प्रतिशत अपने पास रखने की भारत सरकार की अनुमति के अनुसार योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 में दावा अदाकृत खातों से हुई रु. 2.04 करोड़ की कुल वसूली में से किए गए प्रशासनिक खर्च के रूप में रु. 0.20 करोड़ तथा ऋण संस्थाओं से प्राप्त अधिक गारंटी शुल्क के निपटान के रूप में रु. 0.20 करोड़ अपने पास रखने के बाद निगम ने अगस्त 1994 में रु. 1.72 करोड़ की राशि सरकार को भेज दी है। एवं, वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त रु. 1.64 करोड़ की राशि में से संस्थापन खर्च के रूप में निगम का हिस्सा अपने पास रखने के बाद राशि सरकार को भेजी जा रही है।

(आ) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

12.1 उपर्युक्त योजना में 31 मार्च 1995 को 269 ऋण संस्थाएँ सहभागी थी (31 मार्च 1994 को 308)। इनमें 39 वाणिज्य बैंक, 139 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 91 सहकारी बैंक शामिल हैं (अनुबंध VI)। वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के भुगतान में चूक करने अथवा योजना से बाहर होने का विकल्प चुनने के कारण योजना से 39 ऋण संस्थाओं के नाम हटा दिए गए हैं।

12.2 भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा में आनेवाले लघु उद्योग क्षेत्र के गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 31 मार्च 1994 को रु. 14,176.95 करोड़ थी जबकि 31 मार्च 1993 को यह राशि रु. 15,502.66 करोड़ थी। इस प्रकार इस में 8.55 प्रतिशत की गिरावट आयी।

12.3 निगम को वर्ष 1994-95 के दौरान रु. 378.71 करोड़ के 1,89,593 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष के दौरान रु. 323.16 करोड़ के 1,44,165 दावे प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान रु. 409.31 करोड़ राशि के लिए 1,92,791 दावे निपटाये गये। वर्ष 1993-94 के दौरान रु. 287.72 करोड़ की राशि के लिए 1,23,031 दावे निपटाये गये थे। 1 अप्रैल 1981 से वर्षवार प्राप्त हुए और निपटाए गए दावों का राशिवार अलग-अलग ब्योरा अनुबंध XI में दिया गया है (वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों का राशिवार अलग-अलग ब्योरा अनुबंध XII में दिया गया है)। 31 मार्च 1995 को रु. 59.69 करोड़ के 41,212 दावे विचाराधीन थे।

12.4 निगम के प्रस्थापन अधिकार के कारण वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत रु. 28.67 करोड़ की वसूलियाँ प्राप्त हुईं। वर्ष 1981 से 31 मार्च 1995 तक कुल चुकौतियाँ रु. 112.16 करोड़ की राशि की प्राप्त हुई और ये चुकौतियाँ कुल दावा राशि रु. 900.07 करोड़ का 12.5 प्रतिशत है।

12.5 योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1995 तक कुल रु.2,238.59 करोड़ के दावे प्राप्त हुए। दावों की यह राशि लघु उद्योग क्षेत्र के कुल गारंटीकृत अग्रिमों रु. 14,176.95 करोड़ का 15.8 प्रतिशत है।

12.6 योजना के अंतर्गत रु. 8 लाख और अधिक राशि के उच्च मूल्य दावे 'दावा समिति' द्वारा देखे जाते हैं। वर्ष के दौरान समिति ने रु. 1.65 करोड़ के 17 दावों का निपटान किया।

लेखे

तुलन-पत्र तथा आय व्यय लेखे

13.1 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के संबंध में आय-व्यय लेखे तथा निगम की तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि को 31 मार्च 1995 की स्थिति का तुलन-पत्र तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

13.2 निगम ने वर्ष 1987 से निक्षेप बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि को देयताओं के बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन की व्यवस्था लागू कर रखी है। तद्नुसार तीनों निधियों ने विचाराधीन दावों आदि सहित सभी प्रावधानों के बाद रु. 125.64 करोड़ का घाटा दिखाया है जबकि पिछले वर्ष रु. 98.91 करोड़ का निवल घाटा था। सभी आवश्यक प्रावधान किए जाने के बाद निक्षेप बीमा निधि में रु. 225.47 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध है। ऋण गारंटी निधि में रु. 348.69 करोड़ तथा सामान्य निधि में रु. 2.42 करोड़ का घाटा है। ऋण गारंटी निधि के रु. 348.69 करोड़ के घाटे को इतनी ही राशि निक्षेप बीमा निधि से अंतरित कर बराबर किया गया है। सामान्य निधि के रु. 2.42 करोड़ के घाटे को जनरल रिज़र्व में अंतरित कर बराबर किया गया है।

13.3 जैसाकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है 31 मार्च 1994 को ऋण गारंटी निधि से निक्षेप बीमा निधि को रु. 858.05 करोड़ की निवल राशि देय है। यह राशि वर्ष 1987 के बाद रहे अतिरिक्त घाटे की राशि है। ऋण गारंटी निधि का चालू वर्ष का रु. 348.69 करोड़ का घाटा निक्षेप बीमा निधि से इतनी ही राशि अंतरित करके बराबर किया गया है। परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में निक्षेप बीमा निधि को देय राशि बढ़कर रु. 1206.74 करोड़ हो गयी है।

बजट नियंत्रण

14. तीनों निधियों अर्थात् निक्षेप बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के अंतर्गत राजस्व और व्यय के मामले में निगम का बजट नियंत्रण है।

निवेश

15.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार जिन राशियों की तत्काल आवश्यकता नहीं होती उन्हें खजाना बिलों सहित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निविष्ट किया जाता है। निवेशों का ब्योरा अनुबंध XIV में दिया गया है। तीनों निधियों के निवेशों के मूल्यह्रास के लिए पूर्णत: प्रावधान किया गया है।

निवेश समिति

15.2 जैसाकि पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, राय समिति (निवेशों से आय में सुधार के लिए सुझावों

हेतु गठित) की विभिन्न सिफारिशों की जाँच की गयी तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

i) निगम के निधि के निवेशों के संबंध में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961, की धारा 25 में संशोधन का मामला अभी भी भारत सरकार के पास विचाराधीन है। वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) के विधि मंत्रालय की सलाह के अनुसार निगम द्वारा प्रस्तावित संशोधन में कुछ मामूली सुधार सुझाए हैं जिन्हें निगम ने स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने अब भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।

ii) निगम के निवेशों को स्टाक-इन-ट्रेड मानने की अनुमति प्रदान करने का मामला वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परामर्श के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग ने हाल ही में सूचित किया है कि प्रतिभूतियों में किए गए किसी विशेष निवेश को स्टाक-इन-ट्रेड या पूँजीगत आस्ति मानने का प्रश्न तथ्यात्मक है तथा इसका निर्णय निर्धारणकर्ता अधिकारी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर किया जाए।

iii) आय कर अधिनियम (धारा 44/115 बी) के अंतर्गत जिस प्रकार जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन को कर देयता के निर्धारण के लिये विशेष दर्जा प्रदान किया गया है उसी प्रकार का दर्जा निगम को प्रदान करने के लिए भारत सरकार से पहले ही अनुरोध किया गया है।

सामान्य

लेखा परीक्षक

16.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 29(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से मैसर्स व्यास एंड व्यास, सनदी लेखाकार, जयपुर को 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

हिंदी की प्रगति

16.2 निगम द्वारा अपने दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग और उसकी प्रगति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। निगम का प्रधान कार्यालय राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है। निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है। स्टाफ को अधिकाधिक हिंदी प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निगम की वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषिक रूप में प्रकाशित की जाती है। हिंदी समाचार पत्र और पत्रिकाएँ खरीदी जाती हैं तथा स्टाफ के बीच परिचालित की जाती हैं। निगम में "आज का शब्द" प्रदर्शित किया जा रहा है। निगम के स्टाफ सदस्यों को भारत सरकार के विभिन्न हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। भारत सरकार को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत एक टंकक ने हिंदी टंकण तथा एक आशुलिपिक ने हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की है।

प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति

16.3 नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंसन ट्रेनिंग हैदराबाद द्वारा "लघु उद्योग वित्तपोषण" पर संचालित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विकासशील देशों के वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 12 सदस्यों के एक समूह ने निगम में आकर निगम के कार्य और कार्य प्रक्रिया का अध्ययन किया तथा निगम के पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया। इसके अतिरिक्त बैंक आफ तंजानिया, दार-ए-सलाम के दो पदाधिकारी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए निगम में आए। निगम ने वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में निगम की विभिन्न योजनाओं और उनके अंतर्गत दावों के निपटान के संबंध में सत्र लेने के लिए अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। निगम के सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 48 अधिकारियों और 34 लिपिकीय स्टाफ सदस्यों को प्रतिनियुक्त किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण और वित्तीय लेखा परीक्षा

16.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग ने 6 जून 1994 से 9 जुलाई 1994 के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय का "सिस्टम्स और स्टाफिंग" के मामले में दूसरी बार निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान निगम के चार शाखा कार्यालयों का भी दूसरी बार निरीक्षण किया गया। क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कक्ष द्वारा 30.9.1994 को समाप्त छमाही के लिए निगम की लेखा परीक्षा

भी की गयी। रिपोर्टों में निर्दिष्ट अनियमितताओं/सुझावों में से अधिकांश का निगम द्वारा सुधार कर दिया गया/लागू कर दिया गया है।

प्रबंध तन्त्र

17. निगम के तत्कालीन अध्यक्ष श्री डी.आर. मेहता की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.पी. तलवार को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1) (ए) के अंतर्गत 8 मार्च 1995 से निगम का अध्यक्ष नामित किया गया। अब श्री एस.पी. तलवार के स्थान पर श्री आर.वी. गुप्ता, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांक 24 मई 1995 से निगम का अध्यक्ष नामित किया गया है।

श्री पी.एन. जोशी, अध्यक्ष, यूनाइटेड वैस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा (महाराष्ट्र) को 14 जून 1993 से 31 अक्तूबर 1993 तक निगम के बोर्ड में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत नामित किया गया था। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 31 अक्तूबर 1995 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

श्री ई.सी. नायर, प्रख्यात सहकारी बैंकर, त्रिवेन्द्रम (केरल) को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(डी) के अंतर्गत निगम के निदेशक बोर्ड में 12 सितंबर 1994 से तीन वर्ष के लिए निगम का निदेशक नामित किया गया है। श्री हरभजन सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता (पश्चिम को श्री बी. राय के स्थान पर जो 30 नवंबर 1994 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं रहे हैं, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत 1 दिसंबर 1994 से निगम का पदेन निदेशक नामित किया गया है।

सरकार की 7 फरवरी 1995 की अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कार्पोरेशन बैंक को निगम के निदेशक बोर्ड में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(ई) के अंतर्गत पदेन निदेशक नामित किया गया है। तद्नुसार डॉ. एम.के. सिन्हा के स्थान पर श्री रशीद जिलानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक निगम के निदेशक होंगे।

श्री के.आर. राममूर्ति जिन्हें कार्पोरेशन बैंक का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, श्री हरभजन सिंह के स्थान पर दिनांक 7 फरवरी 1995 से निगम के निदेशक हैं।

18. 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम के निदेशक बोर्ड की चार बैठकों का आयोजन किया गया।

19. स्टाफ द्वारा परिचालनात्मक क्षमता को बरकरार रखने की निगम के स्टाफ की बोर्ड बहुत-बहुत सराहना करता है।

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम,
बंबई 400 039.

दिनांक: 29 जून 1995

निदेशक मंडल की ओर से
और उसके वास्ते

(आर. वी. गुप्ता)
अध्यक्ष

अनुबंध - I

वर्ष 1962 से निक्षेप बीमा योजना में शामिल बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण

अवधि/वर्ष	वर्ष/अवधि के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या	वर्ष/अवधि के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या	उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहां निगम में देयता		जोड़ (4+5)	वर्ष/अवधि के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या (2+3-6)
			आयी	नहीं आयी		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1962	287	–	2	9	11	276
1963 से 1965	276	1	7	161	168	109
1966 से 1970	109	1	5	22	27	83
1971 से 1975	83	544	–	16	16	611
1976 से 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 से 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 से 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-1991	1921	8	5	2	7	1922
1991-1992	1922	14	2	3	5	1931
1992-1993	1931	3	2	1	3	1931
1993-1994	1931	63	1	3	4	1990
1994-95	1990	36	–	1	1	2025

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के अंत में बीमाकृत बैंकों की श्रेणीवार स्थिति का अलग-अलग विवरण

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
1992-93	80	196	1655	1931
1993-94	80	196	1714	1990
1994-95	90	196	1739	2025

अनुबंध - II

बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
(31 मार्च 1995 की स्थिति)

I.	वाणिज्य बैंक.....	90
II.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.....	196
III.	सहकारी बैंक.....	1739
		2025

सहकारी बैंकों का राज्यवार अलग-अलग विवरण

	राज्य	अपैक्स	सेन्ट्रल	प्राइमरी	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	1	22	61	84
2.	आसाम	1	1	8	10
3.	बिहार	1	34	3	38
4.	दिल्ली	1	–	14	15
5.	गोवा	1	–	6	7
6.	गुजरात	1	21	290	312
7.	हरियाणा	1	13	8	22
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
9.	जम्मू और कश्मीर	1	3	3	7
10.	कर्नाटक	1	22	208	231
11.	केरल	1	14	56	71
12.	मध्य प्रदेश	1	45	46	92
13.	महाराष्ट्र	1	31	392	424
14.	मणिपुर	1	–	5	6
15.	उड़िसा	1	17	14	32
16.	राजस्थान	1	27	24	52
17.	तमिलनाडू	1	21	133	155
18.	त्रिपुरा	1	–	1	2
19.	उत्तर प्रदेश	1	57	46	104
20.	पश्चिम बंगाल	1	17	48	66
	केन्द्र शासित क्षेत्र				
1.	पॉंडिचेरी	1	–	1	2
2.	दमण और दीव	–	–	–	–
	जोड़	21	347	1371	1739
	पंजाब	1	17	5	23*

* 1.4.1995 से बीमाकृत

अनुबंध - II ए

वर्ष 1994-95 के दौरान पंजीकृत/बीमाकृत बैंक

I. वाणिज्य बैंक

1. इंडुसिंड बैंक लिमिटेड
2. आइ.सी.आइ.सी.आइ. बैंकिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
3. यू.टी.आइ. बैंक लिमिटेड
4. द चेज मैनहट्टन बैंक लिमिटेड
5. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड
6. द डेवलपमेन्ट बैंक आफ सिंगापुर लिमिटेड
7. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड
8. स्टेट बैंक आफ मॉरिशस लिमिटेड
9. सेंट्रूरियन बैंक लिमिटेड
10. सिक्किम बैंक लिमिटेड

II. सहकारी बैंक

राज्य	बैंक का नाम
आंध्र प्रदेश	1. आर्यन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड
कर्नाटक	1. ओणाके ओबावा महिला को-आपरेटिव बैंक लि. 2. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट महिला को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 3. चैतन्य महिला को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 4. सिद्धगंगा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 5. श्री चन्नबसवस्वामी अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि.
महाराष्ट्र	1. सातारा डिस्ट्रिक्ट मर्चन्ट को-आपरेटिव बैंक लि. 2. अजिंक्यतारा सहकारी बैंक लिमिटेड 3. संत जनाबाई नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 4. चेतक अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 5. महिला अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 6. अमन सहकारी बैंक लिमिटेड 7. पूर्णा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 8. अमरावती मर्चन्टस् सहकारी बैंक मर्यादित 9. प्रियदर्शिनी महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 10. महेश अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड 11. श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड 12. जयप्रकाश नारायण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड 13. यवतमाल महिला सहकारी बैंक लिमिटेड

अनुबंध - II ए (जारी)

राज्य	बैंक का नाम
मध्य प्रदेश	1. लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
	2. भोज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
	3. विवेकानन्द नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
	4. विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
	5. नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, छिंदवाडा
	6. व्यापारिक औद्योगिक सहकारी बैंक लिमिटेड
राजस्थान	1. सवाई माधोपुर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड
	"ख" विपंजीकृत
महाराष्ट्र	* दक्कन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

* इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, महाराष्ट्र में विलय

अनुबंध - III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार और जून 1981 से जून 1994 तक के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णत: संरक्षित खातों की संख्या* (लाखों में)	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	(3) के प्रति (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियाँ* (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.97	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6
1994-95	4,956.05	4,993.99	99.2	2,66,746.65	3,64,057.60	73.3

* अर्थात् खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक रु. 1,500/- 1981 से 1992-93 तक रु. 30,000/- और 1993-94 के बाद रु. 1.00 लाख से अनधिक शेष राशियाँ रहीं।

अनुबंध - IV

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को (वर्गवार) प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	कुल निर्धारण योग्य जमाराशियाँ (करोड़ रुपये में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1992-93	वाणिज्य बैंक	80	59	1,41,356.73	2,12,759.40	66.44
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	116	2,995.59	3,430.41	87.32
	सहकारी बैंक	1,655	1,065	20,174.25	28,185.57	71.58
	जोड़	1,931	1,240	1,64,526.57	2,44,375.38	67.33
1993-94	वाणिज्य बैंक	80	65	1,41,794.51	2,16,024.27	65.64
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	130	4,003.92	4,398.41	91.03
	सहकारी बैंक	1,714	1,122	22,606.39	28,611.15	79.01
	जोड़	1,990	1,317	1,68,404.82	2,49,033.83	67.62
1994-95	वाणिज्य बैंक	90	67	2,15,264.62	3,03,895.17	70.84
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196	152	5,784.95	6,386.83	90.58
	सहकारी बैंक	1,739	1,053	45,697.08	53,775.81	84.98
	जोड़	2,025	1,272	2,66,746.65	3,64,057.61	73.27

अनुबंध - V

अदा किये गये और प्रावधान किये गये निक्षेप बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ 31 मार्च 1995 की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये उसे कोष्ठकों में दर्शाया गया है)	कुल बीमाकृत जमाराशियाँ जो अदा की गयी और जिनके लिए प्रावधान किया गया	निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ	शेष राशि (3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
I. वाणिज्य बैंक				
	i) ऐसे बैंकों का विवरण जिनके मामले में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है			
S 1.	बैंक आफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	–
* 2.	श्री जादेय शंकर लिंग बैंक लिमिटेड, बीजापुर (1965)	0.12	0.12	–
* 3.	बैंक आफ बिहार लिमिटेड, पटना (1970)	46.32	46.32	–
* 4.	कोचिन नायर बैंक लिमिटेड, त्रिचुर (1964)	7.04	7.04	–
* 5.	लेटीन ख्रिस्तियन बैंक लिमिटेड, एर्नाकुलम् (1964)	2.08	2.08	–
	जोड़ ''क''	64.81	64.81	–
	ii) उन बैंकों से संबद्ध विवरण जिनके मामले में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति की गयी है और बकाया शेष राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है।			
* 6.	यूनिटी बैंक लिमिटेड, मद्रास (1963)	2.52	1.38 (1.14)	–
* 7.	उन्नाव कमर्शियल बैंक लिमिटेड, उन्नाव (1946)	1.06	0.31 (0.75)	–
* 8.	चावला बैंक लिमिटेड, देहरादून (1969)	0.18	0.14 (0.04)	–
* 9.	मैट्रोपालिटन बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1964)	8.74	4.42 (4.32	–
* 10.	सदर्न बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1964)	7.28	3.73 (3.55)	–
* 11.	बैंक आफ अलगपुरी लिमिटेड, अलगपुरी (1963)	0.28	0.10 (0.10)	–
	जोड़ ''ख''	20.06	10.16 (9.90)	–

(कोष्ठकों में दर्शाए गए आँकड़े बट्टे खाते डाली गयी राशि को दर्शाते हैं)

जारी..

अनुबंध - V (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.
iii)	उन बैंकों के संबंध में विवरण जिनके मामले में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है।			
* 12.	नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99	0.88	0.11
		(0.85)		(0.85)
* 13.	हबीब बैंक लिमिटेड, बंबई (1966)	17.26	16.78	0.48
		(1.18)		(1.18)
	(कोष्ठकों में दर्शाए गए आँकड़े समामेलन योजना के अंतर्गत निषिद्ध भुगतानों से संबंधित हैं)			
* 14.	नेशनल बैंक आफ लाहौर लिमिटेड, दिल्ली (1970)	9.69	–	9.69
* 15.	बैंक आफ कोचीन लिमिटेड, कोचीन (1986)	1162.78	497.32	665.46
* 16.	मिरज स्टेट बैंक लिमिटेड, मिरज (1987)	146.59	36.41	118.18
* 17.	लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, दिल्ली (1987)	3340.62	694.88	2645.74
* 18.	हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लिमिटेड, दिल्ली (1988)	2191.67	176.56	2015.11
* 19.	यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता (1990)	3501.58	38.56	3463.02
* 20.	ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली (1990)	306.34	130.04	176.30
* 21.	बैंक आफ तंजावुर लिमिटेड, (1990)	1078.36	213.37	864.99
* 22.	बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड, (1990)	764.50	112.33	652.17
* 23.	परूर सेंट्रल बैंक लिमिटेड, नार्थ परूर (1990)	260.92	71.71	189.21
* 24.	पूर्वांचल बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी (1990)	725.77	51.53	674.24
@ 25.	बैंक आफ कराड़ लिमिटेड, बंबई (1992)	3700.00	1468.87	2231.13
	जोड़ ''ग''	17207.07	3509.24	13697.83
	जोड़ ''क'' + ''ख'' + ''ग''	17291.94	3584.21	13697.83
II. सहकारी बैंक				
i)	ऐसे बैंकों का विवरण जिनके मामले में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है			
SS 26.	मालवन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मालवन (1977)	1.86	1.84	+
% 27.	बाम्बे पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1978)	10.72	10.72	++
@ 28.	दाधीच सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (1984)	18.37	18.37	+++
	जोड़ ''घ''	30.93	30.93	–
ii)	ऐसे बैंकों का विवरण जिनके मामले में निगम को पूर्ण प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है			
@ 29.	बंबई कामर्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1976)	5.73	–	5.73
@ 30.	घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (1977)	2.76	–	2.76
@ 31.	आरे मिल्क कालोनी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1978)	0.60	–	0.60
* 32.	रत्नागिरि अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, रत्नागिरि (1978)	46.43	12.33	34.10
* 33.	विश्वकर्मा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1979)	11.57	5.60	5.97

जारी..

अनुबंध - V (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.
* 34.	प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (1979)	7.02	3.06	3.96
* 35.	कलाविहार को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1979)	13.17	3.31	9.86
@ 36.	रामदुर्ग अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, रामदुर्ग (1981)	2.30	–	2.30
* 37.	वैश्य को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर (1982)	91.31	12.95	78.36
@ 38.	कोल्लूर पार्वती को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्लूर (1985)	13.96	–	13.96
* 39.	आदर्श को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैसूर (1985)	2.74	0.65	2.09
* 40.	कुर्दूवाडी मर्चेंट्स अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1986)	4.85	3.54	1.31
@ 41.	गदग अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, गदग (1986)	22.85	9.66	13.19
@ 42.	मणिहाल अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, मणिहाल (1987)	9.61	2.28	7.33
@ 43.	हिंद अर्बन को-आपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड, लखनऊ (1988)	10.95	–	10.95
@ 44.	येलामंचिली को-आप. क्रेडिट बैंक लिमिटेड, येलामंचिली (1990)	4.36	–	4.36
@ 45.	वसावी को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुरजाला (1991)	3.89	–	3.89
@ 46.	कुंडारा को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कुंडारा (1991)	17.37	7.01	10.36
@ 47.	मनोली श्री पंचलिंगेश्वर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मनोली (1991)	17.44	1.00	16.44
@ 48.	सरदार नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बड़ौदा (1991)	74.85	–	74.85
@ 49.	मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1992)	125.00	–	125.00
* 50.	बेलगाम मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1993)	37.11	–	37.11
@ 51.	भद्रावती टाउन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (1994)	0.26	–	0.26
@ 52.	भिलोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, भिलोड़ा (1994)	19.84	–	19.84
@ 53.	सिटीजनस् अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर (1994)	220.57	–	220.57
	जोड़ ''ङ''	766.54	61.39	705.15
	जोड़ ''घ'' + ''ङ''	797.47	92.32	705.15
	जोड़: ''क'' + ''ख'' + ''ग'' + ''घ'' + ''ङ''	18,089.41**	3,676.53	14,402.98

S बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया।
SS बैंक ने पुनः कार्यारम्भ किया तथा स्वैच्छिक रूप से 1984 में सारस्वत को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ।
* समामेलन योजना
@ परिसमापन में लिए गए बैंक
+ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की रु.0.02 लाख की राशि पुरांकित की गयी।
++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की रु.2.07 लाख की राशि पुरांकित की गयी।
+++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की रु.0.14 लाख की राशि पुरांकित की गयी।
% बैंक ने पुनः कार्यारम्भ किया तथा स्वैच्छिक रूप से 1981 में सारस्वत को'आपरेटिव बैंक लिमिटेड में समामेलित हुआ।
** राशि में बैंक आफ कराड़ लिमिटेड (रु 0.37 करोड़) और मैट्रोपालिटन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (रु.1.25 करोड़) दोनों को परिसमापन में लिया गया) को किए गए खातागत भुगतान शामिल हैं।

टिप्पणी : ऊपर दिये गये दावों के आँकड़े समायोजन बाद के हैं।

अनुबंध - VI

वर्ष 1994-95 के दौरान निगम की तीन ऋण गारंटी योजनाओं की सहभागी ऋण संस्थाओं की वर्गवार स्थिति

	योजना का नाम	31 मार्च 1994 को सहभागियों की कुल संख्या				अप्रैल 1994-मार्च 1995 अवधि के दौरान शामिल होनेवाली (+)/अलग होनेवाली (-) ऋण संस्थाएं				31 मार्च 1995 को सहभागियों की कुल संख्या			
		वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	लघु ऋण गारंटी योजना 1971	47	186	-	233	(-)8	(-)11	-	(-)19	39	175	-	214
2.	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984	-	-	22	22	-	-	(-)6	(-)6	-	-	16	16
3.	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981	47	150	111	308	(-)8	(-)11	(-)20	(-)39	139	39	91*	269

* विवरण इस प्रकार है :-

स्टेट को-आपरेटिव बैंक	2
सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक	54
प्राइमरी अर्बन को-आपरेटिव बैंक	35
	191

अनुबंध - VII

I. वर्ष 1994-95 के दौरान सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची से बाहर हुए/हटाए गए बैंकों के योजनावार नाम

क) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

i) वाणिज्य बैंक

1. बैंक आफ कराड लिमिटेड
2. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
3. फैडरल बैंक लिमिटेड
4. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
5. सिटी अर्बन बैंक लिमिटेड, कुंबकोणम्
6. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
7. लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड
8. सांगली बैंक लिमिटेड

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
2. बीजापुर ग्रामीण बैंक
3. एटा ग्रामीण बैंक
4. गोदावरी ग्रामीण बैंक
5. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
6. मालवा ग्रामीण बरूक
7. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
8. पार्वतीय ग्रामीण बैंक
9. सागर ग्रामीण बैंक
10. श्री कनक दुर्गा ग्रामीण बैंक
11. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक

ख) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

1. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
2. सरदारगंज मर्केन्टाइल को'आपरेटिव बैंक लिमिटेड
3. पुरस्वालकम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड
4. त्यागरायनगर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड
5. तूतीकोरिन मेलूर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड
6. उथमपलायम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड

जारी..

अनुबंध - VII (जारी)

ग) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981

i) वाणिज्य बैंक

1. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन
2. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
3. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
4. फैडरल बैंक लिमिटेड
5. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
6. लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड
7. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
8. सांगली बैंक लिमिटेड

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश)
2. बीजापुर ग्रामीण बैंक (कर्नाटक)
3. एटा ग्रामीण बरूक (उत्तर प्रदेश)
4. गोदावरी ग्रामीण बैंक (कर्नाटक)
5. मलप्रभा ग्रामीण बैंक (कर्नाटक)
6. मालवा ग्रामीण बैंक (पंजाब)
7. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक (हिमाचल प्रदेश)
8. पर्वतीय ग्रामीण बैंक (हिमाचल प्रदेश)
9. सागर ग्रामीण बैंक (पश्चिम बंगाल)
10. श्री कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक (आन्ध्र प्रदेश)
11. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक (कर्नाटक)

iii) सहकारी बैंक

1. बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात)
2. चिंताद्रिपेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
3. कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
4. को-आपरेटिव बैंक आफ अहमदाबाद लिमिटेड (गुजरात)
5. कन्याकुमारी सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
6. मैसूर डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड (कर्नाटक)
7. नजरेथ अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडु)
8. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात)

जारी..

अनुबंध - VII (जारी)

9. पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडू)
10. पुरसावलकम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडू)
11. क्विलान डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (केरल)
12. रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडू)
13. सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को-आपरेटिव बैंक लि. (गुजरात)
14. सर्वोदय कमर्शियल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात)
15. सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र)
16. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित (महाराष्ट्र)
17. टेक्सटाईल ट्रेडर्स को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुजरात)
18. त्यागरायनगर को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडू)
19. तिरूचिरापल्ली सिटी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (तमिलनाडू)
20. विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (गुजरात)

अनुबंध - VIII

निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना/उधारकर्ता की श्रेणी	जून के अंत की स्थिति							मार्च के अंत की स्थिति						कुल के प्रति कालम 14 का प्रतिशत
	1972	1981	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.£	10.£	11.£	12.£	13.£	14.£	15.
छोटे उधारकर्ता														
(क) गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ														
I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	**205.71**	**3546.24**	**7045.38**	**8842.29**	**10345.10**	**10998.22**	**14145.67**	**25562.66**	**27676.73**	**29166.66**	**24429.24**	**26339.75**	**25474.28**	**100.00**
i) कृषक और काश्तकार	134.67	2267.52	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	17075.41	67.03
ii) परिवहन चालक	28.29	477.56	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58							
iii) फुटकर व्यापारी	28.34	398.86	709.84	972.45	1991.85	1257.99	1795.38	14519.56$	8727.03$	8973.00$	7514.44$	8102.11$	7840.98$	30.78
iv) व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	9.14	165.66	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99							
v) व्यावसायिक उपक्रम	5.27	150.08	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18							
vi) विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	-	86.56	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	557.89	2.19
II. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971	**2.56**	**10.89**	**52.68**	**69.24**	**85.19**	**92.28**	**108.68**	**2.70**	**4.17**	**-**	**#**	**#**	**#**	
III. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	**0.12**	**1.32**	**0.50**	**0.72**	**0.72**	**0.72**	**1.84**	**0.20**	**0.44**	**0.39**	**#**	**#**	**#**	**#**
IV. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	**-**	**-**	**5.69***	**10.76**	**14.96**	**25.00**	**35.19**	**20.70**	**10.98**	**13.77**	**14.34**	**8.08**	**9.59**	**-**
i) परिवहन चालक	-	-	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31							
ii) फुटकर व्यापारी	-	-	2.64	4.51	5.53	7.67	8.51	20.70$	10.98$	13.77$	14.34$	8.08$	9.59$	
iii) व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति	-	-	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74							
iv) कारोबारी उद्यम	-	-	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63							
I, II, III तथा IV का जोड़	208.39	3558.45	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	25483.87	100.00

जारी.....

अनुबंध - VIII (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.£	10.£	11.£	12.£	13.£	14.£	15.
लघु उद्योग उद्यारकर्ता														
(ख) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना														
I. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981														
कुटीर उद्योगों आदि सहित सभी लघु उद्योग इकाइयाँ	-	3716.43@	4890.96	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	14176.95	
कुल जोड़ (क) + (ख)	208.39	7274.88	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53+	46543.53+	43605.50	41850.49	39660.82	

@ 31 मार्च 1981 की स्थिति

* 31 दिसंबर 1984 की स्थिति

£ विभिन्न सहभागी ऋण संस्थाओं से विवरण प्राप्त न होने के कारण इन कालमों में दर्शाए गए आँकड़े (i) वर्ष के दौरान गारंटी शुल्क के रूप में प्रेषणों से वास्तविक प्राप्तियों (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की निवेश सूची के आँकलनों पर आधारित हैं।

S गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

\+ वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए ऋण संस्थाओं को कुछ श्रेणी के अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल न करने की अनुमति दिये जाने के कारण 31 मार्च 1990 और 1991 के गारंटीकृत अग्रिमों के संशोधित अनन्तिम आँकड़े क्रमशः रु. 35851.33 और रु. 37410.16 करोड़ हैं।

\# 1 अप्रैल 1992 से समाप्त।

अनुबंध - IX

छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		(कॉलम 4 और 5) के अनुसार निपटाये गये दावों में से					
					अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		अस्वीकृत दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1977 के अंत तक	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23
1978 के दौरान	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
1979 के दौरान	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
1980 के दौरान	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
1981 के दौरान	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,218	9.08	582	0.28	1,232	1.77
1982 के दौरान	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
1983 के दौरान	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
1984 के दौरान	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
1985 के दौरान	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
1986 के दौरान	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
1987 के दौरान	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
1988-89 के दौरान	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21
1989-90 के दौरान	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
1990-91 के दौरान	20,87,562	505.05	19,00,904	427.17	18,62,697	415.35	4,202	1.42	34,005	10.40
1991-92 के दौरान	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
1992-93 के दौरान	@36,81,272	@883.29	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
1993-94 के दौरान	@46,72,885	@1167.60	33,58,702	1,026.36	32,88,353	816.44	5,782	188.79	64,567	21.13
जोड़ "क"	**1,81,06,259**	**4,369.03**	**1,47,54,661**	**3,544.22**	**1,41,15,583**	**3,115.59**	**2,89,838**	**323.78**	**3,49,240**	**104.85**
1994-95 के दौरान										
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	47,93,205@	1,348.11	39,11,829	1,100.22	38,60,519	1,078.15	3,390	0.84	47,920	21.23
2. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971	–	–	3	*	3	*	–	–	–	–
3. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	–	–	38	0.04	–	–	38	0.04	–	–
जोड़ "ख" (1+2+3)	**47,93,205@**	**1348.11@**	**39,11,870**	**1,100.26**	**38,60,522**	**1,078.15**	**3,428**	**0.88**	**47,920**	**21.23**
कुल जोड़ (क+ख)	**2,28,99,464@**	**5,717.14@**	**1,86,66,531**	**4,644.48**	**1,79,76,105**	**4,193.74**	**2,93,266**	**324.66**	**3,97,160**	**126.08**

@ अनन्तिम * नगण्य

विचाराधीन दावों का अलग-अलग ब्योरा	संख्या	राशि
1. दावे संसाधित किए गए परन्तु विभिन्न कारणों से भुगतान रोका गया	72,591	19.48
2. दावे संसाधित किये जाने हैं	29,05,977@	817.32@
3. दावे संसाधित किये गये परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में निपटान बकाया	12,54,365	235.86
जोड़	42,32,933@	1,072.66@

अनुबंध - X

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उधारकर्ताओं की श्रेणी	31 मार्च 1994 तक प्राप्त कुल दावे		1994-95 के दौरान प्राप्त दावे		कॉलम 6 की कुल राशि का प्रतिशत	31 मार्च 1995 तक कुल जोड़		कॉलम 9 की कुल राशि का प्रतिशत
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	कृषक और काश्तकार	83,25,495	1,850.63	23,90,371	646.42	47.95	1,07,15,866	2,497.05	43.68
2.	परिवहन चालक	6,92,564	449.37	1,40,920	65.65	4.87	8,33,484	515.02	9.01
3.	फुटकर व्यापारी	47,23,094	1,264.25	14,33,168	419.54	31.12	61,56,262	1,683.79	29.45
4.	व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्ति	16,21,863	372.28	3,19,707	93.42	6.93	19,41,570	465.70	8.14
5.	कारोबारी उद्यम	13,32,759	310.39	3,73,391	104.88	7.78	17,06,150	415.27	7.26
6.	विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधारकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	13,51,807	112.23	1,22,706	14.42	1.07	14,74,513	126.65	2.22
7.	उपभोग और मकान या आवास की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ	58,677	9.88	12,942	3.78	0.28	71,619	13.66	0.24
	जोड़	1,81,06,259@	4,369.03@	47,93,205@	1,348.11@	100.00@	2,28,99,464@	5,717.14@	100.00@

@ अनन्तिमा

वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध गतिविधिवार अनन्तिम आँकड़ों के आधार पर ज्ञात अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक का गतिविधिवार प्रतिशत

अनुबंध - XI

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

अवधि	प्राप्त दावे		निपटाये गये दावे		निपटाये गये दावों में से						मार्च 1995 के अंत में विचाराधीन दावे	
					अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		निरस्त दावे			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	1308	1.74	–	–	–	–	–	–	–	–	1308	1.74
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.01
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.66
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.91
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41	12248	115.82
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67	15672	153.67
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81	20177	197.19
पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 (15 माह)	93716	216.90	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24	32542	257.53
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	74894	192.58	101579	368.08	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27	5857	82.03
पहली अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991	83809	243.71	76148	249.25	65694	131.81	8968	71.53	1486	45.91	13518	76.49
पहली अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992	78447	217.26	80510	255.67	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61	11455	38.08
पहली अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1993	129968	259.98	118147	243.21	100751	94.92	16261	110.35	1135	37.94	23276	54.85
पहली अप्रैल 1993 से 31 मार्च 1994	144165	323.16	123031	287.72	93008	73.55	25728	162.22	4295	51.95	44410	90.29
पहली अप्रैल 1994 से 31 मार्च 1995	189593	378.71	192791	409.31	153743	100.86	34446	235.51	4602	72.94	41212	59.69
जोड़	928020	2238.59	886808	2178.90	719611	900.07	149911	935.64	17286	343.90		

31 मार्च 1995 को विचाराधीन दावों की शाखावार स्थिति

	संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
नागपुर	8908	31.54
कलकत्ता	25924	18.04
मद्रास	3203	5.56
नई दिल्ली	3177	4.55
	41212	59.69

अनुबंध - XII

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान दावों की राशिवार प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	दावा राशि	31 मार्च 1994 को विचाराधीन दावे		वर्ष के दौरान प्राप्ति		वर्ष के दौरान निपटान						वर्ष के दौरान कुल निपटान		31 मार्च 1995 को विचाराधीन दावे	
						अदा किये गये दावे		वापस लिए गये दावे		निरस्त दावे					
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	रु. 25,000/- तक	40295	21.19	169770	87.27	149007	75.17	21274	14.91	2207	3.32	172488	93.40	37577	15.06
2.	रु. 25,000/- से अधिक परंतु रु. 1/- लाख तक	2640	11.08	13977	49.15	4268	15.01	8555	30.55	1142	4.85	13965	50.41	2652	9.82
3.	रु. 1/- लाख से अधिक और रु. 5/- लाख तक	1123	24.41	4200	91.82	434	7.53	3328	72.71	765	17.91	4527	98.15	796	18.08
4.	रु. 5/- लाख से अधिक और रु. 8/- लाख तक	129	8.05	680	42.70	13	0.79	536	33.63	159	9.99	708	44.41	101	6.34
5.	रु. 8/- लाख से अधिक	223	25.56	966	107.77	21	2.36	753	83.71	329	36.87	1103	122.94	86	10.39
	जोड़	44410	90.29	189593	378.71	153743	100.86	34446	235.51	4602	72.94	192791	409.31	41212	59.69

अनुबंध - XIII

वर्ष 1981 से 1994-95 के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

	योजना	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 माह)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36	631.64
2.	लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971*	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	–	–	–	–
3.	सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971*	×	×	×	×	×	×	×	×	0.01	0.01	0.01	–	–	–
4.	लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	–	–	–	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12	0.14
5.	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61	197.35
	जोड़	40.21	57.67	71.17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.83	524.72	565.88	702.78	846.09	829.13

× 1981 रु. 39,000/-
× 1982 रु. 73,000/-
× 1983 रु. 14,000/-
× 1984 रु. 25,000/-
× 1985 रु. 5,000/-
× 1986 रु. 1,000/-
× 1987 रु. 7,000/-
× 1988-89 रु. 58,000/-

* ये योजनाएँ 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दी गई हैं।

अनुबंध - XIV

31 मार्च 1995 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि से निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	दर	जमा बीमा निधि				ऋण गारंटी निधि				सामान्य निधि			
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	दर के अनुसार मूल्य	बही मूल्य के प्रति मूल्य का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
(क)	जिन प्रतिभूतियों में मूल्यह्रास हुआ है													
1.	6.50% ऋण 2003	68.71	2.66	2.66	1.83	68.80	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	6.75% ऋण 2006	63.95	18.22	18.21	11.65	63.98	–	–	–	–	0.65	0.65	0.41	63.08
3.	6.75% ऋण 2007	61.27	1.12	1.12	0.68	60.71	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	7% ऋण 2009	61.76	40.63	40.66	25.09	61.71	–	–	–	–	0.05	0.05	0.03	60.00
5.	7.50% ऋण 2010	64.09	52.58	50.63	33.70	66.56	–	–	–	–	5.87	5.84	3.77	64.55
6.	8% ऋण 2011	66.67	129.03	119.79	86.02	71.81	–	–	–	–	6.80	6.24	4.54	72.76
7.	8.75% ऋण 2010	71.67	3.78	3.78	2.71	71.69	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	9% ऋण 2013	72.42	101.13	99.24	73.24	73.80	–	–	–	–	15.00	15.02	10.86	72.30
9.	9.50% ऋण 2008	78.31	23.19	22.96	18.16	79.09	–	–	–	–	0.65	0.65	6.51	78.46
10.	10% ऋण 2014	79.03	65.27	65.15	51.59	79.19	14.59	14.58	11.53	79.08	10.95	10.97	8.65	78.85
11.	10.25% ऋण 2012	81.33	39.57	39.63	32.18	81.20	–	–	–	–	10.26	10.27	8.34	81.21
12.	10.50% ऋण 1996	99.33	9.11	9.11	9.05	98.80	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	10.50% ऋण 1996 (II)	99.33	–	–	–	–	25.00	25.00	24.83	99.32	–	–	–	–
14.	10.50% ऋण 2014	82.32	55.97	55.96	46.08	82.34	–	–	–	–	7.39	7.38	6.08	82.38
15.	11.50% ऋण 2006	91.35	85.28	86.47	77.90	90.09	20.57	20.57	18.79	91.35	2.00	2.00	1.83	91.50
16.	11.50% ऋण 2007	90.71	–	–	–	–	–	–	–	–	0.03	0.03	0.03	100.00
17.	11.50% ऋण 2008	90.71	5.85	5.85	5.31	90.77	8.35	7.80	7.58	97.18	–	–	–	–
18.	11.50% ऋण 2009	90.44	109.60	109.87	99.12	90.21	102.38	102.42	92.59	90.40	–	–	–	–
19.	11.50% ऋण 2011	90.00	81.32	80.37	73.19	91.07	8.68	8.41	7.81	92.86	–	–	–	–
20.	11.50% ऋण 2015	89.39	87.12	87.14	77.88	89.37	–	–	–	–	11.10	11.12	9.92	89.21
21.	11.64% जी.एस. 2000	96.13	28.90	29.26	27.78	94.94	111.10	111.15	106.80	96.08	–	–	–	–
22.	11.75% जी.एस. 2001	95.81	29.62	29.84	28.38	95.11	30.38	30.38	29.11	95.82	–	–	–	–
23.	12% जी.एस. 2011	93.21	77.04	76.71	71.81	93.61	348.07	345.62	324.44	93.87	–	–	–	–
24.	12.30% जी.एस. 1998	99.48	36.40	36.40	36.21	99.48	44.55	44.61	44.32	99.35	–	–	–	–
25.	12.50% जी.एस. 2004	97.70	33.28	34.39	32.51	94.53	100.00	101.25	97.70	96.49	–	–	–	–
26.	12.50% ऋण 2007	97.00	22.90	23.00	22.21	96.56	361.10	362.57	350.27	96.61	–	–	–	–
27.	12.60% जी.एस. 2000	99.60	–	–	–	–	45.00	45.09	44.82	99.40	–	–	–	–
28.	12.70% जी.एस. 2001	97.71	–	–	–	–	75.00	75.15	74.78	99.51	–	–	–	–
29.	12.75% जी.एस. 1996	101.40	16.35	16.72	16.58	99.16	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	13.12% जी.एस. 1999	101.48	1.55	1.68	1.57	93.45	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	"0" कूपन बॉंड 2000	54.00	3.93	2.13	2.12	99.53	–	–	–	–	–	–	–	–
	जोड़ (क)		1161.40	1148.78	964.55	83.96	1294.77	1294.60	1235.37	95.42	70.75	70.22	54.97	78.28

जारी..

अनुबंध - XIV (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
(ख)	जिन प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि हुई है													
1.	5.75% ऋण 2002	67.93	3.00	1.86	2.04	109.68	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	12% जी.एस. 1995	100.71	31.78	31.78	32.01	100.72	20.50	20.46	20.64	100.88	–	–	–	–
3.	12% जी.एस. 1997	100.47	–	–	–	–	51.00	50.99	51.24	100.49	–	–	–	–
4.	12.75% जी.एस. 1996	100.40	–	–	–	–	41.52	41.86	42.10	100.57	–	–	–	–
5.	13.40% जी.एस. 2002	103.40	67.52	67.85	69.57	102.54	92.28	92.74	95.09	102.53	–	–	–	–
6.	"0" कूपन बॉंड 1999	61.64	125.00	69.36	77.05	111.09	–	–	–	–	–	–	–	–
	जोड़ (ख)		227.30	170.85	180.67	105.75	205.30	206.05	209.07	101.47	–	–	–	–
	जोड़ (क)+(ख)		1388.70	1319.63	1145.22	86.78	1500.07	1500.65	1444.44	96.25	70.75	70.22	54.97	78.28

क्र.सं.	परिपक्वता तारीख	अंकित मूल्य	लागत	दर	प्राप्ति	अंकित मूल्य	लागत	दर	प्राप्ति	अंकित मूल्य	लागत	दर	प्राप्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(घ)	भारत सरकार के 364 दिवसीय खजाना बिल												
1.	14 अप्रैल 1995	12.20	11.21	91.8725 से 91.9198	9.36	2.19	2.17	91.9198 से 99.6154	9.36 से 10.06	–	–	–	–
2.	28 अप्रैल 1995	1.95	1.81	91.4709 से 96.9725	9.40 से 9.80	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	12 मई 1995	10.93	10.24	91.5181 से 95.0621	8.86 से 9.64	0.16	0.15	91.4945	9.00	–	–	–	–
4.	26 मई 1995	11.23	10.53	91.5654 से 94.0225	8.89 से 9.39	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	9 जून 1995	50.72	46.32	91.3276	10.02	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	7 जुलाई 1995	3.79	3.49	92.0838 से 92.1305	9.23	0.11	0.10	92.1305	9.23	–	–	–	–
7.	4 अगस्त 1995	24.27	22.25	91.6661 से 91.7569	9.21 से 9.27	1.37	1.26	91.7569 से 91.6868	9.26	–	–	–	–
8.	1 सितंबर 1995	0.35	0.33	93.0043 से 94.5214	9.47 से 13.30	22.84	21.51	93.0043 से 94.7683	9.47 से 13.40	0.03	0.03	94.7363	13.00
9.	15 दिसंबर 1995	5.20	4.78	91.9231	9.14	–	–	–	–	–	–	–	–

जारी..

अनुबंध - XIV (जारी)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
10.	13 अक्तूबर 1995	2.13	1.96	91.5654 से 91.9462	9.14 से 9.39	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	27 अक्तूबर 1995	2.95	2.71	91.6196 से 92.7223	13.50	11.88	10.99	91.6196 से 92.7223	9.15 से 13.45	–	–	–	–
	जोड़ (ग)	125.72	115.63			38.55	36.18			0.03	0.03		
	जोड़: (क)+(ख)+(ग)	1,514.42	1,435.26			1,538.62	1,536.83			70.78	70.25		

	जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	सामान्य निधि
बही मूल्य	1148.78	1294.60	70.22
घटाइए : ह्रासित मूल्य	964.55	1235.37	54.97
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	184.23	59.23	15.25
वर्तमान प्रावधान	161.75	67.20	16.38
अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान	22.48	"कुछ नहीं"	"कुछ नहीं"

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

व्यास एण्ड व्यास,
सनदी लेखाकार,
भोला सदन,
एम.आइ. रोड,
जयपुर-302 001.

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1995 तक के (i) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी निधि और (ii) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:

i) लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराये गये;

ii) उपर्युक्त तुलन पत्र और आय व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीति और लेखों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सूचना प्रस्तुत करते हैं और निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति को दर्शाया गया है:

(क) तुलन पत्रों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (ii) उपर्युक्त निगम की निधियों की सामान्य निधि की 31 मार्च 1995 की स्थिति।

(ख) आय व्यय लेखों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि के मामले में अतिरिक्त और (ii) निगम की ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के घाटे की उपर्युक्त तारीखों की स्थिति।

वास्ते व्यास एण्ड व्यास
सनदी लेखाकार

ह.

(ओ. पी. व्यास)
पार्टनर

बम्बई,
दिनांक 29 जून 1995

निक्षेप बीमा और

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के

(विनियम 18

31 मार्च 1995 की कारोबार समाप्ति

I जमा बीमा

पिछले वर्ष							
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		देयताएँ	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
लाख रुपये	लाख रुपये			लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
8030.00	152073.00	1.	निधि (वर्ष के अंत में शेष)		16885.00		179271.00
12485.33	–	2.	अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष)		163.88		–
16174.88	6720.21	3.	निवेश रिज़र्व: वर्ष के आरंभ में शेष	16174.88		6720.21	
–	–		जोड़िए: वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	2247.88		–	
16174.88	6720.21				18422.76		6720.21
–	2023.11	4.	ऐसे दावे जो प्राप्त हो गये हैं और स्वीकार कर लिए गये हैं परंतु जिनका भुगतान नहीं हुआ है		–		2025.56
811.62	74191.36	5.	प्राप्त हो चुके दावों और स्वीकार न किये गये दावों के मामले में अनुमानित देयता		1592.36		101732.90
82.70	–	6.	अदावाकृत बीमा राशियाँ		86.56		–
		7.	अन्य देयताएँ				
5284.24	2119.22		i) फुटकर लेनदार	5894.45		2119.22	
85804.95	–		ii) ऋण गारंटी निधि	120673.70		–	
12081.45	–		iii) आयकर के लिए प्रावधान	12081.45		–	
103170.64	2119.22				138649.60		4726.51
140755.17	237126.90		जोड़		175800.16		294476.18

टिप्पणी: *जीरो कूपन बाँडों पर उपचित ब्याज रु. 1066.60 लाख के निवल समायोजनों का निवेश बाजार मूल्य।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार

(ओ. पी. व्यास)
पार्टनर

बंबई,
दिनांक: 29 जून 1995

(आर. वी. गुप्ता)
अध्यक्ष

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(एस. एन. राजदान)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(आर. एन. वर्मा)
मुख्य महा प्रबंधक

(सुश्री मोना शर्मा)
निदेशक

(पी. एन. जोशी)
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म "क")

के समय का तुलन-पत्र

और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष			आस्तियाँ				
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि			जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
लाख रुपये	लाख रुपये			लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
2.27	422.79	1.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा		6.78		148.98
113841.09	132141.62	2.	केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		143526.82		153683.19
				जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		
				लाख रुपये	लाख रुपये		
			अंकित मूल्य	151441.83	153862.52		
			बाजार मूल्य*	126085.66	148062.35		
4126.87	4030.03	3.	निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		6163.01		4205.50
		4.	अन्य आस्तियाँ				
306.73	800.19		I) बैंकों/ऋण संस्थाओं में किस्त, गारंटी शुल्क और अधिक दावा अदाकृत के रूप में बकाया	659.53		10.25	
4.91	145.82		II) अतिदेय किस्त और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	11.68		25.86	
0.06	–		III) गैर संवितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक के परिसमापक के पास राशि	0.06		–	
–	85804.95		IV) जमा बीमा निधि	–		120673.70	
22475.24	13252.29		V) स्त्रोत पर आयकर की कटौती	24139.31		15728.70	
–	529.21		VI) विविध देनदार	1292.97		–	
22786.94	100532.46		जोड़		26103.55		136438.51
140755.17	237126.90				175800.16		294476.18

(यू. महेश राव)
निदेशक

(एन. पी. सारडा)
निदेशक

(पी. डब्ल्यू. रेगे)
निदेशक

(के. आर. राममूर्ती)
निदेशक

(ई. सी. नायर)
निदेशक

(रशीद जिलानी)
निदेशक

(के. प्रसाद)
मुख्य लेखाकार

पिछले वर्ष		व्यय	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि					
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
		दावे				
57.13	88246.04	(क) वर्ष के दौरान अदाकृत	220.51		115256.93	
–	2023.11	(ख) स्वीकारे गये किंतु अदा न किये गये दावे	–		2025.56	
		जोड़िये:				
811.62	74191.36	वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामले में अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गये परन्तु स्वीकृत नहीं किये गये हैं	–		–	
868.75	164460.51		1812.87		219015.39	
		घटाइए:				
624.25	69968.73	उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो प्राप्त हो चुके थे किंतु पिछले वर्ष के अंत तक स्वीकृत नहीं हुए हैं	811.62		74191.36	
		जोड़िये:				
–	–	पुरांकित रु. 591.05 लाख अतिरिक्त प्रावधान (दुतरफा)	591.05		–	
244.50	94491.78	**निवल दावे**		1592.30		144824.03
–	–	निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		2247.88		–
–	–	निवेश की बिक्री पर घाटा		–		–
–	75.04	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		–		–
8030.00	152073.00	वर्ष के अंत में निधि शेष (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार)		16885.00		179271.00
28925.30	–	नीचे लाया गया शुद्ध अधिशेष		22547.30		–
37199.80	246639.82			43272.48		324095.03
–	38219.12	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा		–		34868.75
38219.12	–	ऋण गारंटी निधि में अंतरण (दुतरफा)		34868.75		–
23.75	–	वित्त वर्ष 1992-93 के आयकर के लिए अल्प प्रावधान		–		–
363.70	–	वित्त वर्ष 1989-90 के आयकर के लिए अल्प प्रावधान		–		–
12485.33	–	तुलन-पत्र में लाया गया शेष		163.88		–
51091.90	38219.12	**जोड़:**		35032.63		34868.75

टिप्पणी: जहाँ आवश्यक हुआ पिछले वर्षों के आँकड़ों को पुन: वर्गीकृत किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार

(ओ. पी. व्यास)
पार्टनर

बंबई,
दिनांक: 29 जून 1995

(आर. वी. गुप्ता)
अध्यक्ष

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(एस. एन. राजदान)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(आर. एन. वर्मा)
मुख्य महा प्रबंधक

(सुश्री मोना शर्मा)
निदेशक

(पी. एन. जोशी)
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम

'ख')

वर्ष का आय-व्यय लेखा

और ऋण गारंटी निधि

पिछले वर्ष						
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	आय			जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
लाख रुपये	लाख रुपये				लाख रुपये	लाख रुपये
8958.00	90749.00	वर्ष के आरंभ में निधि शेष			8030.00	152073.00
15635.12	–	जमा बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित)			19328.56	–
–	84608.65	गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)			–	82913.71
131.57	13473.67	जमा बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियाँ (ब्याज सहित)			1705.79	33117.22
868.98	–	जमा बीमा दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान (पुनरांकित दुतरफा)			591.05	–
10783.41	18463.27	निवेश से प्राप्त आय (सकल)			13603.80	21101.43
			जमा बीमा निधि (लाख रुपये)	ऋण गारंटी निधि (लाख रुपये)		
		स्रोत पर कर की कटौती वर्ष 1994-95	2943.77	4492.03		
		पिछले वर्ष	2396.65	3882.45		
822.72	1126.11	अग्रिम कर/टीडीसी पर ब्याज			13.28	20.92
–	38219.12	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा			34868.75	–
37199.80	246639.82				43272.48	324095.03
22166.60	–	पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			12485.33	–
28925.30	–	नीचे लाया गया शुद्ध शयिशेष			22547.30	–
–	38219.12	जमा बीमा निधि से अंतरण (दुतरफा)			–	34868.75
51091.90	38219.12	जोड़:			35032.63	34868.75

(यू. महेश राव)
निदेशक

(के. आर. राममूर्ती)
निदेशक

(एन. पी. सारडा)
निदेशक

(ई. सी. नायर)
निदेशक

(के. प्रसाद)
मुख्य लेखाकार

(पी. डब्ल्यू. रेगे)
निदेशक

(रशीद जिलानी)
निदेशक

निक्षेप बीमा और

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(विनियम 18 –

31 मार्च 1995 की समाप्ति

II सामान्य

पिछले वर्ष (लाख रुपये)		देयताएँ	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
	1.	**पूँजी**			
5,000.00		निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी			5,000.00
	2.	**प्रारक्षित निधियाँ**			
		(क) सामान्य रिज़र्व			
1,338.96		वर्ष के आरंभ में शेष	1,129.35		
209.61		घटाइए: आय व्यय लेखा से अंतरित घाटा	242.25		
1,129.35		वर्ष के अंत में शेष		887.10	
		(ख) निवेश रिज़र्व			
1,638.47		वर्ष के आरंभ में शेष	1,638.47		
–		जोड़िए: वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	–		
1,638.47		वर्ष के अंत में शेष		1,638.47	
22.51		**(ग) पूँजी रिज़र्व**		22.51	
2,790.33					2,548.08
	3.	**चालू देयताएँ और प्रावधान**			
452.94		बकाया व्यय	623.19		
1.03		विविध लेनदार	0.86		
223.00		आयकर के लिए प्रावधान	223.00		
676.97					847.05
8,467.30		**जोड़:**			8,395.13

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार

(ओ. पी. व्यास)
पार्टनर

बंबई,
दिनांक: 29 जून 1995

(आर. वी. गुप्ता)
अध्यक्ष

(गंगाधर गाडगिल)
निदेशक

(एस. एन. राजदान)
निदेशक

(एस. एच. खान)
निदेशक

(आर. एन. वर्मा)
मुख्य महा प्रबंधक

(सुश्री मोना शर्मा)
निदेशक

(पी. एन. जोशी)
निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

फार्म ''क'')

के समय का तुलन-पत्र

निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)		आस्तियाँ		लाख रुपये	लाख रुपये
	1.	नकद			
0.13		(i) हाथ में		1.11	
28.67		(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास		3.53	
28.80					3.64
7,217.65	2.	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)	(लाख रुपये)		7,025.22
		अंकित मूल्य	7,078.49		
		बाजार मूल्य	5,500.40		
256.44	3.	निवेश पर प्रोदभूत ब्याज			250.16
	4.	अन्य आस्तियाँ			
18.93		क) मूल्यह्रास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण		17.17	
1.37		ख) लेखन सामग्री का स्टाक		1.25	
2.73		ग) पूर्वदत्त व्यय		0.92	
47.36		घ) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिज़र्व बैंक से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भत्ते और अन्य जमा राशियाँ		34.32	
889.93		ङ) आयकर कटौती स्रोत पर		940.84	
		च) बकाया राशि			
0.11		(i) ऋण गारंटी निधि में		121.61	
3.48		(ii) जमा बीमा निधि में		–	
964.41					1,116.11
8,467.30		जोड़:			8,395.13

(यू. महेश राव)
निदेशक

(एन. पी. सारडा)
निदेशक

(पी. डब्ल्यू. रेगे)
निदेशक

(के. आर. राममूर्ती)
निदेशक

(ई. सी. नायर)
निदेशक

(रशीद जिलानी)
निदेशक

(के. प्रसाद)
मुख्य लेखाकार

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(फार्म "ख")

31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय लेखा

II सामान्य निधि

पिछले वर्ष (लाख रुपये)	व्यय	(लाख रुपये)		पिछले वर्ष (लाख रुपये)	आय	(लाख रुपये)	
706.69	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	774.69		718.30	निवेशों से आय (सकल) (स्रोत पर आयकर की कटौती रु. 171.27 लाख) (पिछले वर्ष : रु. 177.96 लाख)	700.87	
77.50	कर्मचारी पेंसन और उपदान निधि में अंशदान	27.50					
0.02	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.04		14.01	लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन दावा अदाकृत लेखों से प्राप्त वसूलियाँ	21.09	
0.08	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	0.28					
90.13	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	88.12					
9.07	स्थापना, यात्रा और विराम भत्ते	13.99		0.97	विविध प्राप्तियाँ		0.69
–	कम्प्यूटर उपभोज्य सामग्री	1.34					
8.22	मुद्रण और लेखन सामग्री	5.40		3.44	अग्रिम कर पर ब्याज/स्रोत पर कर कटौती		1.25
4.55	डाक, तार और टेलीफोन	4.94		209.61	वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च को कम करने पर शेष नीचे लाया गया		242.25
0.49	लेखा परीक्षकों का शुल्क	0.49					
2.69	विधि प्रभार	1.93					
43.10	विविध व्यय	44.19					
3.79	मूल्यह्रास	3.24					
–	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	–					
–	वर्ष के लिए आय की तुलना में अधिक खर्च नीचे लाया गया	–					
946.33	जोड़		966.15	946.33	जोड़		966.15
209.61	शेष नीचे लाया गया	242.25		209.61	सामान्य रिज़र्व में अंतरित आय से अधिक व्यय शेष		242.25
–	आय की तुलना में अधिक खर्च सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया	–		–	शेष नीचे लाया गया		–
209.61	जोड़		242.25	209.61	जोड़		242.25

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते मैसर्स व्यास एंड व्यास
सनदी लेखाकार

(ओ. पी. व्यास)
पार्टनर

बंबई,
दिनांक: 29 जून 1995

(आर. वी. गुप्ता) अध्यक्ष
(एस. एन. राजदान) निदेशक
(सुश्री मोना शर्मा) निदेशक
(यू. महेशराव) निदेशक
(एन. पी. सारडा) निदेशक
(पी. डब्ल्यू. रेगे) निदेशक
(गंगाधर गाडगिल) निदेशक
(एस. एच. खान) निदेशक
(पी. एन. जोशी) निदेशक
(के. आर. राममूर्ती) निदेशक
(ई.सी. नायर) निदेशक
(रशीद जिलानी) निदेशक
(आर. एन. वर्मा) मुख्य महा प्रबंधक
(के. प्रसाद) मुख्य लेखाकार

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

वित्तीय विवरण लाभकारी कारोबार संस्थान विचारधारा को ध्यान में रखते हुए और ऐतिहासिक लागत आधार पर तथा देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

2. आय और खर्च पहचान

i) आय और व्यय की मदें अन्यथा स्थिति को छोड़कर सामान्यत: उपचय आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

ii) जमा बीमा किस्त और गारंटी शुल्क प्राप्तियों का सामान्यत: जमा राशियों और गारंटीकृत अग्रिमों से संबंधित विवरण प्राप्त होने के पश्चात् विनियोजन राजस्व आय में किया जाता है। यदि लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक ऐसे विवरण प्राप्त न हों तो सहभागी ऋण संस्थाओं द्वारा किया गया तदर्थ भुगतान यदि कोई हो तो उसे आय माना जाता है परन्तु, पिछले वर्षों के अभिलेखों की तुलना में यह राशि पर्याप्त होनी चाहिए। असमायोजित राशियाँ विविध लेनदार शीर्ष के अंतर्गत आगे ले जायी जाती हैं।

iii) जमा बीमा किस्तों और गारंटी शुल्क की वसूली न गयी राशि को तब तक आय में नहीं गिना जाता जब तक कि सहभागी ऋण संस्थाओं से संबंधित विवरण प्राप्त नहीं हो जाता।

iv) गारंटी शुल्क और बीमा किस्तों के भुगतान में विलम्ब के लिए दंडस्वरूप ब्याज को ऐसे भुगतान की तारीख तक की आय में गिना जाता है और किस्तों/गारंटी शुल्क की बकाया राशि पर ब्याज को आय नहीं माना जाता है।

v) निपटाये गये जमा बीमा दावों/अदाकृत गारंटी दावों के संबंध में प्रस्थापन अधिकारों के कारण वसूली (दंडस्वरूप ब्याजसहित) को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होती है। इसी प्रकार निपटाये गये दावों और बाद में अपात्र पायी गयी वसूलियों को वसूली/समायोजन के बाद ही हिसाब में लिया जाता है।

vi) निवेशों पर ब्याज को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

vii) ऋण गारंटी निधि से संबंधित ऐसे दावे जो सूचित तो हो गए हैं परन्तु स्वीकारे नहीं गए हैं, के संबंध में वर्षांत देयता प्रावधान पिछली प्रथा को ध्यान में रखते हुए यथोचित आधार पर किया जाता है।

viii) ऋण गारंटी निधि और जमा बीमा निधि के संबंध में वर्ष के अन्त में निधि शेष के रूप में देयता का बीमांकिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

ix) गारंटी शुल्क की वापसी के लिए दावे और निपटाये गये दावों के बदले चुकौतियाँ निगम द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद हिसाब में ली जाती हैं। ऐसे वापसी दावों के संबंध में वर्षान्त देयता (कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत आनेवाले मामलों सहित) और वर्ष की समाप्ति के समय निधि शेष के बीमांकिक मूल्यांकन पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं हो पाया है।

x) भारतीय रिज़र्व बैंक से कुछ संस्थागत व्ययों यथा छुटट्टी, वेतन आदि से संबंधित प्रतिपूर्ति दावों को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3. निवेश

i) निवेशों का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की खरीद दरें उपलब्ध हैं उन्हें बाजार दरें माना गया है तथा अन्य मामलों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अवधि समाप्ति सारणियों पर 12% आय की सांकेतिक दरों पर आधारित हैं।

ii) प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यह्रास का प्रावधान तुलन पत्र में निवेशों में कटौती करके नहीं किया जाता अपितु ऐसा प्रावधान लेखों के विवरण के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुरूप निवेश रिज़र्व लेखा में संचयन के रूप में किया जाता है।

iii) जीरो कूपन बांडस् की अधिग्रहण लागत और प्रतिदेय मूल्य में अन्तर को आय माना जाता है तथा उसे बांड की अवधि की समाप्ति पर प्रत्येक वित्त-वर्ष के हिसाब में आनुपातिक रूप से बीमांकन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iv) प्रतिभूतियों का अन्तर निधि अन्तरण लागत मूल्य पर किया जाता है।

4. अचल आस्तियाँ

i) अचल आस्तियों को लागत में मूल्यह्रास कम कर के दर्शाया जाता है।

ii) मूल्यह्रास का प्रावधान अवलेखन मूल्य आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक की बैंकिंग विभाग की नियम पुस्तक में दर्शायी दरों पर किया जाता है।

5. लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी)

सरकार के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अन्तर्गत दावा अदाकृत के संबंध में प्रस्थापन अधिकार के रूप में समय-समय पर प्राप्त वसूलियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत उक्त योजना के अवशिष्ट कार्यों के प्रबंध के लिए संस्थागत लागत खर्च के रूप में सामान्य निधि के आय व्यय लेखा के हिसाब में लिया जाता है।

6. कर्मचारी लागत

वेतन भत्तों, भविष्य निधि और उपदान निधि में योगदान जैसे कर्मचारी लागत खर्च भारतीय रिज़र्व बैंक की व्यवस्था के अनुसार किए जाते हैं चूँकि निगम का संपूर्ण स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है।

7. पिछली अवधि की आय/खर्च

रु. 25,000/- से अधिक आय और खर्च दोनों ही मामलों में पिछली अवधि की भूल चूक की मदें जो चालू अवधि में देखने में आयी हैं पिछली अवधि में जमा/नामे मानी जाती हैं।

कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक के फेल हो जाने पर विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचतों की राशि की हानि के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार की रक्षा से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता करना, जिनके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। छठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्ती भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरु की गई थीं वे अब तक उपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कारवाई की श्रृंखला के रूप में शुरु की गई थी। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जाँगरूकता थी वहां दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यत: ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड की कल्पना एक एजेंसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना :

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरु की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमाराशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समितियां अधिनियमों में संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान पारित कर लिए हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है परन्तु उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 34 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता रु. 1,00,000/- की अधिकतम मौद्रिक सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसकी जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 5 पैसे वार्षिक की दर से अदा की जानेवाली

बीमा प्रीमियम के बदले में की जाती है। यह प्रीमियम छमाही अंतरावधियों में वसूल की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण नि:शुल्क प्राप्त हो सके। अतिदेय किस्त पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से रु. 1,00,000/- तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा प्राप्त कर सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी पूरी जमाराशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा रु. 1,00,000/- में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करें।

ऋण गारंटी योजनाएं

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिए गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया। जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। निगम लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है।

6.3 विशेषज्ञ समिति, 1987 की सिफारिशों के अनुसार ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए लागू किया गया। परन्तु कुछ ऋण संस्थाओं के अनुरोध पर निगम ने केन्द्र/राज्य सरकारों, निर्यात ऋण गारंटी निगम आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों की कुछ श्रेणियों को गारंटी शुल्क की अदायगी की दृष्टि से सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों से अलग रखने की अनुमति दी है। परिणामस्वरूप इन अग्रिमों के मामले में निगम की गारंटी सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7.1 मार्च 1992 के अंत तक निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ इस प्रकार थीं :

(i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
(ii) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971
(iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
(iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
(v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982
(vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.2 (ii), (iii) और (v) को 1 अप्रैल 1992 से समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप निगम द्वारा निम्नलिखित तीन योजनाएँ परिचालित की जाती हैं:-

क) लघु ऋण गारंटी योजना 1971, 1 अप्रैल 1971 से लागू की गयी। इस योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के अतिरिक्त प्राथमिकता क्षेत्र को रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार स्वीकृत अग्रिम शामिल हैं। इनमें कृषकों और खेतिहरों, लघु सड़क और जलपरिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, लघु व्यावसायिक उपक्रमों, व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण सुविधाएँ तथा शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण आते हैं।

ख) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 से शुरु की गई और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनिटों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

ग) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत वे ऋण सुविधाएँ शामिल हैं जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत स्वीकृत की गयी हैं। इनमें कृषि की सहायक गतिविधियाँ, सड़क और जल परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे व्यावसायिक उपक्रम, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति और शिक्षा, आवास और उपभोग ऋण शामिल है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (जीजी) की परिभाषा के अनुसार सभी पात्र लाइसेंस प्राप्त (शहरी) सहकारी बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पात्रता प्राप्त के रूप में अनुशंसित पात्र गैर लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक योजना की सहभागिता के लिए पात्र हैं।

विभिन्न योजनांओं की प्रमुख विशेषताओं को अनुबंध में सारणीबद्ध किया गया है।

गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (कुछ विशिष्ट श्रेणियों को छोड़कर) के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार किया जाता है। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के मामले में गारंटी शुल्क 2.50% प्रतिवर्ष है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तारीख से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधा (अर्थात् 1.25 प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। अन्य दो योजनाओं अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 के मामले में गारंटी शुल्क की दर 1.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से की जानी चाहिए। अतिदेय गारंटी शुल्क पर बैंक दर से 8% अधिक की दर से दंडस्वरूप ब्याज की वसूली की जाती है।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

क) स्वचालित थोक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की रक्षा केवल उन्हीं संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल हैं तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्व-चालित थोक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और उसके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वत: ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अत: सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी रक्षा की परिधि से किसी भी पात्र ऋण सुविधा को अलग करने के लिए मुक्त नहीं है।

ख) लाभ प्राथमिकता प्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएँ, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:- फुटकर व्यापारियों के मामले में ऋण राशि सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनिटों के मामले में

संयंत्र और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है।

गारंटी को लागू करना

10. गारंटी के अधीन दावा प्रस्तुत करने से पहले ऋण संस्थाओं को पांच शर्तें पूरी करनी होती है, वे इस प्रकार हैं, i) अग्रिमों की प्राप्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी हो, ii) संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया जमाराशियों पर देय गारंटी शुल्क की अदायगी जब कभी देय हुई तब कर दी गयी है, iii) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने के लिए माँग नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक माह के भीतर गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अग्रिम की अदायगी न की गई हो, iv) ऋण संस्थाओं द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम वसूली के लिए अशोध्य अथवा संदिग्ध हैं और v) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो। निगम को ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करनी होगी कि वे गारंटी लागू करने से पहले उधारकर्ताओं, प्रतिभुओं के विरुद्ध और जहां कहीं प्रतिभुओं से वसूली की जा सकती हो वहां उसके लिए कारगर कार्रवाई करें। निगम योजनाओं में पात्र कार्यकलापों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थिति 'चूक की राशि' का 50 प्रतिशत अदा करता है। अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया राशियों की वसूली के लिए लगातार कारगर कार्रवाई करें और प्रतिस्थापन अधिकारों के फलस्वरूप वसूली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूली हुई राशि से घटाकर वसूली राशि में निगम का हिस्सा उसे प्रेषित कर दें। ऋण संस्थाओं को प्रतिभूति/जामिन को मुक्त करने, कानूनी कार्रवाई से छूट देने, बकाया राशियों के लिए समझौता करने और उन्हें कम करने, तथा बकाया राशियों को बट्टे खाते में डालने के लिए 22 फरवरी 1994 से अधिकार दे दिए गए हैं। इन मामलों में ऋण संस्थाओं को निगम की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। तथापि स्टाफ उत्तरदायित्व, धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन आदि से संबंधित प्रस्ताव पूर्वानुमोदन के लिए निगम को भेजे जाएँ। अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटाये गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो।

अनुबंध
ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

योजनाएँ	सहभागी पात्र संस्थाएं	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटी शुल्क	गारंटी सुरक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) छोटे उधारकर्ता				
i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आये अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो
		ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो
		iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) कृषक तथा खेतिहर प्रत्यक्ष वित्त		
		1) फसल उगाना	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो
		2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20,000 रुपये में से जो कम हो
		3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 30,000 रुपये (अर्थात् 10,000रु.×3) में से जो कम हो
		4) संबद्ध कार्यकलापों के लिए		
		i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो
		ii) रेशम उत्पाद	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो
		iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो
		v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)		

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	v) **कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त** (शीतगार के निर्माण तथा चलाने और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों को छोड़कर जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार)	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आये अर्थात् प्रतिवर्ष 1.25 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक)	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था जो कम हो
	vi) **शैक्षणिक** पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा वित्त प्रस्तुत की गयी विशेष योजना के अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा वैयक्तिकों को दी गई ऋण सुविधाएं।	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
	vii) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठन** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य प्रायोजित संगठनों को खरीद के विशिष्ट प्रयोजनों और निविष्ट वस्तुओं के समर्थन और/या इन संगठनों के हितधिकारियों के उत्पादों के विपणन के लिए अग्रिम।	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था)
	viii) **आवास-प्रत्यक्ष वित्त** क) उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को आवास निर्माण के लिए रु. 2 लाख तक के ऋण	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
	ख) उधारकर्ताओं की सभी श्रेणियों को क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए रु. 25,000/- तक के ऋण।	वही	वही
	ix) **आवास अप्रत्यक्ष वित्त** i) पूर्णत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निम्न आय वर्गों के लाभ के लिए आवास निर्माण हेतु किसी सरकारी एजेन्सी को दी गयी सहायता, जहाँ ऋण घटक प्रति आवास इकाई रु. 2 लाख से अनधिक हो।	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 60,000/- में से जो भी कम हो (प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था)
	ii) गंदी बस्ती निर्मूलन और गंदी बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी सरकारी एजेन्सी को सहायता जहाँ ऋण घटक प्रति इकाई रु. 2 लाख से अनधिक हो।	वही	वही
	x) **उपभोग** उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ii) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक	i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 1,50,000 रुपये में से जो कम हो
		ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 25,000 रुपये में से जो कम हो
		iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) शैक्षणिक ऋण	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
		v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण	वही	वही
		vi) निम्नलिखित के लिए आवास ऋण रुपये 25,000 से अधिक नहीं		
		क) व्यक्तिगत	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत
		ख) सरकारी एजेन्सी	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
		vii) कृषि से संबद्ध कार्यकलाप		
		i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 37,500 रुपये में से जो कम हो
		ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 18,750 रुपये में से जो कम हो
		iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 22,500 रुपये में से जो कम हो
		v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 15,000 रुपये में से जो कम हो
		vi) बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, लदाईवाले जानवरों आदि की खरीद	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 10,000 रुपये में से जो कम हो
		(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए उच्चतम सीमा रु. 60,000/- है।)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख) लघु उद्योग				
iii) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंक, राज्य वित्त निगम और राज्य विकास एजेंसियाँ	i) लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक 2 लाख रुपये से अनधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एक समान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए।	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
		ii) बिना किसी सीमा के ऋण सुविधाओं सहित पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाइयाँ	वही	वही
		iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्र के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाइयाँ (गौण इकाइयों सहित)	वही	चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 20 लाख रुपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रुपये) में से जो कम हो
		लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ।	वही	(क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो। (ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत अथवा 60,000 रुपये में जो कम हो।
		ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य की गारंटी रक्षा प्राप्त न हो।)	वही	वही
		iii) शीतगार के निर्माण और उनको चलाने के लिए ऋण	वही	(ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यगत पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो।
		iv) ट्रैक्टरों, बुलडोजरों, कुआँ खोदने के उपकरणों, थ्रेशर्स, कंबाईन आदि के समूह का रखरखाव करनेवाले और संविदा आधार पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाइयों को अग्रिमा	वही	वही
		v) औद्योगिक संस्था औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण	वही	वही

बीमाकृत खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
NUMBER OF INSURED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART-I

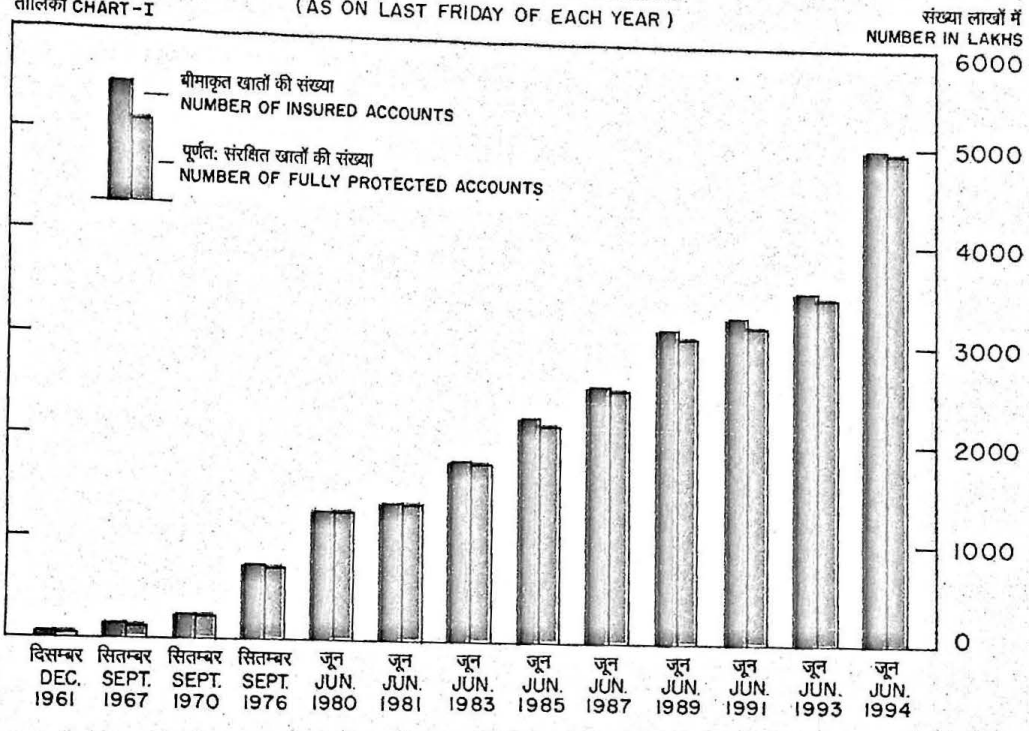

बीमाकृत जमाराशियाँ
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
AMOUNT OF INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)

तालिका CHART-II

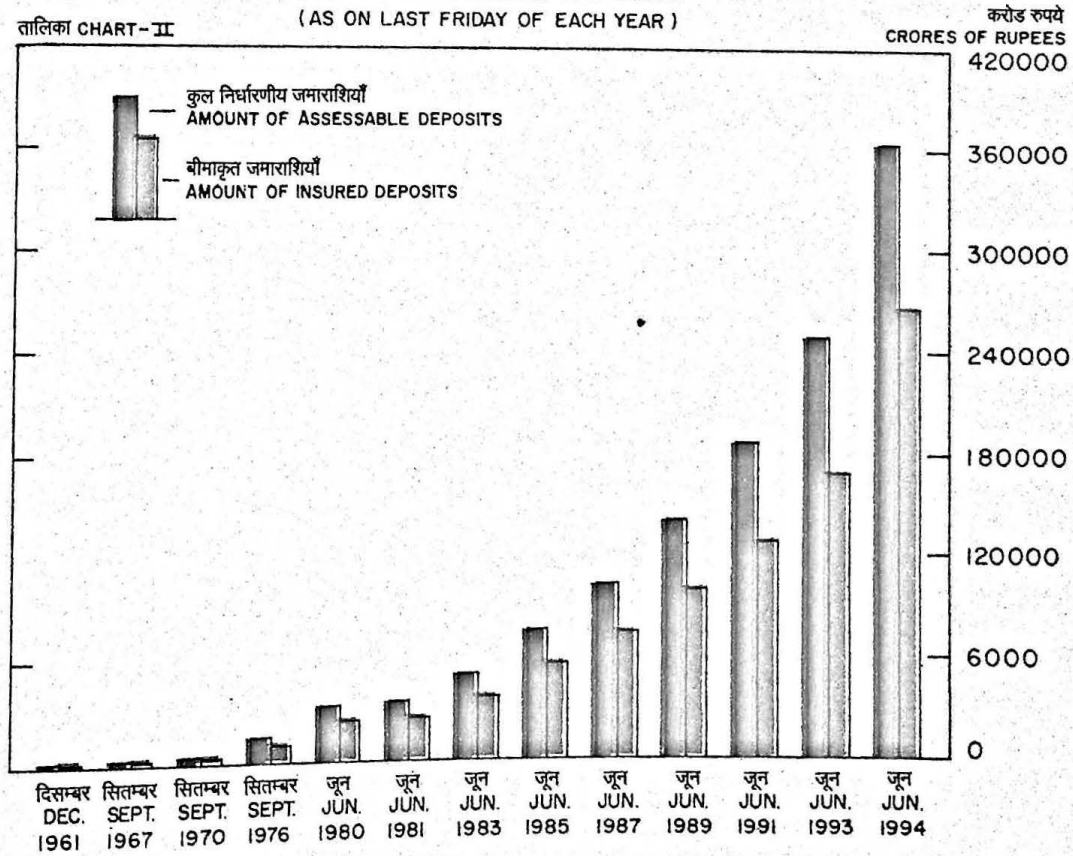

तालिका CHART - III

बीमाकृत बैंकों की जमाराशियों को बीमा सुरक्षा की सीमा

(जून 1994 के अंतिम शुक्रवार को)

EXTENT OF INSURANCE COVERAGE TO DEPOSITS IN INSURED BANKS

(LAST FRIDAY OF JUNE 1994)

खातों की कुल संख्या 4993.99
TOTAL NUMBER OF ACCOUNTS
4993·99 LAKHS

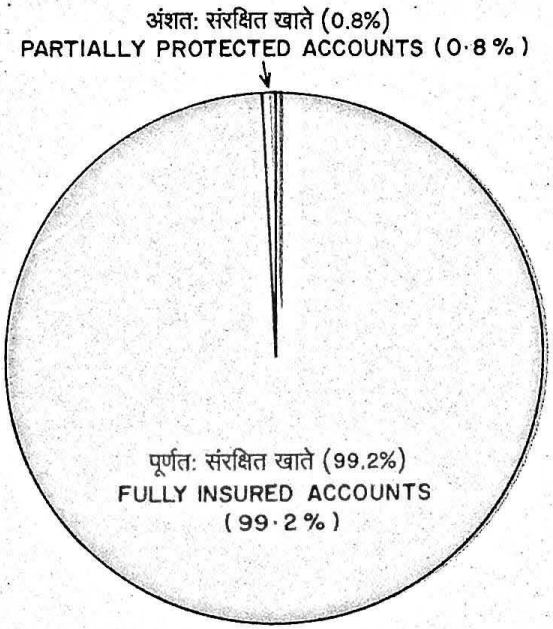

निर्धारणीय जमाराशियों की कुल रकम 364057.60 करोड़ रुपये
TOTAL AMOUNT OF ASSESSABLE DEPOSITS
Rs. 364057·60 CRORES

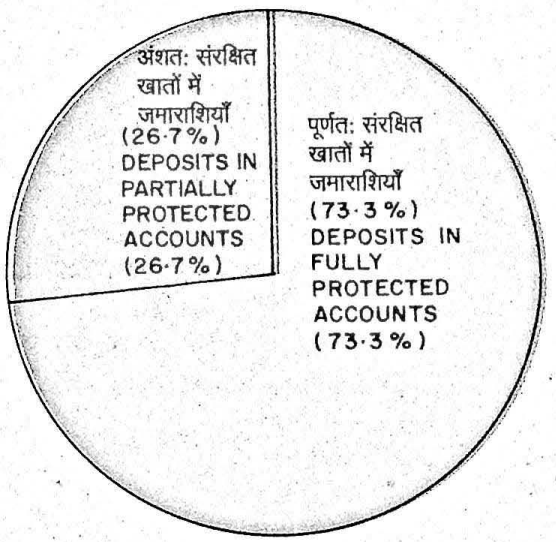

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृध्दि

(मार्च के अंत तक)
(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(END OF MARCH)
(CRORES OF RUPEES)

तालिका CHART IV

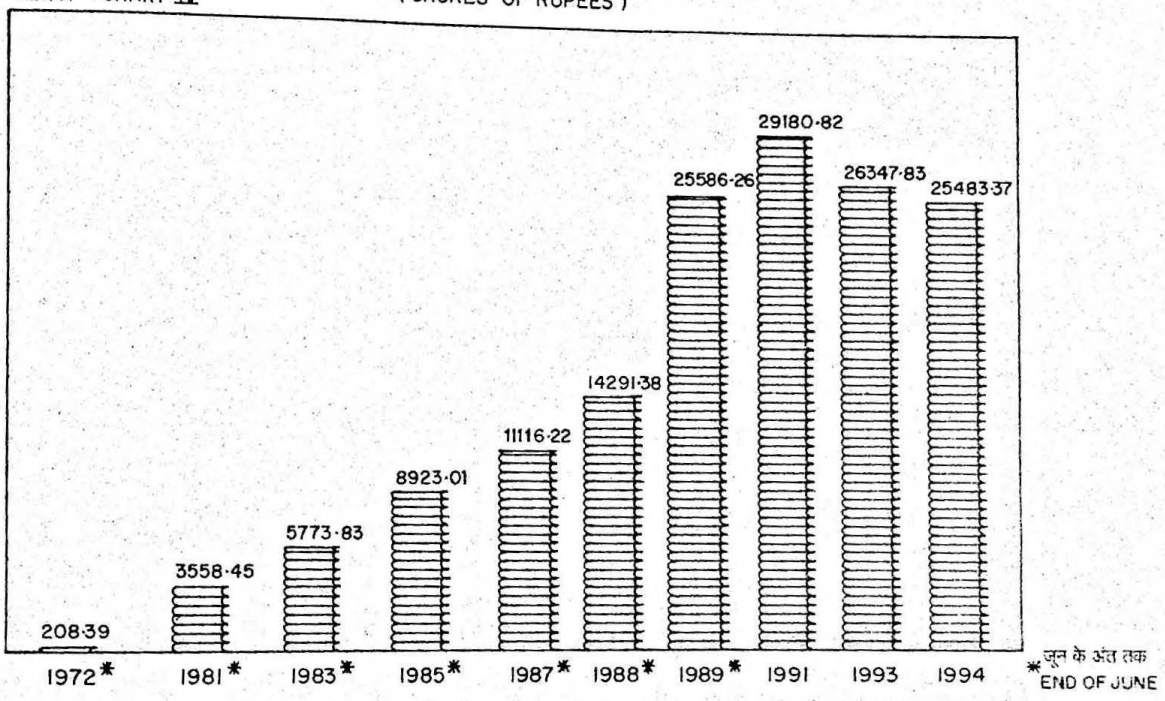

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के संबंध में
गारंटीकृत अग्रिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण
(मार्च 1994 के अंत की स्थिति)

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(AS AT THE END OF MARCH 1994)

तालिका CHART V

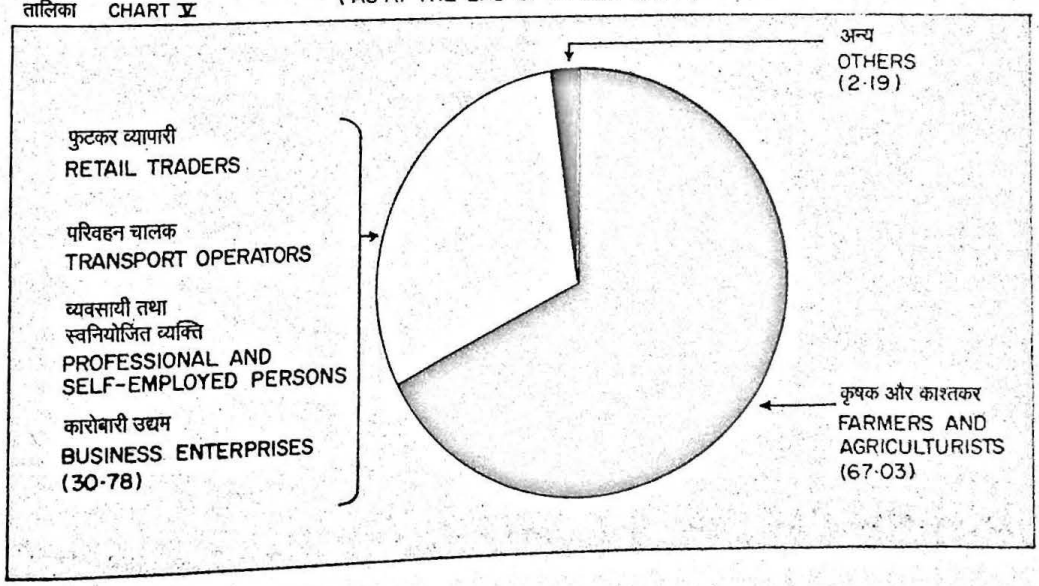

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

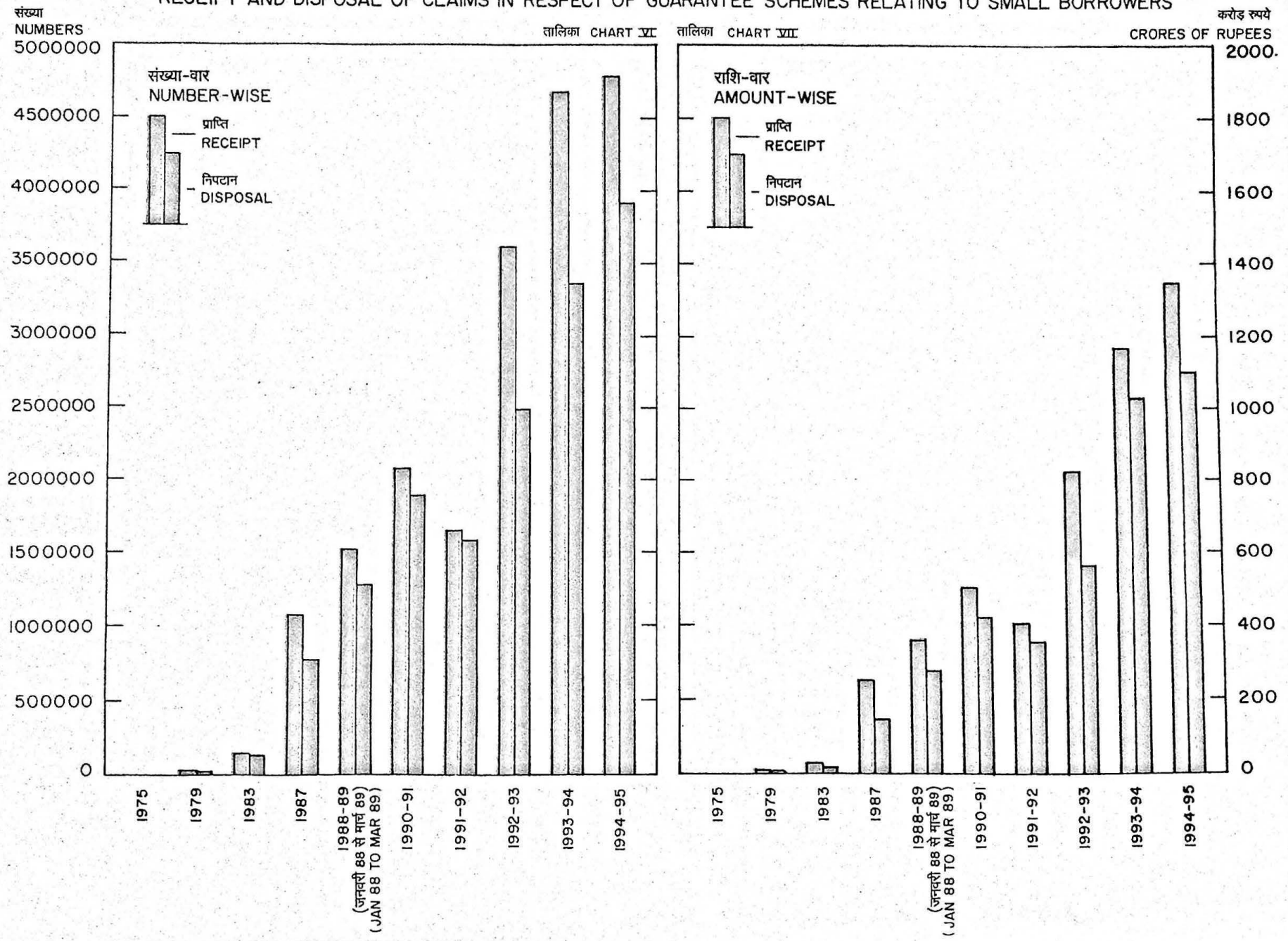

लघु उद्योगों से संबंधित निगम की गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृध्दि

(करोड़ रुपये)

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES

तालिका CHART- VIII

(CRORES OF RUPEES)

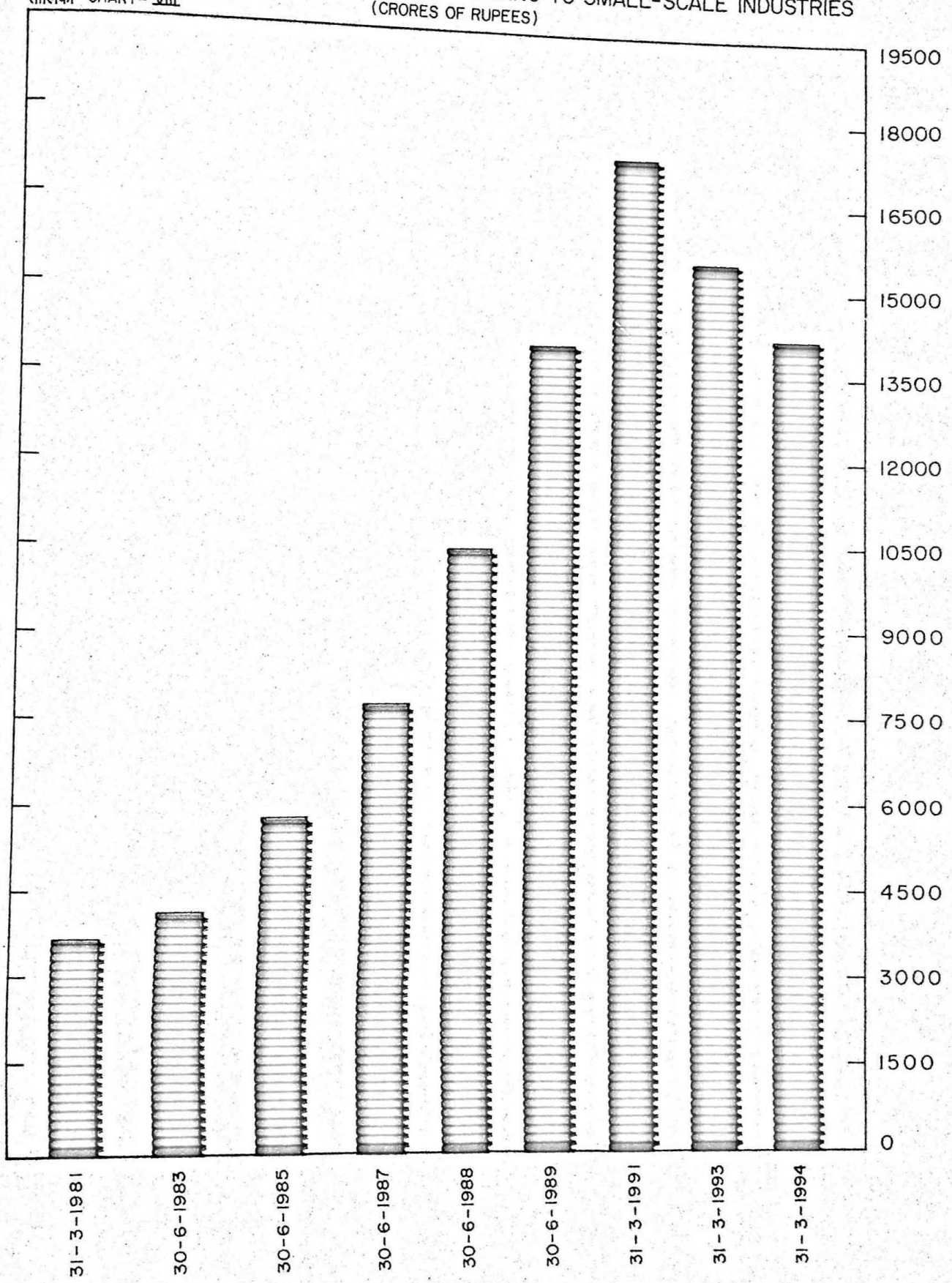

लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES

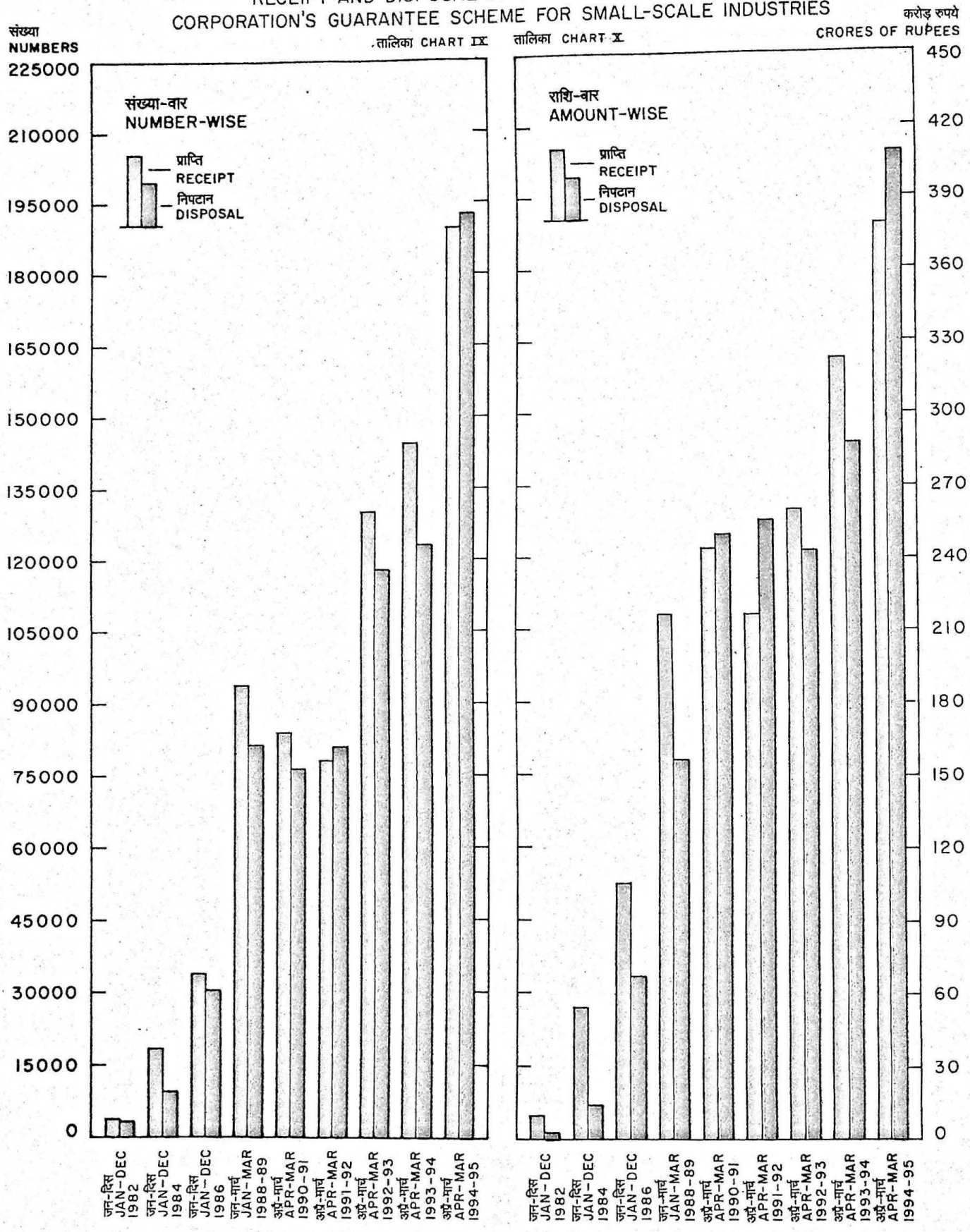

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Bombay 400 039.

33rd Annual Report of the Board of Directors, Balance Sheets and Accounts for the year ended 31 March 1995.

CONTENTS

		Page No.
1.	Letters of Transmittal	iii & iv
2.	Board of Directors	v
3.	Organisation Chart	vi
4.	Offices of the Corporation	vii
5.	Principal Officers of the Corporation	viii
6.	Corporate Profile	ix
7.	Highlights - Progress at a glance	x
8.	Directors' Report	1
9.	Annexures to the Directors' Report	10
10.	Balance Sheets & Accounts	33
11.	An Outline of Functions & Activities	43

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

DICGC/132/06.02/015/95-96

29 June, 1995
8 Asadha 1917 (Saka)

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
BOMBAY 400 023.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1994-95

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

(i) the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1995 together with a signed copy of the Auditors' Report and

(ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1995.

Yours faithfully,

sd/-

(R. N. Verma)
Chief General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

DICGC/133/06.02/016/95-96

29 June, 1995
8 Asadha 1917 (Saka)

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
NEW DELHI 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheets and Annual Report for the year 1994-95

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

1. (i) the Balance Sheets and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1995 together with the Auditors' Report and

   (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1995.

2. Copies of the above Balance Sheets and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) under Section 32(2) of the Act ibid.

Yours faithfully,

sd/-

(R. N. Verma)
Chief General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

D. R. MEHTA (Till 7 March 1995)
S. P. TALWAR (From 8 March 1995 to 23 May 1995)
R. V. GUPTA (From 24 May 1995)
Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay.

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. N. RAZDAN
Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay

Nominated by Central Government under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Ms. MONA SHARMA
Joint Director, Department of Economic Affairs, (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. H. KHAN
Chairman & Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay.

U. MAHESH RAO
Managing Director, General Insurance Corporation of India, Bombay.

N. P. SARDA
Chartered Accountant, Bombay.

P. W. REGE
Ex-Chairman, Saraswat Co-operative Bank Ltd., Bombay.

E. Chandrasekharan Nair (From 12 September 1994)
Co-operator, Thiruvananthapuram

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

GANGADHAR GADGIL
Economist, Bombay.

P. N. JOSHI
Chairman, United Western Bank Ltd., Satara, Maharashtra.

RASHID JILANI (From 7 February 1995)
Chairman & Managing Director, Punjab National Bank, New Delhi.

K. R. RAMAMOORTHY (From 7 February 1995)
Chairman & Managing Director, Corporation Bank, Mangalore.

ORGANISATION CHART

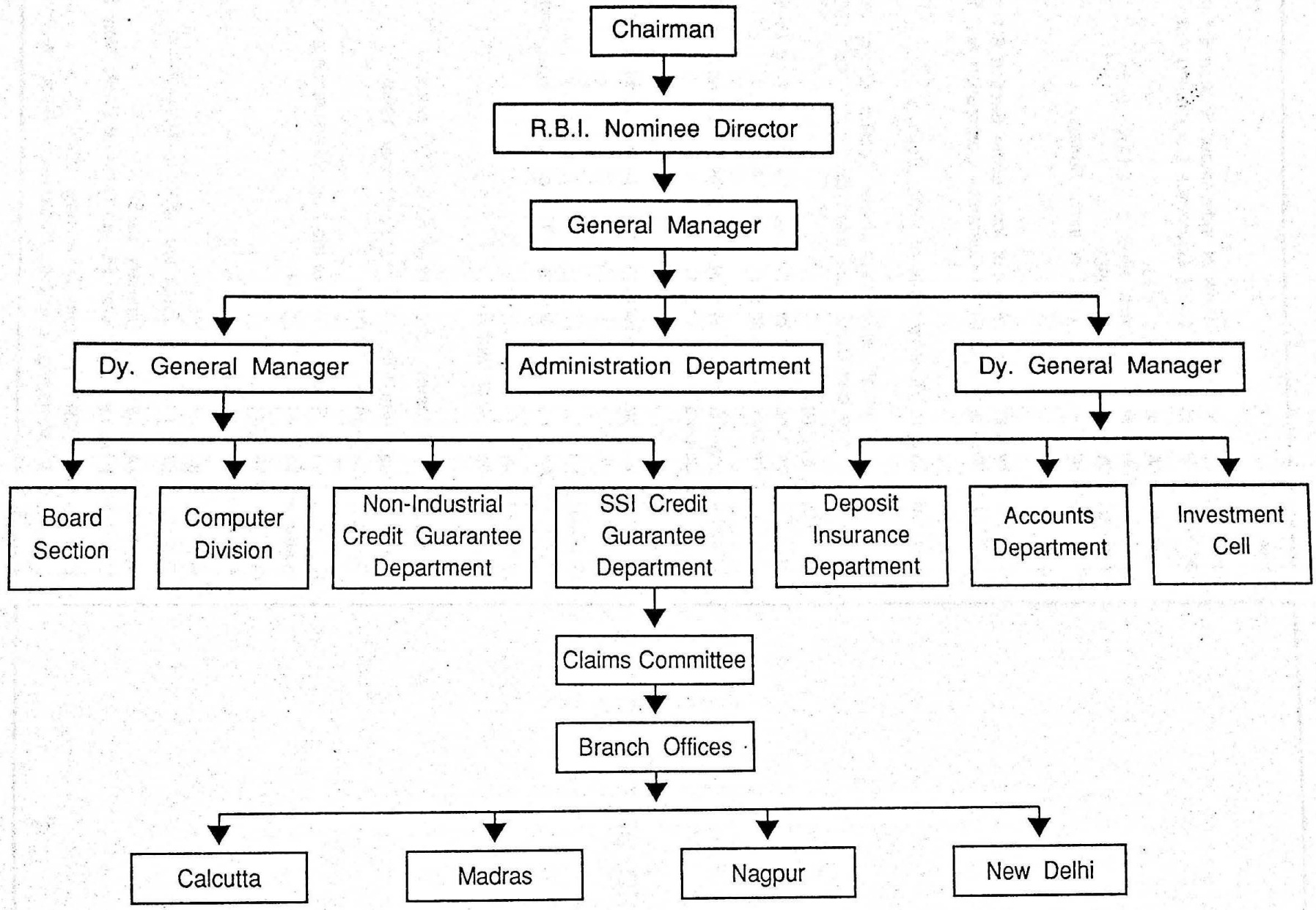

The following posts have been re-designated w.e.f. 4 May 1995

General Manager as Chief General Manager

Dy. General Manager as General Manager

OFFICES OF THE CORPORATION

		Tel. Nos.	Telegram
HEAD OFFICE	**New India Centre, 4th, 5th, 6th, 7th & 8th Floors, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay 400 039.**		**'CREDITGARD'**
	Chief General Manager	202 7323 (D) 202 0299	
	(i) General Manager	204 4876 (D) 202 0299	
	(ii) General Manager	202 2408 (D) 202 0299	
	(i) Dy. Gen. Manager	287 4281 (D) 202 0299	
	(ii) Dy. Gen. Manager	287 4291 (D) 202 0299	
	(iii) Dy. Gen. Manager	202 0299 (702)	
BRANCHES			
(1) NAGPUR	Reserve Bank of India Building, Near High Court, Nagpur 440 001.	521406 (D) 532321 532357	'CREDITGARD'
(2) CALCUTTA	8, Council House Street, 1st Floor, Post Box No. 17, Calcutta 700 001.	2481154 (D) 2486019	'DISINGUAR'
(3) MADRAS	Kuralagam Building, 3rd Floor, Esplanade, Post Box No. 5021, Madras 600 108.	5341524 (D) 5340239	'CREDITGARD'
(4) NEW DELHI	Reserve Bank of India Building 6, Sansad Marg, Post Box No. 123, New Delhi 110 001.	3716487 (D) 3710538 to 42	'DEPOSITINS'

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

GENERAL MANAGER

S.K. Kapur (Till 31 July 1994)
R.N. Verma (From 1 August 1994)

DY. GENERAL MANAGERS

D. N. Prasad
Smt. S. N. Joshi

CHIEF ACCOUNTANT

O. P. Arora (Till 8 October 1994)
K. Prasad (From 17 October 1994)

OTHER OFFICERS AT HEAD OFFICE

MANAGERS

J. P. Sharma
Kum. U. S. Banerjee

SECRETARY

R. G. Tawde (Till 12 November 1994)
A. G. Kulkarni (From 14 November 1994)

AT BRANCHES

NAGPUR

V. C. Kotian, Manager

CALCUTTA

S. S. Gangopadhyay, Manager (Till 21 October 1994)
B. K. Ray, Dy. General Manager (From 22.10.1994)

MADRAS

T. M. Narayanan, Manager

NEW DELHI

S. S. Sethi, Manager (Till 5 September 1994)
M. S. Jogalekar, Manager (From 6 September 1994)

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s. Vyas & Vyas
Chartered Accountants
Jaipur.

The above mentioned designations have been revised as under w.e.f. 4.5.1995

Designation		Revised designation
General Manager	—	Chief General Manager
Dy. Gen. Manager	—	General Manager
Manager/Chief Accountant	—	Dy. Gen. Manager
Secretary	—	Manager and Secretary

CORPORATE PROFILE

OBJECTS & PURPOSE

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited, a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 with a view to integrating the twin and cognate functions of giving insurance protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credits granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's scheme in that behalf.

The Corporation's twin objectives are to provide for the benefit of depositors in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank and to provide guarantee support to credits extended by participating institutions viz. commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered certain categories of small borrowers and small scale industries. Effective from 1 April 1989 guarantee cover is extended to entire priority sector (as per Reserve Bank's definition) advances. Since 1990-91, certain categories of priority sector advances which are guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. have been excluded from guarantee cover.

The Corporation maintains two separate funds viz. Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund. They are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, one more Fund called General Fund, is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this Fund. The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December 1986.

The authorised capital of the Corporation is Rs. 50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India is the Chairman. The Board is assisted by a Claims Committee and an Investment Committee headed by the Reserve Bank's Nominee Director on the Board of the Corporation. The Chief General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Nagpur, Calcutta, Madras and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS - PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of rupees)

At year-end	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1990-91	1992-93	1993-94	1994-95
1. **Capital**	1	1.5	10	15	50	50	50	50	50	50	50
2. **Deposit Insurance**											
i) Deposit Insurance Fund	1	25	76	154	219	@	@	@	@	@	@
ii) Insured Banks	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,922	1,931	1,990	2,025
iii) Assessable Deposits	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,56,892	2,44,375	2,49,034	3,64,058
iv) Insured Deposits	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,09,316	1,64,527	1,68,405	2,66,747
v) Accounts (in lakhs)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,089	3,543	3,529	4,994
vi) Fully Protected Accounts (in lakhs)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	2,983	3,395	3,497	4,956
vii) Claims paid	—	1	2	3	3	44	69	131	178	179	181
3. **Credit Guarantee**											
i) Credit Guarantee Fund	—	—	27	89	118	@	@	@	@	@	@
ii) Guaranteed Advances											
(a) Small Borrowers	—	208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	27,692	24,444	26,348	25,484
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	3,822	4,891	7,738	10,465	16,826	19,162	15,503	14,177
iii) Claims Received (for the year)											
(a) Small Borrowers	—	—	9	25	62	255	364	505	883	1,168	1,348
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	30	71	149	241	247	260	323	379
v) Claims Disposed of (for the year)											
(a) Small Borrowers	—	—	3	15	32	225	281	427	566	1,026	1,100
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	27	47	122	177	260	243	288	409

@ In view of the amendments to the forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities since 1987, the Credit Guarantee Fund disclosed deficits every year thereafter except for the year 1989-90. The deficits/surplus in the Fund were adjusted against surplus in the deposit Insurance Fund in the respective years. During 1994-95, the deficit in the Credit Guarantee Fund was Rs. 348.69 crores. As on 31 March 1995, a net sum of Rs. 1,206.74 crores was due to Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1995

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 33rd Annual Report of the Corporation for the year ended 31 March 1995.

Economic Scenario

2. The year 1994-95 was characterised by substantial monetary expansion. The reserve money rose by Rs. 30,320 crores (21.9 per cent) during the year, the major source being increase in net foreign assets of Reserve Bank by Rs. 23,264 crores (45.2 per cent) followed by a sharp increase in Reserve Bank Credit to scheduled commercial banks by Rs. 6,780 crores as compared with a decline of Rs. 4,260 crores in the previous year. It was for the first time in two decades that the monetary expansion was not attributable to monetisation of the budget deficit. The growth in aggregate deposits of scheduled commercial banks during the year was 21.4 per cent as against 17.3 per cent during the previous financial year. Substantial increase in foreign capital inflows during the first half of 1994-95, which slowed down in the second half coupled with upsurge in the provisions of non-food credit resulted in the tightening of liquidity in the second half of the year 1994-95. The non-food credit increased by 28.6 per cent upto 31 March 1995. The price situation was not steady. The double digit inflation rate at the beginning of the year slowed down to 8.4 per cent by early October but again reached a high level of 12.2 per cent by the end of January 1995 and thereafter came down to 10.0 per cent by the end of March 1995. The money market which was easy during the first half of the year 1994-95 tightened and became volatile during the second half.

Real economic activity at macro level was strong during 1994-95. The overall growth in real Gross Domestic Product in 1994-95 is expected to be at least 5.3 per cent as against 3.8 per cent during the previous year. The food grains output during 1994-95 is estimated to surpass the peak of 182 million tonnes registered during 1993-94. The industrial output which had been showing only moderate growth during 1992-93 and 1993-94 showed an impressive rise of 8.7 per cent during April-November 1994.

Priority Sector Lending

3. The performance of public sector banks as a whole in lending to priority sector at Rs. 57,349/- crores formed 37.4 per cent of net bank credit as at the end of December 1994 as against Rs. 49,821 crores forming 36.4 per cent as at December 1993. As compared to the position at the end of December 1993, there was a net increase of priority sector lending of Rs. 7,528/- crores at the end of December 1994. The public sector banks' advances to agriculture increased from Rs. 20,513 crores in December 1993 to Rs. 22,199 crores in December 1994. However, against the target of 18 per cent, the banks' lending for this purpose stood at 15.0 per cent and 14.5 per cent at the end of December 1993 and December 1994 respectively. Indian commercial banks in the private sector lent Rs.2,886 crores to borrowers in the priority sector which formed 30.2 per cent of their net bank credit as at the end of March 1994 (latest available data) as against the target of 40 per cent. As at the end of December 1994 the outstanding Small Scale Industries advances of public sector banks aggregated Rs. 23,352 crores and constituted 14.2 per cent of their net bank credit as against the figures of Rs. 19,950 crores and 14.6 per cent respectively as at the end of December 1993. Reserve Bank also stipulated that at least 40 per cent of their advances under the SSI segment within the priority sector should be granted to cottage industries, khadi and village industries, artisans, tiny industries or other SSI units availing credit limits upto Rs. 5 lakhs.

Recovery performance

4. The total recovery of direct agricultural advances of public sector banks is showing an improving trend as seen from percentage of recovery to demand which stood at 54.09 per cent in June 1992 to 57.05 per cent in June 1994. However, the recovery performance in respect of Integrated Rural Development Programme (IRDP) loans of all public

sector banks is showing a slightly declining trend as seen from percentage of recovery to demand which stood at 31.76 per cent in June 1992 to 30.09 per cent in June 1994.

IMPORTANT DEVELOPMENTS

Deposit Insurance Scheme — Court case of Bank of Karad (BOK) Ltd.

5.1 As mentioned in the earlier reports, with a view to mitigating the hardships of the depositors of the Bank of Karad Ltd., (in liquidation) the Corporation had made an 'On Account' payment aggregating to Rs. 37.00 crores to the Liquidator of the bank for urgent disbursement to its depositors. As per the agreed settlement of the Bombay High Court, the Liquidator, after the receipt of the specified sum from Bank of India (BOI) and also from the recoveries effected by him, was to repay to the Corporation the sum so released to him by it.

During the year, the Liquidator has repaid an amount of Rs. 14.69 crores (including the undisbursed amount pf Rs. 1.05 crores). As regards the repayment of the remaining amount, the Liquidator has ear-marked the money for payment of preferential creditors mainly income tax dues and has craved leave of the Bombay High Court in the matter, which the Corporation is contesting.

Operations of the Corporation — An overview

5.2 The working of the Credit Guarantee Schemes were reviewed by the Board of the Directors of the Corporation during the year under review, and Board had set up a Committee for this purpose under the Chairmanship of Shri B. Rai, Chairman & Managing Director, Allahabad Bank (since retired). The terms of reference were as under :

a) to suggest measures to reduce the claim liability of the Corporation under its Credit Guarantee Schemes;

b) to suggest measures to ensure that the claims submitted by the credit institutions to the Corporation are genuine.

The Committee has since submitted the report and the recommendations made by it are being examined in the Corporation.

5.3 As indicated in the previous year's report, the insurance cover under Deposit Insurance Scheme, 1961 has been raised from Rs. 30,000 to Rs. 1,00,000 per depositor per bank in the same right and capacity and the rate of insurance premium has been marginally raised from 4 paise to 5 paise per Rs. 100 per annum with effect from 1 May 1993 and 1 July 1993 respectively. The total number of insured banks during the period ending 31 March 1995 increased to 2025 from 1990 as at the end of 31 March 1994. Further, the percentage of fully protected deposit accounts numbering 4956 lakhs constituted 99.2 per cent of total deposit accounts. The insured deposits represented 73.3 per cent of the total assessable deposits at Rs. 3,64,058 crores. The insurance premium received during the year amounted to Rs. 193.28 crores. During the year, the Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 2.20 crores received from one co-operative bank and made a provision of Rs. 15.92 crores towards claims liabilities of six co-operative banks. The aggregate amount of claims paid so far in respect of 25 commercial banks and 28 co-operative banks stood at Rs. 180.89 crores and repayment received totalled Rs. 36.76 crores as at the end of March 1995.

5.4 The guaranteed advances for the year under the Corporation's three credit guarantee schemes in operation aggregated Rs. 39,660.82 crores as at the end of March 1994 showing a fall of 6 per cent over the previous year. While the guaranteed advances to small borrowers under the schemes for Non-Industrial Sector decreased by 3.28 per cent, the guaranteed advances to Small Scale Industrial Sector decreased by 8.55 per cent as compared to the previous year. The claims received by the Corporation under three Schemes increased by 3.4 per cent number-wise and 15.8 per cent amount-wise. Like-wise, the claims settled by the Corporation increased by 17.9 per cent number-wise and 14.9 per cent amount-wise during the year. The claims disposal rate per month was all time high at 3,42,055 this year as against 2,90,144 per month during the previous year. The details regarding number and amount of claims received and settled during the year under report and the previous year

are furnished below :

(Amounts in crores of rupees)

	During 1993-94		During 1994-95		Percentage Increase (+)/ Decrease (-)	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
I. Claims received						
Corporation's Scheme for						
i) Small borrowers	46,72,885	1,167.60	47,93,205	1,348.11	(+) 2.6	(+) 15.5
ii) SSIs	1,44,165	323.16	1,89,593	378.71	(+) 31.5	(+) 17.1
Total :	48,17,050	1,490.76	49,82,798	1,726.82	(+) 3.4	(+) 15.8
II. Claims settled						
Corporation's Scheme for						
i) Small borrowers	33,58,702	1,026.36	39,11,870	1,100.26	(+) 16.5	(+) 7.2
ii) SSIs	1,23,031	287.72	1,92,791	409.31	(+) 56.7	(+) 42.3
Total :	34,81,733	1,314.08	41,04,661	1,509.57	(+) 17.9	(+) 14.9

5.5 The amounts of claims receipt and guarantee fee receipt every alternate year during the period from 1982 to 1988-89 and every year thereafter were as follows :

(Rs. in crores)

Year	Guarantee fee receipts	Guarantee claims receipts	Gap
1982	57.67	34.11	+23.56
1984	87.91	115.69	-27.78
1986	127.25	245.86	-118.61
1988-89 (15 months)	191.89	580.97	-389.08
1989-90	593.83	548.33	+45.50
1990-91	524.72	748.76	-224.04
1991-92	565.88	627.23	-61.35
1992-93	702.78*	1143.27	-440.49
1993-94	846.09	1490.76	-644.67
1994-95	829.13	1726.82	-897.69

* Includes the ploughed-back provisions in respect of earlier years.

5.6 On account of enhancement in guarantee fee rate to 1.5 per cent w.e.f. 1 April 1989, the guarantee fee receipt had exceeded the guarantee claims receipt during the year 1989-90 only. Since the guarantee fee receipt again fell short of guarantee claims receipt thereafter consecutively for 3 years, the financial viability of all the three credit guarantee schemes was examined and the guarantee fee rate for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only was raised to 2.5 per cent per annum w.e.f. 1 April 1993. In spite of this hike, the gap between the guarantee fee receipt and guarantee claims receipt for the year 1994-95 widened to Rs. 897.69 crores as per the scheme-wise position given below :

(Amount in crores of rupees)

Scheme	Guarantee claims receipt	Guarantee fee receipt	Gap
i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	1348.11	631.64	-716.47
ii) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	0.14	+0.14
iii) Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	378.71	197.35	-181.36
Total :	1726.82	829.13	-897.69

The Scheme-wise details of guarantee fee received since 1981 are given in Annexure-XIII.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

6.1 During the year the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 were extended to the State of Sikkim with effect from 1 January 1995. Further, 10 commercial banks including one from the State of Sikkim and 26 co-operative banks were registered as insured banks and one co-operative bank was de-registered, the details of which are furnished in the Annexure-IIA.

Thus, the total number of banks insured with the Corporation under the Deposit Insurance Scheme rose from 1990 as on 31 March 1994 to 2025 as on 31 March 1995.

(A Statement on the number of banks Registered by the Corporation since 1962 is furnished in Annexure-I).

6.2 The Deposit Insurance Scheme at present covers all commercial banks (including Regional Rural Banks (RRBs) and co-operative banks in 20 States and 2 Union Territories (Annexure-II). Except the State of Punjab, the remaining States and Union Territories are yet to carry out the requisite amendments to their respective State Co-operative Societies Act. The provisions of the Act have since been extended to the State of Punjab w.e.f. 1 April 1995.

6.3 The number of accounts and amounts of deposits insured with the Corporation as also the extent of protection afforded to depositors at the end of June 1993 and June 1994 were as follows :

(Rupees in crores)

	June 1993	June 1994
1. Total No. of accounts (in lakhs)	3529	4994
2. Fully protected accounts (in lakhs)	3497	4956
3. Percentage of 2 to 1	99.1	99.2
4. Assessable deposits	249034	364058
5. Insured deposits	168405	266747
6. Percentage of 5 to 4	67.6	73.3

(The above details for earlier years are furnished in Annexure-III & IV).

The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 70.14 per cent and 29.86 per cent respectively of the total assessable deposits as at the end of June 1994.

6.4 The category-wise break-up of the premium (including interest on overdue premium) collected from insured banks during the year 1993-94 and 1994-95 are furnished below :

(Amount in crores of rupees)

Category of banks	Premium received	
	1993-94	1994-95
i) Commercial Banks	138.15	170.95
ii) RRBs	4.09	4.74
iii) Co-operative Banks	14.11	17.59
Total	156.35	193.28

6.5 During the year 1994-95, the Corporation settled claims of one bank i.e. Citizen's Urban Co-operative Banks Ltd., Indore for Rs. 2.20 crores.

Further, a provision of Rs. 15.92 crores has been made in the accounts towards the claims liabilities in respect of depositors of the under mentioned banks :

a) Supplementary claim of Rs. 0.01 crore of Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd., Gurzala, Gujarat.

b) Rs. 5.52 crores towards the expected claim of Navdeep Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad, Gujarat.

c) Rs. 0.34 crore towards balance amount of Metropolitan Co-operative Bank Ltd., Bombay, Maharashtra.

d) Rs. 9.62 crores of Chetana Co-operative Bank Ltd., Bombay, Maharashtra under liquidation w.e.f. 1 December 1994.

e) Rs. 0.28 crore of Bijapur Industrial Co-operative Bank Ltd., Bagalkot, Karnataka under liquidation w.e.f. 31 August 1994.

f) Rs. 0.15 crore of Dharwar Industrial Co-operative Bank Ltd., Hubli, Karnataka under liquidation w.e.f. 30 August 1994.

6.6 As on 31 March 1995, the aggregate amount (cumulative) of claims paid in respect of 25 commercial banks continued to remain unchanged at Rs. 172.92 crores. The repayments upto March 1995 aggregated Rs. 35.84 crores (including Rs.17.02 crores received during the year). A sum of Rs. 0.10 crore was written off till 31 March 1995. The total amount of claims paid since inception till 31 March 1995 in respect of 28 co-operative banks (including Rs. 2.20 crores paid during the year) was Rs. 7.97 crores. The repayments upto 31 March 1995 aggregated Rs. 0.92 crore (including Rs. 0.03 crore received during the year).

The particulars of 53 banks in respect of which the claims have been paid, written off, provided for and repayments received till 31 March 1995 are furnished in Annexure-V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS

7. The Corporation operates two credit guarantee schemes for small borrowers viz. Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 which cover advances granted for agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business, etc. by commercial banks (including RRBs) and primary urban co-operative banks.

8. The overall performance of small borrowers' credit guarantee schemes is given below :

Small Loans Guarantee Scheme, 1971

9.1 The scheme provides guarantee cover for advances granted for agriculture and allied activities, transport, retail trade, small business etc. by commercial banks including Regional Rural Banks.

9.2 During the year, eight commercial banks and eleven Regional Rural Banks were allowed by the Corporation to opt out of the Scheme. Consequently, as on 31 March 1995, the number of participating credit institutions under the Scheme decreased from 233 as on 31 March 1994 to 214 as on 31 March 1995 (comprising 39 commercial banks and 175 Regional Rural Banks) (Annexure VI and VII).

9.3 The total advances guaranteed under the Scheme at Rs. 25,474.28 crores as on 31 March 1994 showed decrease of 3.28 per cent over the previous year. This decrease is mainly due to opting out of 19 credit institutions from the Scheme. The Scheme continued to account for 99.96 per cent of the total priority sector advances to non-SSI segment at Rs. 25,483.87 crores. The year-wise and sector-wise break-up of the guaranteed advances is given in the Annexure VIII. The sector-wise break-up of the guaranteed advances vis-a-vis amount of claims received under the Scheme on percentage

(Amount in crores of Rupees)

Category of borrowers	Guaranteed advances as on March 1994	Amount of claims received			
		Upto March 1994	During 1994-95	Upto March 1995 (3+4)	Percentage of 5 to 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Farmers & Agriculturists	17075.41	1850.63	646.42	2497.05	14.62
2. Other priority sector advances	7840.98	2396.29	683.49	3079.78	39.27
3. Residual category of borrowers under DRI Scheme and credit facilities for consumption and for purchase or construction of houses or tenaments	557.89	122.11	18.20	140.31	25.15
Total :	25474.28	4369.03	1348.11	5717.14	22.44

basis is given below :

	Category of borrowers	Per cent of total	
		Guaranteed advances	Claims received
(i)	Farmers & Agriculturists	67.03	47.95
(ii)	Other priority sector borrowers	30.78	50.70
(iii)	DRI advances, etc.	2.19	1.35
	Total:	100.00	100.00

9.4 During the year under report, the Corporation received 47,93,205 claims for Rs. 1,348.11 crores as against 46,72,831 claims for Rs. 1,167.58 crores received during the previous year registering an increase of 2.51 per cent and 13.39 per cent number-wise and amount-wise respectively. The amount of claims received at Rs. 1,348.11 crores during the year formed 5.29 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 25,474.28 crores under the Scheme. (The sector-wise break-up of claims received under all the schemes for small borrowers is given in Annexure-X). The Corporation settled 39,11,829 claims for Rs. 1,100.22 crores as against 33,58,615 claims for Rs. 1,026.26 crores during the previous year. The average monthly rate of disposal this year was 3,25,986 claims as against 2,79,885 claims last year.

9.5 The recoveries received during the year under report by virtue of suborgation rights amounted to Rs. 305.28 crores as compared to Rs. 109.84 crores received during the previous year. The increase in recoveries is mainly on account of receipt of Corporation's share under debt relief received by public sector banks from Government of India. The total amount of recoveries received since inception of the scheme aggregated Rs. 657.86 crores forming 15.68 per cent of claims paid at Rs. 4,193.74 crores (cumulative).

Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

10.1 The Scheme introduced in 1984 covers priority sector advances granted by primary urban co-operative banks for non-agricultural purposes.

10.2 During the year, the number of participating co-operative banks in the Scheme decreased by 6 from 22 to 16 as on 31 March 1995 (Annexures VI and VII). The guaranteed advances as on 31 March 1994 aggregated Rs. 9.59 crores as against Rs. 8.08 crores as on 31 March 1993. The Corporation has not received any fresh claim during the year under review.

B. CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL SCALE INDUSTRIES

(a) Government's Credit Guarantee Scheme for SSI (since cancelled)

11.1 The Government's Scheme has been closed and the Corporation has finally stopped accepting claims/representations. All the pending claims under the Scheme were disposed of by March 1992. However, as an agent of Government of India, the Corporation continues to pursue with credit institutions for recoveries in claims paid accounts.

11.2 As permitted by Government of India to retain 10 per cent recoveries received in claim paid accounts, out of the total amount of Rs. 2.04 crores representing the recoveries received in claim paid accounts during the year 1993-94 under the Scheme, the Corporation has remitted a sum of Rs.1.72 crores to the Government in August 1994 after retaining an amount of Rs. 0.20 crore towards administrative expenditure incurred and Rs. 0.12 crore towards settlement of excess guarantee fee received from credit institutions. Further, the recoveries received during the year 1994-95 amounting to Rs. 1.64 crores are being remitted to Government after retaining Corporation's share towards establishment expenditure.

(b) Corporation's Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981

12.1 As on 31 March 1995, there were 269 credit institutions (308 as on 31 March 1994) participating in the above Scheme comprising 39 commercial banks, 139 Regional Rural Banks and 91 co-operative banks (Annexure VI). During the year, names of 39 credit institutions were deleted either on account of default in payment of guarantee fee or their decision to opt out of the Scheme.

12.2 The guaranteed advances to Small Scale Industries sector coming under the priority sector as defined by Reserve Bank of India amounted to Rs.14,176.95 crores as on 31 March 1994 as against Rs. 15,502.66 crores as on 31 March 1993 registering a fall by 8.55 per cent.

12.3 The Corporation received 1,89,593 claims for Rs. 378.71 crores during the year 1994-95 as against 1,44,165 claims for Rs. 323.16 crores received during the previous year and disposed of 1,92,791 claims for Rs. 409.31 crores as against 1,23,031 claims for Rs. 287.72 crores during the year 1993-94. The details of claims received and disposed of year-wise, from 1 April 1981 onwards is given in Annexure XI. (Amount-wise break-up of claims setted during the year is given in Annexure-XII). As on 31 March 1995, 41,212 claims for Rs. 59.69 crores were pending.

12.4 The recoveries received under the Scheme during the year under report by virtue of the Corporation's right of subrogation amounted to Rs. 28.67 crores. The recoveries since 1981 aggregated Rs. 112.16 crores as on 31 March 1995 and formed 12.5 per cent of the total amount of claims paid at Rs. 900.07 crores.

12.5 The aggregate amount of claims received till 31 March 1995 under the Scheme at Rs. 2238.59 crores formed 15.8 per cent of the total guaranteed advances to SSI units under priority sector at Rs.14,176.95 crores.

12.6 The settlement of high value claims for Rs. 8 lakhs and above received under the Scheme continued to be attended to by 'Claims Committee'. During the year 1994-95, the Committee settled 17 claims for Rs. 1.65 crores.

ACCOUNTS

Balance Sheets and Revenue Accounts

13.1 Revenue Accounts for the year ended March 1995 and Balance Sheets as at 31 March 1995 showing separately the position of Corporation's three Funds viz. Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund together with the Auditor's Report thereon are attached.

13.2 Since 1987, the Corporation has adopted the system of valuation of liabilities of the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund on an actuarial basis. Accordingly, the three Funds revealed a net deficit of Rs. 125.64 crores after making all the provisions including pending claims, etc. as against the net deficit of Rs. 98.91 crores in the previous year. While the Deposit Insurance Fund shows a surplus of Rs. 225.47 crores, after making all the necessary provisions there are deficits of Rs. 348.69 crores in Credit Guarantee Fund and Rs. 2.42 crores in General Fund. While the deficit of Rs. 348.69 crores in the Credit Guarantee Fund has been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund, the deficit of Rs. 2.42 crores in General Fund has been transferred to its General Reserves.

13.3 As mentioned in the last year's Report, a net sum of Rs. 858.05 crores was due to the Deposit Insurance Fund from Credit Guarantee Fund as at the close of business on 31 March 1994 on account of surplus/deficits from the year 1987 onwards. The current year's deficit of Rs. 348.69 crores in the Credit Guarantee Fund has also been set off by transfer of an equivalent amount from Deposit Insurance Fund. Consequently, the amount due to Deposit Insurance Fund has increased to Rs.1,206.74 crores at the end of the year.

Budgetary Control

14. The Corporation exercises budgetary control over revenue and expenditure under its three Funds viz., Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund.

Investments

15.1 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts which are not required for the time being are invested in Central Government Securities including Treasury Bills. Particulars of investments are furnished in Annexure XIV. The depreciation in the investments of the three Funds has been fully provided for.

Investment Committee

15.2 As mentioned in the last Annual Report the various recommendations of the Rai Committee

(formed to suggest ways to improve the yield on investment) were examined and necessary action initiated.

i) As regards the amendment of Section 25 of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 governing the investment of funds of the Corporation, the matter is still pending with the Government of India. The Ministry of Finance (Government of India) as advised by the Ministry of Law have suggested certain minor modification in the amendment as proposed by the Corporation which has been accepted by the Corporation. The Government of India has now requested Reserve Bank of India to accord its approval.

ii) As regards, permitting the Corporation to treat its investments as stock-in-trade, the matter was referred to the Ministry of Finance. The Department of Economic Affairs, as advised by the Central Board of Direct Taxes, has recently advised that the question whether particular investment in securities constitute stock-in-trade or a capital asset is a question of fact as the same can be determined only by the Assessing Officer taking into account the guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard from time to time.

iii) The Government has already been approached for grant of special status to the Corporation under the relevant provisions of the Income-Tax Act (Section 44/115 B) for the purpose of assessing its tax liability on the line of Life Insurance Corporation and General Insurance Corporation.

GENERAL

Auditors

16.1 In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors appointed, with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s. Vyas and Vyas, Chartered Accountants, Jaipur, as auditors of the Corporation for the year ended 31 March 1995.

Promotion of Hindi

16.2 The Corporation is continuing all necessary steps for usage and promotion of Hindi in its day-to-day working. The Head Office of the Corporation is notified under Rule 10(4) of the official languages Rules, 1976. Meetings of the Corporation's Official Languages Implementation Committee are held from time to time. The staff is encouraged to make greater use of Hindi. The Corporation brings out its Annual Report bilingually. Hindi Newspapers and Magazines are purchased and circulated. 'Aaj Ka Shabd' is being displayed in the Corporation. Staff members of the Corporation are deputed for various Hindi training programmes. Under the Hindi teaching Schemes of the Government of India one staff member has passed Hindi typewriting and one has passed Hindi Stenography Examination.

Training and Deputation

16.3 A group of 12 participants from commercial banks and financial institutions in the developing countries attending the International Programme on 'Small Industry Financing' conducted by the National Institute of Small Industy Extension Training (NISIET), Hyderabad, visited the Corporation to study its working and functions and to interact with the officials of the Corporation. Besides, 2 officials from Bank of Tanzania, Dar-es-Salaam, visited the Corporation to study various aspects of the Deposit Insurance Scheme and Credit Guarantee Scheme of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

The Corporation also deputed its officers to various training institutions of commercial banks, financial institutions and the Reserve Bank of India to take up sessions on various schemes of the Corporation and settlement of claims thereunder. The staff of the Corporation at all levels was also exposed to the training facilities offered by the Reserve Bank of India at its various training centres and during the year under report 48 officers and 34 clerical staff were deputed for various training programmes.

Inspection and Financial Audit by Reserve Bank of India

16.4 The Inspection Department of Reserve Bank of India carried out the second inspection on "Systems and Staffing" of Corporation's Head Office during the period from 6 June 1994 to 9 July 1994 and the four branch offices of the Corporation were also inspected during this year for the second time. The Regional Audit Cell also conducted an audit of

the Corporation for the half year ended 30 September 1994. The irregularities pointed out/ suggestions made in their reports have mostly been rectified/implemented by the Corporation.

Management

17. Consequent upon the appointment of Shri D.R. Mehta, the then Chairman of the Corporation as Chairman of Securities and Exchange Board of India, Shri S.P. Talwar, Deputy Governor, Reserve Bank of India was nominated as Chairman of the Corporation under Section 6(1)(a) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 with effect from 8 March 1995. Now Shri R.V. Gupta, Deputy Governor, Reserve Bank of India has been nominated as Chairman vice Shri S.P. Talwar with effect from 24 May 1995.

Shri P.N. Joshi, Chairman of the United Western Bank Ltd., Satara (Maharashtra) had been nominated as a Director under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 on the Board of Directors of the Corporation from 14 June 1993 to 31 October 1993. The term of directorship of Shri Joshi as a Director has been further extended upto 31 October 1995 by Government of India.

Shri E. Chandrasekharan Nair eminent co-operative banker, Trivandrum (Kerala) had been nominated as a director under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 on the Board of Directors of the Corporation for a period of three years with effect from 12 September 1994. Shri Harbhajan Singh, Chairman & Managing Director of Allahabad Bank, Calcutta (West Bengal) had been nominated as an ex-officio Director under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 on the Board of the Corporation with effect from 1 December 1994 in place of Shri B. Rai who ceased to be as Chairman and Managing Director with effect from 30 November 1994.

As per Government Notifications dated 7 February 1995, the Chairman and Managing Director, Punjab National Bank and Chairman and Managing Director of Corporation Bank are the ex-officio directors nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 on the Board of the Corporation. Accordingly, Shri Rashid Jilani, Chairman and Managing Director, Punjab National Bank is the Director of the Corporation in place of Dr. M.K. Sinha, Shri K.R. Ramamoorthy who has been appointed as Chairman and Managing Director, Corporation Bank is the director of the Corporation with effect from 7 February 1995 in place of Shri Harbhajan Singh.

18. During the year ended 31 March 1995, four meetings of the Board of Directors of Corporation were held.

19. The Board highly appreciates the efforts put in by the staff of the Corporation for maintaining its operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION,
BOMBAY-400 039.

Dated: 29 June, 1995.

For and on behalf of the
Board of Directors

(R.V. GUPTA)
Chairman

ANNEXURE - I

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

Year / Period	No. of registered banks at the commence-ment of the year/period	No. of Banks registered during the year/period	No. of banks deregistered where Corporation's liability			Total no. of registered banks at the end of the year/period (2+3-6)
			was attracted	was not attracted	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	—	2	9	11	276
1963 to 1965	276	1	7	161	168	109
1966 to 1970	109	1	5	22	27	83
1971 to 1975	83	544	—	16	16	611
1976 to 1980	611	995	9	15	24	1582
1981 to 1985	1582	280	8	17	25	1837
1986 to 1989-90	1837	102	8	10	18	1921
1990-91	1921	8	5	2	7	1922
1991-92	1922	14	2	3	5	1931
1992-93	1931	3	2	1	3	1931
1993-94	1931	63	1	3	4	1990
1994-95	1990	36	—	1	1	2025

Category-wise break-up of insured banks at the end of 1992-93, 1993-94 and 1994-95

Year	No. of insured banks			
	Commercial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total
1992-93	80	196	1655	1931
1993-94	80	196	1714	1990
1994-95	90	196	1739	2025

ANNEXURE II

SUMMARY OF INSURED BANKS
(As on 31 March 1995)

I.	Commercial Banks	90
II.	Regional Rural Banks	196
III.	Co-operative Banks	1739
		2025

State-wise Break-up of Co-operative Banks

	State	Apex	Central	Primary	Total
1.	Andhra Pradesh	1	22	61	84
2.	Assam	1	1	8	10
3.	Bihar	1	34	3	38
4.	Delhi	1	—	14	15
5.	Goa	1	—	6	7
6.	Gujarat	1	21	290	312
7.	Haryana	1	13	8	22
8.	Himachal Pradesh	1	2	4	7
9.	Jammu & Kashmir	1	3	3	7
10.	Karnataka	1	22	208	231
11.	Kerala	1	14	56	71
12.	Madhya Pradesh	1	45	46	92
13.	Maharashtra	1	31	392	424
14.	Manipur	1	—	5	6
15.	Orissa	1	17	14	32
16.	Rajasthan	1	27	24	52
17.	Tamil Nadu	1	21	133	155
18.	Tripura	1	—	1	2
19.	Uttar Pradesh	1	57	46	104
20.	West Bengal	1	17	48	66
	Union Territory				
1.	Pondicherry	1	—	1	2
2.	Daman & Diu	—	—	—	—
	TOTAL	21	347	1371	1739
	Punjab	1	17	5	23*

* Insured with effect from 1.4.1995.

ANNEXURE II 'A'

BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED DURING THE YEAR 1994-95.

A. REGISTERED

I. Commercial Banks

1. IndusInd Bank Ltd.
2. ICICI Banking Corporation Ltd.
3. UTI Bank Ltd.
4. The Chase Manhattan Bank Ltd.
5. Global Trust Bank Ltd.
6. The Development Bank of Singapore Ltd.
7. State Bank of Mauritius Ltd.
8. HDFC Bank Ltd.
9. Centurion Bank Ltd.
10. Sikkim Bank Ltd.

II. Co-operative Banks

State	Name of the Bank
Andhra Pradesh	1. Aryan Co-op. Bank Ltd.
Karnataka	1. Onake Obavva Mahila Co-op. Bank Ltd. 2. Bijapur Dist. Mahila Co-op. Bank Ltd. 3. Chaitanya Mahila Co-op. Bank Ltd. 4. Siddaganga Urban Co-op. Bank Ltd. 5. Shri Channabasavaswamy Urban Co-op. Bank Ltd.
Maharashtra	1. Satara Dist. Merchants Co-op. Bank Ltd. 2. Ajinkyatara Sahakari Bank Ltd. 3. Sant Janabai Nagrik Sah. Bank Ltd. 4. Chetak Urban Co-op. Bank Ltd. 5. Mahila Urban Co-op. Bank Ltd. 6. Aman Sahakari Bank Ltd. 7. Poorna Nagari Sahakari bank Ltd. 8. Amravati Merchants Sahakari Bank Maryadit. 9. Priyadarshini Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd. 10. Mahesh Urban Co-op. Bank Ltd. 11. Shri Samartha Sahakari Bank Ltd. 12. Jaiprakash Narayan Nagarik Sahakari Bank Ltd. 13. Yavatmal Mahila Sahakari Bank Ltd.

ANNEXURE II 'A' (Contd.)

State	Name of the Bank
Madhya Pradesh	1. Laxmi Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
	2. Bhoj Nagrik Sahakari Bank Ltd.
	3. Vivekanand Nagrik Sahakari Bank Maryadit.
	4. Vikramaditya Nagrik Sahakari Bank Maryadit.
	5. Nagrik Sahakari Bank Ltd., Chhindwara.
	6. Vyaparik Audhyogik Sahakari Bank Ltd.
Rajasthan	1. Sawai Madhopur Urban Co-operative Bank Ltd.

B. DE-REGISTERED

1. Maharashtra	*1. Deccan Co-op. Bank Ltd.

* Merged with Ichhal Karanji Janta Sahakari Bank Ltd., Ichhal Karanji, Maharashtra.

*****

ANNEXURE III

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As on the last Friday of December 1961 and the last working day of June 1981 to June 1994)

Year	No. of fully protected accounts@ (in lakhs)	Total No. of accounts (in lakhs)	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits@ (Rs. in crores)	Total assessable deposits (Rs. in crores)	Percentage of (5) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.97	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988-89	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989-90	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2
1990-91	2,982.52	3,089.12	96.5	1,09,315.52	1,56,891.90	69.7
1991-92	3,169.18	3,287.00	96.4	1,27,924.91	1,86,307.39	68.7
1992-93	3,395.03	3,543.02	95.8	1,64,526.57	2,44,375.38	67.3
1993-94	3,497.10	3,529.03	99.1	1,68,404.82	2,49,033.83	67.6
1994-95	4,956.05	4,993.99	99.2	2,66,746.65	3,64,057.60	73.3

@ i.e. Number of accounts with balance not exceeding Rs. 1,500/- till the end of 1967, Rs. 30,000 from 1981 onwards till 1992-93 and Rs. 1.00 lakh from 1993-94 onwards.

ANNEXURE IV

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1992-93, 1993-94 AND 1994-95

Year	Category of Banks	Total no. of insured banks	No. of reporting banks	Insured deposits (Rs. in crores)	Total assess-able deposits (Rs. in crores)	Percentage of 5 to 6
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	Commercial Banks	80	59	1,41,356.73	2,12,759.40	66.44
	Regional Rural Banks	196	116	2,995.59	3,430.41	87.32
	Co-operative Banks	1,655	1,065	20,174.25	28,185.57	71.58
	Total	1,931	1,240	1,64,526.57	2,44,375.38	67.33
1993-94	Commercial Banks	80	65	1,41,794.51	2,16,024.27	65.64
	Regional Rural Banks	196	130	4,003.92	4,398.41	91.03
	Co-operative Banks	1,714	1,122	22,606.39	28,611.15	79.01
	Total	1,990	1,317	1,68,404.82	2,49,033.83	67.62
1994-95	Commercial Banks	90	67	2,15,264.62	3,03,895.17	70.84
	Regional Rural Banks	196	152	5,784.95	6,386.63	90.58
	Co-operative Banks	1,739	1,053	45,697.08	53,775.81	84.98
	Total	2,025	1,272	2,66,746.65	3,64,057.61	73.27

ANNEXURE V

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND REPAYMENTS RECEIVED AS ON 31 MARCH 1995

(Rs. in lakhs)

Sr. No.	Name of the Bank (the figures in bracket indicate the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid and provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3) - (4)
1	2	3	4	5
I.	**COMMERCIAL BANKS**			
	i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full			
$	1) Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
*	2) Shree Jadeya Shankar Ling Bank Ltd., Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
*	3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)	46.32	46.32	—
*	4) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.04	7.04	—
*	5) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	2.08	2.08	—
	Total 'A'	64.81	64.81	—
	ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation had been paid in part and balance due has been written off			
*	6) Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.52	1.38 (1.14)	—
*	7) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)	1.06	0.31 (0.75)	—
*	8) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)	0.18	0.14 (0.04)	—
*	9) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.74	4.42 (4.32)	—
*	10) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.28	3.73 (3.55)	—
*	11) Bank of Algapuri Ltd., Algapuri (1963)	0.28	0.18 (0.10)	—
	Total 'B'	20.06	10.16 (9.90)	—

(Figures in bracket indicate the amount written off)

Contd...

ANNEXURE V (Contd.)

1	2	3	4	5
	iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
* 12)	National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
* 13)	Habib Bank Ltd., Bombay (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
		(figures in brackets relate to payments prohibited under the Scheme of amalgamation)		
* 14)	National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69
* 15)	Bank of Cochin Ltd. Cochin (1986)	1,162.78	497.32	665.46
* 16)	Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)	146.59	36.41	110.18
* 17)	Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987)	3,340.62	694.88	2,645.74
* 18)	Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1988)	2,191.67	176.56	2,015.11
* 19)	United Industrial Bank Ltd., Calcutta (1990)	3,501.58	38.56	3,463.02
* 20)	Traders Bank Ltd., New Delhi (1990)	306.34	130.04	176.30
* 21)	Bank of Thanjavur Ltd., Thanjavur (1990)	1,978.36	213.37	864.99
* 22)	Bank of Tamilnad Ltd., (1990)	764.50	112.33	652.17
* 23)	Parur Central Bank Ltd., North Parur (1990)	260.92	71.71	189.21
* 24)	Purbanchal Bank Ltd., Guwahati (1990)	725.77	51.53	674.24
@ 25)	Bank of Karad Ltd., Bombay (1992)	3,700.00	1,468.87	2,231.13
	Total 'C'	17,207.07	3,509.24	13,697.83
	Total 'A' + 'B' + 'C'	17,291.94	3,584.21	13,697.83
II.	**CO-OPERATIVE BANKS**			
	i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full			
$$ 26)	Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.84	1.84	+
% 27)	Bombay Peoples' Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978)	10.72	10.72	++
@ 28)	Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984)	18.37	18.37	+++
	Total 'D'	30.93	30.93	—
	ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
@ 29)	Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Bombay (1976)	5.73	—	5.73
@ 30)	Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1977)	2.76	—	2.76
@ 31)	Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978)	0.60	—	0.60
* 32)	Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri (1978)	46.43	12.33	34.10
* 33)	Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	11.57	5.60	5.97

(Contd)....

ANNEXURE V (Contd.)

1	2	3	4	5
*	34) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979)	7.02	3.06	3.96
*	35) Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	13.17	3.31	9.86
@	36) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	2.30	—	2.30
*	37) Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	12.95	78.36
@	38) Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985)	13.96	—	13.96
*	39) Adarsh Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985)	2.74	0.65	2.09
*	40) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Kurduwadi (1986)	4.85	3.54	1.31
@	41) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986)	22.85	9.66	13.19
@	42) Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987)	9.61	2.28	7.33
@	43) Hind Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Lucknow (1988)	10.95	—	10.95
@	44) Yellamanchili Co-op. Bank Ltd., Yellamanchili (1990)	4.36	—	4.36
@	45) Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd., Gurzala (1991)	3.89	—	3.89
@	46) Kundara Co-op. Urban Bank Ltd., Kundara (1991)	17.37	7.01	10.36
@	47) Manoli Shri Panchlingeshwar Urban Co-op. Bank Ltd., Manoli (1991)	17.44	1.00	16.44
@	48) Sardar Nagrik Sahakari Bank Ltd., Baroda (1991)	74.85	—	74.85
@	49) Metropolitan Co-op. Bank Ltd., Bombay (1992)	125.00	—	125.00
*	50) Belgaum Muslim Co-op. Bank Ltd., (1993)	37.11	—	37.11
@	51) Bhadravathi Town Co-op. Bank Ltd., (1994)	0.26	—	0.26
@	52) Bhiloda Nagrik Sahakari Bank Ltd., Bhiloda (1994)	19.84	—	19.84
@	53) Citizen's Urban Co-op. Bank Ltd., Indore (1994)	220.57	—	220.57
	Total 'E'	766.54	61.39	705.15
	Total 'D' + 'E'	797.47	92.32	705.15
	Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E'	18,089.41**	3,676.53	14,402.98

$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.

$$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1984.

* Scheme of amalgamation.

@ Banks taken into liquidation.

+ Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

++ Provision of Rs. 2.07 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provision of Rs. 0.14 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

% The Bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1987.

** Amount under column 3 includes 'On A/c.' payments made to Bank of Karad Ltd., (Rs. 37 crores) and Metropolitan Co-operative Bank Ltd., (Rs. 1.25 crores) (Both in liquidation).

Notes : The figures of claims given above are after effecting adjustments.

ANNEXURE — VI

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S THREE CREDIT GUARANTEE SCHEMES DURING THE YEAR 1994-95

	Name of the Scheme	Total number of participants as on 31 March 1994				Credit institutions joined (+) or withdrawn (-)/ceased (-) during the period April 1994-March 1995				Total number of participants as on 31 March 1995			
		Comm. Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total	Comm. Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total	Comm. Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Small Loans Guarantee Scheme, 1971	47	186	—	233	(-)8	(-)11	—	(-)19	39	175	—	214
2.	Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	22	22	—	—	(-)6	(-)6	—	—	16	16
3.	Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981	47	150	111	308	(-)8	(-)11	(-)20	(-)39	39	139	91*	269

*** Break up as follows**

State Co-operative Banks	2
Central Co-operative Banks	54
Primary Urban Co-operative Banks	35
	91

ANNEXURE VII

SCHEME-WISE NAMES OF BANKS WITHDRAWN/DELETED FROM THE LIST OF PARTICIPATING CREDIT INSTITUTIONS DURING THE YEAR 1994-95

A. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

i) Commercial Banks

1. Bank of Karad Ltd.
2. Bank of Madura Ltd.
3. Federal Bank Ltd.
4. Karur Vysya Bank Ltd.
5. City Union Bank Ltd., Kumbakonam
6. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
7. Lord Krishna Bank Ltd.
8. Sangli Bank Ltd.

ii) Regional Rural Banks

1. Aligarh Gramin Bank
2. Bijapur Gramin Bank
3. Etah Gramin Bank
4. Godavari Grameena Bank
5. Malaprabha Grameena Bank
6. Malwa Gramin Bank
7. North Malabar Gramin Bank
8. Parvatiya Gramin Bank
9. Sagar Gramin Bank
10. Kanakadurga Grameena Bank
11. Tungabhadra Gramin Bank

B. SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS) GUARANTEE SCHEME, 1984.

1. Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd.
2. Sardarganj Mercantile Co-operative Bank Ltd.
3. Puraswalkam Co-operative Bank Ltd.
4. Thyagarayanagar Co-operative Bank Ltd.
5. Tuticorin Melur Co-operative Bank Ltd.
6. Uthamapalayam Co-operative Urban Bank Ltd.

(Contd)...

C. SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

i) Commercial Banks

1. American Express International Banking Corporation.
2. Bank of Madura Ltd.
3. City Union Bank Ltd., Kumbakonam
4. Federal Bank Ltd.
5. Karur Vysya Bank Ltd.
6. Lord Krishna Bank Ltd.
7. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
8. Sangli Bank Ltd.

ii) Regional Rural Banks

1. Aligarh Gramin Bank (Uttar Pradesh)
2. Bijapur Gramin Bank (Karnataka)
3. Etah Gramin Bank (Uttar Pradesh)
4. Godavari Grameena Bank (Karnataka)
5. Malaprabha Gramin Bank (Karnataka)
6. Malwa Gramin Bank (Punjab)
7. North Malabar Gramin Bank (Kerala)
8. Parvatiya Gramin Bank (Himachal Pradesh)
9. Sagar Gramin Bank (West Bengal)
10. Kanakadurga Grameena Bank (Andhra Pradesh)
11. Tungabhadra Gramin Bank (Karnataka)

iii) Co-operative Banks

1. Banaskantha Dist. Central Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
2. Chintadripet Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
3. Coimbatore Dist. Central Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
4. Co-operative Bank of Ahmedabad Ltd. (Gujarat)
5. Kanyakumari Central Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
6. Mysore Dist. Co-operative Central Bank Ltd. (Karnataka)
7. Nazareth Urban Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
8. Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd. (Gujarat)
9. Padukkottai Dist. Central Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
10. Purasawalkam Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
11. Quilon Dist. Co-operative Bank Ltd. (Kerala)

(Contd)...

ANNEXURE VII (Contd.)

12. Ramanathapuram Dist. Central Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
13. Sardar Bhiladwala Pardi People's Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
14. Sarvodaya Commercial Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
15. Solapur Janata Sahakari Bank Ltd. (Maharashtra)
16. Solapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Niyamit (Maharashtra)
17. Textile Traders Co-operative Bank Ltd. (Gujarat)
18. Thyagarayanagar Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
19. Tiruchirapally City Co-operative Bank Ltd. (Tamil Nadu)
20. Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd. (Gujarat)

****

ANNEXURE — VIII

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of rupees)

	Scheme/Category of borrowers	As at the end of June							As at the end of March						% to the total in Col. 14
		1972	1981	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9£	10£	11£	12£	13£	14£	15
SMALL BORROWERS															
(A)	**SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR**														
I.	**Small Loans Guarantee Scheme, 1971**	205.71	3546.24	7045.38	8842.29	10345.10	10998.22	14145.67	25562.66	27676.73	29166.66	24429.24	26339.75	25474.28	100.00
i)	Farmers & Agriculturists	134.67	2267.52	4181.98	5057.75	6020.34	6428.29	8504.48	10542.04	18565.55	19788.04	16572.80	17868.89	17075.41	67.03
ii)	Transport Operators	28.29	477.56	1239.58	1510.21	1606.00	1664.73	1665.58							
iii)	Retail Traders	28.34	398.86	709.84	972.45	1991.85	1257.99	1795.38							
iv)	Professional & Self-employed persons	9.14	165.66	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99	14519.56$	8727.03$	8973.00$	7514.44$	8102.11$	7840.98$	30.78
v)	Business Enterprises	5.27	150.08	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18							
vi)	Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	86.56	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	384.15	405.62	342.00	368.75	557.89	2.19
II.	**Small Loans (Financial Corpns.) Guarantee Scheme, 1971**	2.56	10.89	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	4.17	—	#	#	#	
III.	**Service Co-op. Societies Guarantee Scheme, 1971**	0.12	1.32	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	0.44	0.39	#	#	#	
IV.	**Small Loans (Co-op. Banks) Guarantee Scheme, 1984**	—	—	5.69*	10.76	14.96	25.00	35.19	20.70	10.98	13.77	14.34	8.08	9.59	
i)	Transport Operators	—	—	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31							
ii)	Retail Traders	—	—	2.64	4.51	5.53	7.67	8.51							
iii)	Professional & Self-employed persons	—	—	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74	20.70$	10.98$	13.77$	14.34$	8.08$	9.59$	
iv)	Business Enterprises	—	—	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63							
	Total of I, II, III & IV	208.39	3558.45	7104.25	8923.01	10445.97	11116.22	14291.38	25586.26	27692.32	29180.82	24443.58	26347.83	25483.87	100.00

(Contd)....

ANNEXURE VIII (Contd.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
SSI BORROWERS														
(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR														
V. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981														
All SSI Units including cottage industries etc.	—	3716.43@	4890.96	5843.69	7497.46	7738.03	10464.66	14094.00	16826.21	17362.36	19161.92	15502.66	14176.95	
Grand Total (A) + (B)	208.39	7274.88	11995.11	14766.70	17943.43	18854.25	24756.04	39680.26	44518.53+	46543.53+	43605.50	41850.49	39660.82	

@ As on 31 March 1981. * As on 31 December 1984.

£ Due to non-receipt of statements from several participting credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year (ii) priority sector advances port-folio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

$ The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

+ Consequent on allowing credit institutions to exclude certain categories of advances from priority sector advances for the year 1990-91 and 1991-92, the revised figures of guaranteed advances as at 31 March 1990 and 1991 would be provisionally Rs. 35851.33 and Rs. 37410.16 crores respectively.

Terminated w.e.f. 1 April 1992.

ANNEXURE IX

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSALS OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of (vide columns 4 & 5)					
					Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected	
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Upto end of 1977	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23
During 1978	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
During 1979	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
During 1980	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
During 1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,218	9.08	562	0.28	1,232	1.77
During 1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
During 1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18
During 1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88
During 1985	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68
During 1986	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35
During 1987	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42
During 1988-89 (15 months)	15,28,391	364.08	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21
During 1989-90	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70
During 1990-91	20,87,562	505.05	19,00,904	427.17	18,62,697	415.35	4,202	1.42	34,005	10.40
During 1991-92	16,52,076	409.97	15,91,028	360.14	15,39,574	345.06	4,421	1.58	47,033	13.50
During 1992-93	36,81,272@	883.29@	24,92,375	565.95	24,08,086	538.63	62	0.06	84,227	27.26
During 1993-94	46,72,885@	1167.60@	33,58,702	1026.36	32,88,353	816.44	5,782	188.79	64,567	21.13
Total 'A'	**1,81,06,259**	**4369.03**	**1,47,54,661**	**3544.22**	**1,41,15,583**	**3115.59**	**2,89,838**	**323.78**	**3,49,240**	**104.85**
During 1994-95										
1. S.L.G. Scheme, 1971	47,93,205@	1348.11@	39,11,829	1100.22	38,60,519	1078.15	3,390	0.84	47,920	21.23
2. S.L. (F.C.) G. Scheme, 1971	—	—	3	*	3	*	—	—	—	—
3. S.L. (Co-op. Banks) G. Scheme, 1984	—	—	38	0.04	—	—	38	0.04	—	—
Total 'B' (1+2+3)	**47,93,205**	**1348.11**	**39,11,870**	**1100.26**	**38,60,522**	**1078.15**	**3,428**	**0.88**	**47,920**	**21.23**
Grand Total (A+B)	**2,28,99,464@**	**5717.14@**	**1,86,66,531**	**4644.48**	**1,79,76,105**	**4193.74**	**2,93,266**	**324.66**	**3,97,160**	**126.08**

@ Provisional
* Negligible

	Break-up of Pending Calims	
	No.	Amount in crores of Rs.)
* 1. Claims processed but payment with held for various reasons	72,591	19.48
2. Claims to be processed	29,05,977@	817.32@
3. Claims processed and to be settled for want of Clarification	12,54,365	235.86
Total	42,32,933@	1072.66@

ANNEXURE — X

SECTOR-WISE BREAK UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(Amount in crores of Rupees)

Sr. No.	Category of Borrowers	Total claims received upto 31 March 1994		Claims received during 1994-1995		% to total amt. in column 6	Total upto 31 March 1995		% to total amt. in column 9
		Number@	Amount@	Number	Amount		Number@	Amount@	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Farmers and Agriculturists	83,25,495	1850.63	23,90,371	646.42	47.95	1,07,15,866	2497.05	43.68
2.	Transport Operators	6,92,564	449.37	1,40,920	65.65	4.87	8,33,484	515.02	9.01
3.	Retail Traders	47,23,094	1264.25	14,33,168	419.54	31.12	61,56,262	1683.79	29.45
4.	Professional and Self-employed persons	16,21,863	372.28	3,19,707	93.42	6.93	19,41,570	465.70	8.14
5.	Business Enterprises	13,32,759	310.39	3,73,391	104.88	7.78	17,06,150	415.27	7.26
6.	Residual Category of Borrowers under DRI Scheme	13,51,807	112.23	1,22,706	14.42	1.07	14,74,513	126.65	2.22
7.	Credit Facilities for consumption and for purchase or construction of houses or tenaments	58,677	9.88	12,942	3.78	0.28	71,619	13.66	0.24
	Total	**1,81,06,259@**	**4369.03@**	**47,93,205@**	**1348.11@**	**100.00**	**2,28,99,464@**	**5717.14@**	**100.00**

@ Provisional

Activity-wise percentages from April 1994 to March 1995 are worked out on the basis of provisional activity-wise data available as on date for the year 1993-94.

ANNEXURE — XI

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

Period	Claims received		Claims disposed of		Of the claims disposed of						Claims pending as at the end of March 1995	
					Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected			
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1 Apr. 1981 to 31 Dec. 1981	1308	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	1308	1.74
1 Jan. 1982 to 31 Dec. 1982	4013	9.40	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	2216	9.01
1 Jan. 1983 to 31 Dec. 1983	9325	32.58	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	4213	28.66
1 Jan. 1984 to 31 Dec. 1984	18300	53.98	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	12991	68.91
1 Jan. 1985 to 31 Dec. 1985	22048	71.99	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41	12248	115.82
1 Jan. 1986 to 31 Dec. 1986	33723	104.92	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67	15672	153.67
1 Jan. 1987 to 31 Dec. 1987	44711	131.68	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81	20177	197.19
1 Jan. 1988 to 31 March 1989 (15 months)	93716	216.90	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24	32542	257.53
1 Apr. 1989 to 31 March 1990	74894	192.58	101579	368.08	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27	5857	82.03
1 Apr. 1990 to 31 March 1991	83809	243.71	76148	249.25	65694	131.81	8968	71.53	1486	45.91	13518	76.49
1 Apr. 1991 to 31 March 1992	78447	217.26	80510	255.67	66728	117.23	12825	106.83	957	31.61	11455	38.08
1 Apr. 1992 to 31 March 1993	129968	259.98	118147	243.21	100751	94.92	16261	110.35	1135	37.94	23276	54.85
1 Apr. 1993 to 31 March 1994	144165	323.16	123031	287.72	93008	73.55	25728	162.22	4295	51.95	44410	90.29
1 Apr. 1994 to 31 March 1995	189593	378.71	192791	409.31	153743	100.86	34446	235.51	4602	72.94	41212	59.69
Total	**928020**	**2238.59**	**886808**	**2178.90**	**719611**	**900.07**	**149911**	**935.64**	**17286**	**343.90**		

Branch-wise position of pending claims as on 31 March 1995

	No.	Amount (Rs. in Crores)
Nagpur	8908	31.54
Calcutta	25924	18.04
Madras	3203	5.56
New Delhi	3177	4.55
	41212	59.69

ANNEXURE — XII

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1994-95 UNDER CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981

(Amount in crores of Rupees)

	Claims for amount	Claims pending as on 31 March 1994		Receipt during the year		Disposal during the year						Total disposal during the year		Claims pending as on 31 March 1995	
						Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected					
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1.	Upto Rs. 25,000/-	40295	21.19	169770	87.27	149007	75.17	21274	14.91	2207	3.32	172488	93.40	37577	15.06
2.	Above Rs. 25,000/- and upto Rs. 1.00 lakh	2640	11.08	13977	49.15	4268	15.01	8555	30.55	1142	4.85	13965	50.41	2652	9.82
3.	Above Rs. 1.00 lakh and upto Rs. 5.00 lakhs	1123	24.41	4200	91.82	434	7.53	3328	72.71	765	17.91	4527	98.15	796	18.08
4.	Above Rs. 5.00 lakhs and upto Rs. 8.00 lakhs	129	8.05	680	42.70	13	0.79	536	33.63	159	9.99	708	44.41	101	6.34
5.	Above Rs. 8.00 lakhs	223	25.56	966	107.77	21	2.36	753	83.71	329	36.87	1103	122.94	86	10.39
	Total	**44410**	**90.29**	**189593**	**378.71**	**153743**	**100.86**	**34446**	**235.51**	**4602**	**72.94**	**192791**	**409.31**	**41212**	**59.69**

ANNEXURE — XIII

STATEMENT INDICATING SCHEME-WISE BREAK-UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEARS 1981 TO 1994-95

(Amount in crores of Rupees)

Scheme	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 months)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32	331.90	351.44	431.74	665.36	631.64
2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971@	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12	0.06	—	—	—	—
3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971@	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01	0.01	0.01	—	—	—
4. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31	0.16	0.20	0.21	0.12	0.14
5. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07	192.59	214.23	270.83	180.61	197.35
Total	**40.21**	**57.67**	**71.17**	**87.91**	**105.66**	**127.25**	**145.17**	**191.89**	**593.83**	**524.72**	**565.88**	**702.78**	**846.09**	**829.13**

* 1981 Rs. 39,000/-
* 1982 Rs. 73,000/-
* 1983 Rs. 14,000/-
* 1984 Rs. 25,000/-
* 1985 Rs. 5,000/-
* 1986 Rs. 1,000/-
* 1987 Rs. 7,000/-
* 1988-89 Rs. 58,000/-

@ These schemes have been terminated with effect from 1 April 1992.

ANNEXURE — XIV

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1995

(Amount in crores of Rupees)

Sr. No.	Particulars	Rate %	Deposit Insurance Fund				Credit Guarantee Fund				General Fund			
			Face Value	Book Value	Value as per rates	% of value to Book value	Face Value	Book Value	Value as per rates	% of value to Book Value	Face Value	Book Value	Value as per rates	% of value to Book value
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
(A)	**Securities which have depreciated :**													
1.	6.50% Loan 2003	68.71	2.66	2.66	1.83	68.80	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	6.75% Loan 2006	63.95	18.22	18.21	11.65	63.98	—	—	—	—	0.65	0.65	0.41	63.08
3.	6.75% Loan 2007	61.27	1.12	1.12	0.68	60.71	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	7% Loan 2009	61.76	40.63	40.66	25.09	61.71	—	—	—	—	0.05	0.05	0.03	60.00
5.	7.50% Loan 2010	64.09	52.58	50.63	33.70	66.56	—	—	—	—	5.87	5.84	3.77	64.55
6.	8% Loan 2011	66.67	129.03	119.79	86.02	71.81	—	—	—	—	6.80	6.24	4.54	72.76
7.	8.75% Loan 2010	71.67	3.78	3.78	2.71	71.69	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	9% Loan 2013	72.42	101.13	99.24	73.24	73.80	—	—	—	—	15.00	15.02	10.86	72.30
9.	9.50% Loan 2008	78.31	23.19	22.96	18.16	79.09	—	—	—	—	0.65	0.65	0.51	78.46
10.	10% Loan 2014	79.03	65.27	65.15	51.59	79.19	14.59	14.58	11.53	79.08	10.95	10.97	8.65	78.85
11.	10.25% Loan 2012	81.33	39.57	39.63	32.18	81.20	—	—	—	—	10.26	10.27	8.34	81.21
12.	10.50% Loan 1996	99.33	9.11	9.16	9.05	98.80	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	10.50% Loan 1996 (II)	99.33	—	—	—	—	25.00	25.00	24.83	99.32	—	—	—	—
14.	10.50% Loan 2014	82.32	55.97	55.96	46.08	82.34	—	—	—	—	7.39	7.38	6.08	82.38
15.	11.50% Loan 2006	91.35	85.28	86.47	77.90	90.09	20.57	20.57	18.79	91.35	2.00	2.00	1.83	91.50
16.	11.50% Loan 2007	90.71	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	100.00
17.	11.50% Loan 2008	90.71	5.85	5.85	5.31	90.77	8.35	7.80	7.58	97.18	—	—	—	—
18.	11.50% Loan 2009	90.44	109.60	109.87	99.12	90.21	102.38	102.42	92.59	90.40	—	—	—	—
19.	11.50% Loan 2011	90.00	81.32	80.37	73.19	91.07	8.68	8.41	7.81	92.86	—	—	—	—
20.	11.50% Loan 2015	89.39	87.12	87.14	77.88	89.37	—	—	—	—	11.10	11.12	9.92	89.21
21.	11.64% G.S. 2000	96.13	28.90	29.26	27.78	94.94	111.10	111.15	106.80	96.08	—	—	—	—
22.	11.75% G.S. 2001	95.81	29.62	29.84	28.38	95.11	30.38	30.38	29.11	95.82	—	—	—	—
23.	12.00% G.S. 2011	93.21	77.04	76.71	71.81	93.61	348.07	345.62	324.44	93.87	—	—	—	—
24.	12.30% G.S. 1998	99.48	36.40	36.40	36.21	99.48	44.55	44.61	44.32	99.35	—	—	—	—
25.	12.50% G.S. 2004	97.70	33.28	34.39	32.51	94.53	100.00	101.25	97.70	96.49	—	—	—	—
26.	12.50% Loan 2007	97.00	22.90	23.00	22.21	96.56	361.10	362.57	350.27	96.61	—	—	—	—
27.	12.60% G.S. 2000	99.60	—	—	—	—	45.00	45.09	44.82	99.40	—	—	—	—
28.	12.70% G.S. 2001	97.71	—	—	—	—	75.00	75.15	74.78	99.51	—	—	—	—
29.	12.75% G.S. 1996	101.40	16.35	16.72	16.58	99.16	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	13.12% G.S. 1999	101.48	1.55	1.68	1.57	93.45	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	'0' Coupon Bond 2000	54.00	3.93	2.13	2.12	99.53	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total : (A)		**1161.40**	**1148.78**	**964.55**	**83.96**	**1294.77**	**1294.60**	**1235.37**	**95.42**	**70.75**	**70.22**	**54.97**	**78.28**

(Contd.)....

ANNEXURE — XIV (Contd.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
(B)	**Securities which have appreciated :**													
1.	5.75% Loan 2002	67.93	3.00	1.86	2.04	109.68	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	12% G.S. 1995	100.71	31.78	31.78	32.01	100.72	20.50	20.46	20.64	100.88	—	—	—	—
3.	12% G.S. 1997	100.47	—	—	—	—	51.00	50.99	51.24	100.49	—	—	—	—
4.	12.75% G.S. 1996	101.40	—	—	—	—	41.52	41.86	42.10	100.57	—	—	—	—
5.	13.40% G.S. 2002	103.40	67.52	67.85	69.57	102.54	92.28	92.74	95.09	102.53	—	—	—	—
6.	'0' Coupon Bond 1999	61.64	125.00	69.36	77.05	111.09	—	—	—	—	—	—	—	—
	Total : (B)		**227.30**	**170.85**	**180.67**	**105.75**	**205.30**	**206.05**	**209.07**	**101.47**	—	—	—	—
	Total : (A)+(B)		**1388.70**	**1319.63**	**1145.22**	**86.78**	**1500.07**	**1500.65**	**1444.44**	**96.25**	**70.75**	**70.22**	**54.97**	**78.28**

Sr. No.	Due Date	Face Value	Cost	Rate	Yield	Face Value	Cost	Rate	Yield	Face Value	Cost	Rate	Yield
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(C)	**Govt. of India 364 Days Treasury Bills :**												
1.	14 April 1995	12.20	11.21	91.8725 to 91.9198	9.36	2.19	2.17	91.9198 to 99.6154	9.36 to 10.06	—	—	—	—
2.	28 April 1995	1.95	1.81	91.4709 to 96.9725	9.40 to 9.80	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	12 May 1995	10.93	10.24	91.5181 to 95.0621	8.86 to 9.64	0.16	0.15	91.4945	9.00	—	—	—	—
4.	26 May 1995	11.23	10.53	91.5654 to 94.0225	8.89 to 9.39	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	9 June 1995	50.72	46.32	91.3276	10.02	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	7 July 1995	3.79	3.49	92.0838 to 92.1305	9.23	0.11	0.10	92.1305	9.23	—	—	—	—
7.	4 August 1995	24.27	22.25	91.6661 to 91.7569	9.21 to 9.27	1.37	1.26	91.7569 to 91.6868	9.26	—	—	—	—
8.	1 September 1995	0.35	0.33	93.0043 to 94.5214	9.47 to 13.30	22.84	21.51	93.0043 to 94.7683	9.47 to 13.40	0.03	0.03	94.7363	13.00

(Contd.)....

ANNEXURE — XIV (Contd.)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
9.	15 September 1995	5.20	4.78	91.9231	9.14	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	13 October 1995	2.13	1.96	91.5654 to 91.9462	9.14 to 9.39	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	27 October 1995	2.95	2.71	91.6196 to 92.7223	13.50	11.88	10.99	91.6196 to 92.7223	9.15 to 13.45	—	—	—	—
	Total (C)	**125.72**	**115.63**			**38.55**	**36.18**			**0.03**	**0.03**		
	Total (A)+(B)+(C)	**1514.42**	**1435.26**			**1538.62**	**1536.83**			**70.78**	**70.25**		

	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	General Fund
Book Value	1148.78	1294.60	70.22
Less : Depreciated Value	964.55	1235.37	54.97
Depreciation to be provided	184.23	59.23	15.25
Existing provision	161.75	67.20	16.38
Additional provision required	22.48	'Nil'	'Nil'

AUDITOR'S REPORT

Vyas & Vyas,
Chartered Accountant,
Bhola Bhawan,
M.I. Road,
Jaipur - 302 001.

We have audited the attached Balance Sheets of (i) of Deposit Insurance Fund & Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation as at March 31, 1995 and also the Revenue Accounts of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report that :

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,

ii) the said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accounts read with the accounting policies and the notes thereon give the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner as required and exhibit a true and fair view:

a) in the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) General Fund of the State of Affairs of the Corporation as at March 31, 1995 and,

b) in the case of the Revenue Accounts (i) of the surplus in the case of Deposit Insurance Fund and (ii) of the deficit in the case of Credit Guarantee Fund and General Fund of the Corporation for the year ended on that date.

For Vyas & Vyas
Chartered Accountants

(O.P. Vyas)
Partner

Place: Bombay
Dated: 29 June 1995.

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18-
Balance Sheet as at the close
I — DEPOSIT INSURANCE FUND

Previous Year				Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		LIABILITIES				
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs			Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
8030.00	152073.00	1.	Fund (Balance at the end of the year		16885.00		179271.00
12485.33	—	2.	Surplus Balance (as per Revenue Account)		163.88		—
16174.88	6720.21	3.	Investment Reserve: Balance at the beginning of the year	16174.88		6720.21	
—	—		Add: Amount Provided for during the year	2247.88		—	
16174.88	6720.21				18422.76		6720.21
—	2023.11	4.	Claims intimated and claims admitted but not paid		—		2025.56
811.62	74191.36	5.	Estimated liability in respect of claims intimated, but not admitted		1592.36		101732.90
82.70	—	6.	Insured deposits remaining unclaimed		86.56		—
		7.	Other Liabilities				
5284.24	2119.22		i) Sundry Creditors	5894.45		4726.51	
85804.95	—		ii) Credit Guarantee Fund	120673.70		—	
12081.45	—		iii) Provision for Income-Tax	12081.45		—	
103170.64	2119.22				138649.60		4726.51
140755.17	237126.90		Total		175800.16		294476.18

* Market value of Investments is net of adjustments of accrued interest of Rs. 1,066.60 lacs on Zero Coupon Bonds.

As per our report of even date attached.
FOR M/s. Vyas & Vyas
Chartered Accountants

(O.P. Vyas)
Partner

BOMBAY
DATED: 29 June, 1995.

(R.V. Gupta)
Chairman

(Gangadhar Gadgil)
Director

(S.N. Razdan)
Director

(S.H. Khan)
Director

(Ms. Mona Sharma)
Director

(P.N. Joshi)
Director

(R.N. Verma)
Chief General Manager

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1995
AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous Year							
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		ASSETS	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs			Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
2.27	422.79	1.	Balance with Reserve Bank of India		6.78		148.98
113841.09	132141.62	2.	Investments in Central Government Securities (at cost)		143526.82		153683.19
			D.I. Fund Rs. in lakhs / C.G. Fund Rs. in lakhs				
			Face Value 151441.83 / 153862.52				
			Market Value* 126085.66 / 148062.35				
4124.87	4030.03	3.	Interest accrued on investments		6163.01		4205.50
		4.	Other Assets				
306.73	800.19		i) Outstanding premium, Guarantee fees and excess claims paid due from Banks/Credit Institutions	659.53		10.25	
4.91	145.82		ii) Outstanding interest on overdue premium & guarantee fee	11.68		25.86	
0.06	—		iii) Amount paid towards claims remaining undisbursed with the liquidator of a bank	0.06		—	
—	85804.95		iv) Deposit Insurance Fund	—		120673.70	
22475.24	13252.29		v) Income-tax deducted at source	24139.31		15728.70	
—	529.21		vi) Sundry Debtors	1292.97		—	
22786.94	100532.46				26103.55		136438.51
140755.17	237126.90		Total		175800.16		294476.18

(U. Mahesh Rao)
Director

(N.P. Sarda)
Director

(P.W. Rege)
Director

(K.R. Ramamoorthy)
Director

(E.C. Nair)
Director

(Rashid Jilani)
Director

(K. Prasad)
Chief Accountant

DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the
I — DEPOSIT INSURANCE FUND

Previous Year		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
		To Claims —				
57.13	88246.04	a) Paid during the year	220.51		115256.93	
—	2023.11	b) Admitted but not paid	—		2025.56	
		Add:				
811.62	74191.36	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year	1592.36		101732.90	
868.75	164460.51		1812.87		219015.39	
		Less:				
624.25	69968.73	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year	811.62		74191.36	
		Add:				
—	—	Excess provision written back (per contra)	591.05		—	
244.50	94491.78	Net Claims		1592.30		144824.03
—	—	To provision for depreciation in the value of investment		2247.88		—
—	75.04	To provisions and contigencies		—		—
—	—	To loss on sale of investment		—		—
8030.00	152073.00	To Balance of fund at the end of the year (as per actuarial valuation)		16885.00		179271.00
28925.30	—	To Net surplus carried down		22547.30		—
37199.80	246639.82	Total		43272.48		324095.03
—	38219.12	To Net Deficit brought down		—		34868.75
38219.12	—	To transfer to Credit Guarantee Fund (per contra)		34868.75		—
23.75	—	To short provision for Income Tax for Financial year 1992-93		—		—
363.70	—	To short provision for Income Tax for Financial year 1989-90		—		—
12485.33	—	To Balance carried to Balance Sheet		163.88		—
51091.90	38219.12	Total		35032.63		34868.75

As per our report of even date attached.
FOR M/s. Vyas & Vyas
Chartered Accountants

(O.P. Vyas)
Partner

BOMBAY
DATED: 29 June, 1995.

(R.V. Gupta)
Chairman

(Gangadhar Gadgil)
Director

(S.N. Razdan)
Director

(S.H. Khan)
Director

(R.N. Verma)
Chief General Manager

(Ms. Mona Sharma)
Director

(P.N. Joshi)
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
'B')
Year Ended 31 March 1995
AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous Year Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs	Previous Year Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs	INCOME	Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs	Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs
8958.00	90749.00	By Balance of Fund at the beginning of the year	8030.00	152073.00
15635.12	—	By Deposit Insurance Premia (including interest on overdue premia)	19328.56	—
—	84608.65	By Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fees)	—	82913.71
131.57	13473.67	By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/ guarantee claims paid including interest on overdue repayments	1705.79	33117.22
868.98	—	By Excess provision for Deposit Insurance claims written back (per contra)	591.05	—
10783.41	18463.27	By Income from Investments (Gross)	13603.80	21101.43
		Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs / Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs		
		Tax deducted at source for 1994-95: 2943.77 / 4492.03		
		Previous year: 2396.65 / 3882.45		
822.72	1126.11	By Interest on Advance Tax/TDS	13.28	20.92
—	38219.12	By Net Deficit carried down	—	34868.75
37199.80	246639.82	Total	43272.48	324095.03
22166.60	—	By Balance brought forward from last year	12485.33	—
28925.30	—	By Net Surplus brought down	22547.30	—
—	38219.12	By Transfer from Deposit Insurance Fund (per contra)	—	34868.75
51091.90	38219.12	Total	35032.63	34868.75

(U. Mahesh Rao)
Director

(N.P. Sarda)
Director

(P.W. Rege)
Director

(K.R. Ramamoorthy)
Director

(E.C. Nair)
Director

(Rashid Jilani)
Director

(K. Prasad)
Chief Accountant

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18 -
Balance Sheet as at the close
II — GENERAL

Previous Year (Rs. in lakhs)		LIABILITIES	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1.	**CAPITAL**			
5,000.00		Provided by the Reserve Bank of India under Sec. 4 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961			5,000.00
	2.	**RESERVES**			
		A) General Reserve			
1,338.96		Balance at the beginning of the year	1,129.35		
209.61		Less: Deficit transferred from Revenue Account	242.25		
1,129.35		Balance at the end of the year		887.10	
		B) Investment Reserve			
1,638.47		Balance at the beginning of the year	1,638.47		
—		Add: Amount provided during the year	—		
1,638.47		Balance at the end of the year		1,638.47	
22.51		**C) Capital Reserve**		22.51	
2,790.33					2,548.08
	3.	**CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS**			
452.94		Outstanding expenses	623.19		
1.03		Sundry Creditors	0.86		
223.00		Provision for Income-Tax	223.00		
676.97					847.05
8,467.30		Total			8,395.13

As per our report of even date attached.
FOR M/s. Vyas & Vyas
Chartered Accountants

(O.P. Vyas)
Partner

BOMBAY
DATED: 29 June, 1995.

(R.V. Gupta)
Chairman

(Gangadhar Gadgil)
Director

(S.N. Razdan)
Director

(S.H. Khan)
Director

(R.N. Verma)
Chief General Manager

(Ms. Mona Sharma)
Director

(P.N. Joshi)
Director

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
Form 'A'
of business on 31 March 1995
FUND

Previous Year (Rs. in lakhs)		ASSETS	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1.	**CASH**		
0.13		i) In hand	0.11	
28.67		ii) With RBI	3.53	
28.80				3.64
7,217.65	2.	**INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES** (at cost)		7,025.22
		(Rs. in lakhs)		
		Face Value 7,078.49 1578.09		
		Market Value 5,500.40		
256.44	3.	**INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS**		250.16
	4.	**OTHER ASSETS**		
18.93		a) Furniture, Fixture and equipment less depreciation	17.17	
1.37		b) Stock of Stationery	1.25	
2.73		c) Pre-paid Expenses	0.92	
47.86		d) Advances for expenses, Staff allowances receivable from RBI etc., & other deposits	34.32	
889.93		e) Income tax deducted at source	940.84	
0.11		f) Amount due from Credit Guarantee Fund	121.61	
3.48		g) Amount due from Deposit Insurance Fund	—	
964.41				1,116.11
8,467.30		Total		8,395.13

(U. Mahesh Rao)
Director

(N.P. Sarda)
Director

(P.W. Rege)
Director

(K.R. Ramamoorthy)
Director

(E.C. Nair)
Director

(Rashid Jilani)
Director

(K. Prasad)
Chief Accountant

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

Form 'B'

Revenue Account for the year ended 31 March 1995

II — GENERAL FUND

Previous Year (Rs. in lakhs)	EXPENDITURE	(Rs. in lakhs)	Previous Year (Rs. in lakhs)	INCOME	(Rs. in lakhs)
706.69	To Salaries and Allowances and Contribution to Staff Provident Fund	774.69	718.30	By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs. 171.27 lakhs Previous Year Rs. 177.96 lakhs)	700.87
77.50	To Contribution to Staff Pension and Gratuity Fund	27.50	14.01	By Recoveries in Claims Paid Account in Govt. of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)	21.09
0.02	To Directors' and Committee Members' Fees	0.04	0.97	By Miscellaneous Receipts	0.69
0.08	To Directors' and Committee Members' Travelling and other Allowances	0.28	3.44	By Intertest on Advance Tax/Tax Deducted at Source	1.25
90.13	To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	88.12	209.61	By Balance being excess of expenditure over income for the year carried down	242.25
9.07	To Establishment, Travelling & Halting Allowances	13.99			
—	To Computer Consumables	1.34			
8.22	To Printing & Stationery	5.40			
4.55	To Postage, Telegrams & Telephones	4.95			
0.49	To Auditors' Fees	0.49			
2.69	To Legal Charges	1.93			
43.10	To Miscellaneous Expenses	44.19			
3.79	To Depreciation	3.24			
—	To Provision for Depreciation on Investment	—			
—	To Balance being excess of income over expenditure for the year carried down	—			
946.33	Total	966.15	946.33	Total	966.15
209.61	To Balance brought down	242.25	209.61	By Balance being excess of expenditure over income transferred to General Reserve	242.25
—	To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve	—	—	By Balance brought down	—
209.61	Total	242.25	209.61	Total	242.25

As per our report of even date attached
FOR **M/s. Vyas & Vyas**
Chartered Accountants

(O.P. Vyas)
Partner

BOMBAY
DATED : 29 June 1995

(R.V. Gupta) Chairman
(S.N. Razdan) Director
(Ms. Mona Sharma) Director
(U. Mahesh Rao) Director

(Gangadhar Gadgil) Diector
(S.H. Khan) Director
(P.N. Joshi) Director
(K.R. Ramamoorthy) Director

(N.P. Sarda) Director
(P.W. Rege) Director
(E.C. Nair) Director
(Rashid Jilani) Director

(R.N. Verma)
Chief General Manager

(K. Prasad)
Chief Accountant

Significant Accounting Policies

1. General

The financial statements are prepared by following going concern concept and on the historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country.

2. Recognition of Income & Expenditure

i) Items of income & expenditure are generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Receipts towards deposit insurance premia and guarantee fees are generally appropriated as revenue income on receipt of relevant statements of deposits and guaranteed advances, and in cases where such statements are not received till the finalisation of accounts, ad-hoc payments, if any, made by the participating credit institutions are recognised as income, if considered adequate when compared with the previous years' records. Un-adjusted amounts are carried forward under the head 'Sundry Creditors'.

iii) Unrealised amount of deposit insurance premia and guarantee fee is not recognised as income, unless the relevant statements are received from the participating credit institutions.

iv) Penal interest for delay in payment of guarantee fee and insurance premia is accounted as income upto the date of last such payment by the credit institutions and interest on outstanding amount of premia/guarantee fee is not recognised as income.

v) The recovery (including penal interest) by way of subrogation rights in respect of deposit insurance claims settled/guarantee claims paid is accounted in the year in which it is received. Likewise, recoveries in respect of claims settled and subsequently found not eligible are accounted for when realised/adjusted.

vi) Interest on investments is accounted on accrual basis.

vii) Provision for year end liability in respect of claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is made on prudential basis taking into consideration the past trends.

viii) Adequate provision is made on the basis of actuarial valuation of the liability towards fund balances as at the end of the year in respect of Credit Guarantee Fund & Deposit Insurance Fund.

ix) The claims for refund of guarantee fees and of repayments against claims settled are accounted for on such refund claims being admitted by the Corporation. The year end liability towards such refund claims (including cases falling under Agricultural Rural Debt Relief Scheme, 1990) and its impact on the actuarial valuation of fund balances as at the close of the year remain undetermined.

x) Claims for reimbursement from RBI against certain establishment expenses, such as, leave salary etc., are accounted on realisation basis.

3. Investments

i) Investments are valued at cost or market value, whichever is lower. For the purpose of valuation, RBI purchase rates where available have been adopted as market rates and in other cases securities have been valued at indicative market rates based on 13% yield to maturity tables.

ii) Provision for diminution in the value of Securities is not deducted from investments in the balance sheet but such provision is retained by way of accumulation to Investment Reserve Account in conformity with the prescribed proforma of statement of accounts.

iii) The difference between acquisition cost and redemption value of zero coupon bonds is recognised as income on accrual basis proportionately in each financial year over the term of bonds.

iv) Inter Fund transfer of securities is made at cost price.

4. Fixed Assets

i) Fixed assets are stated at cost less depreciation.

ii) Depreciation is provided on the written down value basis at the rates indicated in the Banking Department manual of RBI.

5. Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)

As per arrangements arrived at with the Government, from time to time part of recoveries effected towards subrogation rights in respect of claims paid under the Government of India's Credit Guarantee Scheme for SSI (Old) is being accounted for the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961 towards cost of establishment expenditure for managing the residual work of the said scheme.

6. Employees' Cost

Employees' cost such as salaries, allowances, contribution to Provident Fund and Gratuity Fund is being incurred as per the arrangement with Reserve Bank of India since all the staff of the Corporation is on deputation from the Reserve Bank of India.

7. Prior Period Income/Expenditure

Income & expenditure over Rs. 25,000/- in each case pertaining to prior period items arising in current period on account of errors and omissions are considered as prior period credits/debits.

****

AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

INTRODUCTION:

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly small depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public, contributes to the growth of banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and conseqent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hestitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd., was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions the two organisations were merged in July 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

DEPOSIT INSURANCE SCHEME:

Institutional coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including Regional Rural Banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 34 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that banks upto a monetary ceiling of Rs. 1,00,000/-.

Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium. The premium at the rate of 5 paise per annum per hundred rupees is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue premium.

Payment of Insurance Claims

5.1 When a bank goes into liquidation the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 1,00,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle

the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs. 1,00,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction/amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected by it from out of the assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

CREDIT GUARANTEE SCHEMES:

Extension of guarantee support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd:, was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and continued by the Corporation, were intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending needbased credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operation since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising to of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as an agent of the Government. With the integration of credit guarantee functions relating to small scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors.

6.3 Effective from 1 April 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987, the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India. However, at the request of some participating credit institutions, the Corporation has allowed exclusion of certain categories of advances guaranteed by Central/State Governments, ECGC etc. from total priority sector advances for the purpose of payment of guarantee fee and consequently these advances ceased to get Corporation's guarantee cover.

Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes in operation till end March 1992 were as indicated below :

(i) Small Loans Guarantee Scheme 1971
(ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
(iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
(iv) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
(v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
(vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 With the termination of the schemes at (ii), (iii) & (v) above with effect from 1 April 1992, the Corporation presently operates the following three schemes:

i) The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks to the priority sector (other than small scale industries) as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, small road and water transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans.

ii) The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from

1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.

iii) The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 covers credit facilities granted by eligible primary (urban) co-operative banks to the priority sector as defined by Reserve Bank, including activities allied to agriculture, road and water transport operators, retail traders, small business entreprises, professional and self-employed persons and educational, housing and consumption loans. All eligible licensed primary (urban) co-operative banks are as defined in clause (gg) of Section 2 of the DICGC Act, 1961 as well as eligible unlicensed primary (urban) co-operative banks recommended by the Reserve Bank of India as eligible, can participate in the Scheme.

The salient features of various schemes in operation are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee:

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the priority sector advances (except certain specified categories) and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 2.50 per cent per annum for the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 only. The Regional Rural Banks are however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e, @ 1.25 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Scheme. The guarantee fee rate for two other schemes viz Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and Small Loans (SSI) Guarantee Scheme 1981, is 1.50 per cent per annum. The fee is required to be paid regularly and in advance on an annual basis in order to keep the guarantee in force. Penal interest @8% above Bank Rate is charged on overdue guarantee fee.

GUARANTEE COVER - KEY CHARACTERISTICS

Automatic Bulk Coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursal without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

Benefit confined to "Priority Sector" borrowers

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of Guarantee

10. Five conditions have to be complied with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) minimum period of 3 years has elapsed after grant of an eligible advance; (ii) the guarantee fee has been paid on the entire priority sector advances outstanding as and when it became due; (iii) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (iv) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (v) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would

expect the credit institution to take effective steps against the borrowers, sureties and the securities wherever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 50% of the 'amount in default' subject to certain absolute limiits stipulated in the schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Since 22 February 1994, credit institutions have been delegated powers to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action compromise and scaling down of dues and write-off and they are not required to obtain the Corporation's prior approval. The proposals involving staff accountability frauds, misappropriation etc., have, however, to be referred to the Corporation for its prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

****

ANNEXURE
CREDIT GUARANTEE SCHEMES - SALIENT FEATURES

Schemes	Eligible participants	Category of Borrowers	Guarantee fee	Guarantee cover
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A) SMALL BORROWERS				
I) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	Commercial Banks (including Regional Rural Banks)	**(i) Transport Operators**	2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	50% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower.
		(ii) Retail Traders	—do—	50% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower.
		(iii) Professional & self employed persons & Business Enterprises	—do—	50% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower.
		(iv) Farmers & Agriculturists — Direct Finance		
		1) For raisng crops	—do—	50% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower.
		2) For developmental activities	—do—	50% of the amount in default or Rs. 20,000/- whichever is lower.
		3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	—do—	50% of the amount in default or Rs, 30,000/- (i.e., Rs. 10,000x3) whichever is lower.
		4) For allied activities		
		i) Pisciculture	—do—	50% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	—do—	50% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever is lower.
		iii) Animal Husbandry	—do—	50% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.
		(With overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity)		

ANNEXURE (Contd.)

(2)	(3)	(4)	(5)
	(v) Indirect Finance to agriculture (As per RBI definition of priority sector except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981)	2.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 1.25% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution.
	(vi) Education Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose.	—do—	50% of the amount in default.
	(vii) State Sponsored Organisations for SCs/STs Advances sanctioned by State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and support of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution)
	(viii) Housing-Direct Finance (a) Loans upto Rs. 2 lakhs for construction of houses granted to all categories of borrowers	—do—	50% of the amount in default.
	(b) Loans upto Rs. 25,000/- for repairs to damaged houses granted to all categories of borrowers	—do—	—do—
	(ix) Housing Indirect Finance i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing house exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs. 2 lakhs per housing unit.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution).
	ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers where loan component does not exceed Rs. 2 lakhs per housing unit.	—do—	—do—
	(x) Consumption Pure consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme.	—do—	50% of the amount in default.

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	Primary Urban Co-operative Banks	i) Transport Operators	1.5% p.a. uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs. 1,50,000/- whichever is lower.
		ii) Retail Traders	—do –	50% of the amount in default or Rs. 25,000/- whichever is lower.
		iii) Business Enterprises & Professional & Self-employed Persons	--do--	50% of the amount in default or Rs. 50,000/- whichever is lower.
		iv) Educational Loans	—do- -	50% of the amount in default.
		v) Consumption Loans to Individuals upto Rs. 500/-	--do—	—dc—
		vi) Housing Loans not exceeding Rs. 25,000/- to		
		a) Individuals	--do—	50% of the amount in default.
		b) Government Agency	—do—	50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution.
		vii) Activities allied Agriculture		
		i) Pisciculture	—do—	50% of the amount in default or Rs. 37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	—do—	50% of the amount in default or Rs. 18,750/- whichever is lower.
		iii) Animal Husbandry	—do—	50% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming	—do—	50% of the amount in default or Rs. 15,000/- whichever is lower.
		vi) Purchase of bullock carts, camel carts, pack animals etc.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 10,000/- whichever is lower.
		(With overall ceiling of Rs. 60,000/- for more than one activity)		

ANNEXURE (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B) SMALL SCALE INDUSTRIES				
Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	Commercial Banks (including RRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies	i) Small Scale Industrial Units (including ancilliary units) to whom credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constitutent in the aggregate extended.	1.5% p.a uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually.	50% of the amount in default or Rs. 20 lakhs (apprortioned separately and equally viz. Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		ii) Small Scale industrial units in backward areas with credit facilities without any limit.	—do—	—do—
		iii) Small Scale Industrial units (including ancialliary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs 2.00 lakhs.	—do—	50% of the amount in default or Rs. 20 lakh (apportioned separately and equally viz Rs. 10 lakhs for term loans and Rs. 10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		Indirect Finance to SSI i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries.	—do—	(a) 50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs. 2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. (b) 50% of the amount in default or Rs. 60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding Rs. 2 lakhs per borrowring constituent in the aggregate.
		ii) Government sponsored Corporation/ organisations providing funds to the weaker section in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee)	—do—	—do—
		iii) Loans for construction and running of cold storage.	—do—	50% (as stated above) of the amount in default or Rs. 20 lakhs (Rs. 10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower.
		iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisation who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis.	—do—	—do—
		v) **Industrial Estates** Loans for setting industrial estate	—do—	—do—

Printed at Karnatak Orion Press, Bombay-400 001. Tel.: 204 8843/204 4578.